GOVT. COLLEGE, LIBRARY KOTA (Rail)

Students can retain library books only for two weeks at the most

BORROWER S	DUE OTATE	SIGNATURE
No		+
		l
		1
		1
		1
		1
1		ł
1		i i
		1
1		1
		1
		1
		ı
		1
1		1
	_	ļ
		1
		1
1)
		I

श्रम-त्रमुशासन _{एवं} श्रोद्योगिक परिवाद

[Labour Discipline & Industrial Dispute]

नेतक : किशनसिंह कच्छवाहा M.A (S W)

श्रम-प्रलाहकार नागोरी द्वार के वाहर, राममोहस्ला, जो घपुर

एव क्षोकृत्या दत्त गर्मा ১৮.८..४.८.८. (लेसक सुर्यास्ट पूरतक "धनुवासनिक कार्यवाही")

а

प्रावश्यव लेखकः माननीय न्यायमूर्ति श्री कानसिंह राजस्याव उच्च न्यायालय

श्रम हितकारी प्रकाशन, जयपुर-१

प्रकारक : श्रम हितकारी प्रकाशन, जयपुर-१

सर्वाधिकार सुरक्षित 1969

- CO- - CO- - CO- - CO- - CO-

स्टिक्ट क्टिक क्टिक क्टिक क्टिक क्टिक स्रोतिक भीर समृद्दर के सब्दी सम्बन्ध भौदोसिक विकास की प्रथम

भावस्यकता है ।

प्राप्ति स्थान--

- पुस्तक भवन ब्यावर
- यूनिक ट्रेंडर्स, चौडा रास्ता, जयपुर-३
- यूनिक ट्रेंडर्स, त्रिपोलिया, जोधपुर
- * कानून प्रकाशक, सीजतीहार बाहर जोयपुर • म्रान्ति सेस्स कार्पोरेमन, गली पामानी
- मार्केट, जयपुर-१
 * वाफता बुकडियो, चोडा रास्ता, नयपुर-३
 पृष्य विटरक :
- मद भारती प्रकाशनालय, दयीचि कुटीर पो. बगड (Bagar) ति. फू मूनु (राजः)

Mazap

मृह्य कार काले समाग्र होते

> गुरक पत्नोस विदर्भ क्यपुर-३

प्राक्कथन

Paper D

JUDGE, HIGH COURT

JODHPUR दिवास २=-७-१६६६

RAJASTHAN

प्रशे किशनसिंह कछवाह व प्रीहण्णादत गर्मा दारा रचित पुरक 'लेबर दिलीप्तिन व इन्हर्ट्रासन दिलपुट' (प्रम प्रवासन एव घोयोगिक परिवार) को पहकर मुख्ते प्रत्यत प्रसन्ता हुई। उपरोक्त विगय पर हिन्दी मुस्तकों के प्रमास के कारण एवम् प्रसिक्ती, उनके नेताओं ग्रीर उन व्यक्तियों के लिये, जो भौगोगिक व प्रमिक कानून के पनर्ताव कार्यवाही करते हैं, दैनिक घावयकदायों की पूर्वि के लिये, युवा-खेलकों का प्रमास प्रशासनीय है। सकत्त्व चर्मनीय है। यारा के नीचे जो टिप्पणी दी गई है, विवाद चर्मनीमुसी एवंम् नवीत्त्रम निर्णोयों को ब्यान में रखते हुत दो गई है।

मुके पूर्ण विश्वास है कि - यह युस्तक, जिनके लिये रची गई है, अस्यन्त उपयोगी सिद्ध होगी । लेखको के साथ मेरी पूर्ण शुपकामनार्थे हैं।

> %ी निर्मास<u>्</u> न्यायमूर्ति

राजस्थान-उच्च न्यायात्तय, जीवपुर

दो शब्द

"अनुशासन" शिशी राष्ट्र को चारण होगे है। ममार मे उन्हों देशों ने अवित की है, निगोने पनुष्णमत मे रहता सोख सिचा है। कोटोगिक धोत्र मे अनुसामन बनाये रसते के नियं सरकार ने कानुत घोर नियम बनाये हैं, वित्रके चनुतर, साजिक स मश्कर भा कामार से जानता होगा है। प्रसुत पुताक से मानिक स मश्कर के मश्कर को अनुसामकोत करणे सकर उन्होंने उद्दान होने याने परिवासों या विवासों को मुख्यमने के कानूनी पहणू पर विवास दिया गया है।

द्वने "वानिक मीर मबदूर के गन्दामों का विशेषण कर रोगा या कार्य की पात्री का विभाग कार्य की पार्थ के स्थान रिष्ध दे हुए 'बोशीयक परिवार' का मंग बताया राया है । गर्यू का कामगार के द्वार्थ राया है । गर्यू का कामगार के द्वार्थ राया है । गर्यू का कामगार के दूरावरण (नत्तक व बुद्दे कार्य) मेर वालिक वार्य के देवें हुए व वार्य के से त्यू कार्य के स्थान कार्य के स्थान कार्य के स्थान कार्य कार्य कार्य के सिंद के वार्य के सिंद के स्थान कार्य के सिंद के सिंद कार्य की सिंद कार्य के सिंद कार्य के सिंद कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य के सिंद कार्य के सिंद कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य के सिंद कार्य कार कार्य कार

परितास्य में यंत्र प्रमुतासन सान्तामी कानुमी-मोद्योगिक नियोत्रन (स्थानी पारेष) स्थि-नियम, परिता स्थानी नियम केन्द्रोत्र म राजस्थान नियमी को मुल प्रयोजी में दिया गया है। सोनोणिक परिचार प्रितियम भी यम टिप्पणियोजे के मूल प्रायेनी में दिया गया है। इससे प्रित कारियों क कानुमें समाहरूपारे के लिये भी यह दुन्तक उपयोगी हो नवेंगी, ऐसा विकरात है।

हम प्रवार की पुल्तक की कई दिनों से मांग भी भीर हिन्दी मांवा में ऐसी पुस्तको का समय-सा ही था। इस पुस्तक से हमारे अबहुत, साजिक व मन्य सम्बन्धित लोगों को कुछ प्रवर मिन सम्बन्धित समें हमारा परिषम करून होगा। विश्वान्-गोटकों से इस पुस्तक को स्वीपक वरमांगी जनाने के लिये प्राप्त होने वाली सुम्मार्थ का सामार स्वागत है।

दश दुराज के पेसल में हमे अपने मित्र की राज्यीर सिंद गहनीत, निजी नहायक, मातनीय उत्तासका, पारक्षात्र विभाग तथा, भी नेक्षीण्यत्र जैन (कान्त्र अकानक); भी प्रकाश महारी (सान्ति हेता कार्गे) थाग भी प्रतन्त्र विभागी (प्रत्येग हेडती) ते स्वत्य समय पर प्रतिशाहन मिता। पार्युक्तिय प्रतुत्तर को देवाने का कार्य भी पामदत समी एन ए० (रिसर्च स्कावर) ने विधा। प्रकाशन का बार भी मोमदत सामी अमा हितकारी प्रकाशन) ने वहन किया। मुद्राण से भी सन-मोहनरात्र (ऐनोरा फ्रिटर्ज) ने कटिन वरिश्य किया। हम इन सबसे हृदय से आभारी हैं। दृत पुत्तक का प्रावक्तन तिककर पाननीय न्यायपूर्ति की बार्गित् परिहार, ग्यायायीय, राजस्थान-उक्त्यायायाय, बोचपुर ने प्रस्थन प्रश्चेद कर हुने श्रीसाहन दिया है। हम प्रावस्थाय व्यायायीय प्रदेशिक के प्रति सारद हारिक प्रामार कर करते हैं भीर उनकी गुजकानायों, कियर की कृत व क्षेत्रित बाइकों के प्रोत्याहन कीर संस्कार से प्रतिकार में स्थाप अपार के स्थाप अपार करते की जन-सन्तर हैं।

धन्त में "मेरा मुफ्त ने नुख नहीं जो कुछ है तो सोर" की मानना के धाय हम इस पुस्तक को अनताजनार्यन को सादर समर्थित करते हैं।

नागोरी द्वार के कहर राम मोहत्ला रोड, जोधपुर १४ मगस्य १९६९

—कच्छवाहा एव दत्त

विपय सूची

I	म सस्य
त्रभावाय १ मासिक बनाम मजदूर—(Master Vs. Servant) [मालिक घोर मबदूर का सम्बन्ध १, रियोजन या नौकरी वा पर्य १, नौकरी या ठेका-मन्तर २, उदोन का पर्य १, वादमार का वर्ष ४-४]	
२ सेवा या काम की शर्ते—(Conditions of work) [मानिक की प्राणित और दुखायों ६, मबदूर या काम मानार की घातार्थे ७, सेवा या कार्य की शर्ते और कातून , स्वार्ध भावेग बनाना द, स्वार्ध आदेग के परिवर्तन या स्तोधन द, कैन्द्रार्थ कातून की शर्ते ६, दुकान व बाएज्य सस्याव कातून की शर्ते १०]	•
३. मोद्योगिक परिवाद—(Industrial Dispute) [भौद्योगिक परिवाद का मर्च १२, निपटारे के उपाय १३]	ŧ,
४. सञ्चासन व दुरावरण् (Discipline & Misconduci) [बद्रुवातन का महरद व वर्ष १४, दुष्तपण् का यर्ष व भेद १४, हृद्रवात के भेद १७ १६, दुष्तपण् के स्थित पद्मानिक-कार्यवाही २०, दुर्णाता २१, तिकारवर (पोधवती) २३, निकारवा (वीक्सी से विकास देता) २३, व्यव व्यव २४, व्यव को वाग २४, तीक्सी से वासी २४] ४. सञ्चासनिक कार्यवाही का साधार : सहज न्याय के सिद्धान्त —(Principles of Natural Justice)	t:
[परिचय २७, सहब स्थाय के सिद्धान्त २८, स्थायालय निर्णय २९]	71
६. बण्ड देने को विधि-प्यदेलु खांच-(Domestic Enquiry) [घरेलु बांच का महत्व क प्रावधान ३०, बांच प्रधिकारी ३१, बांच के रोहसन तिसम्बन (मोमतिना) १२, वण्ड देने की विधि-(१) मारीच पत्र मा दुराचरण की सूचना ३३, (१) स्पष्टीकरण-२४, (३) प्रवाण में साह्य (महादत) ३७, साह्य तेने की विधि ३७-३९, वेद ३६, दस्तवेचे महात्वत ४१, वमानी महादत ४२, वर्ष परीमा या विहर ४२, नाह्यों की मुताना ४४, (४) बांच-रिपोर्ट ४४, (४) मतिन पात्रा या निहर ४२, नाह्यों की महाना ४४,	₹4
 जियुक्ति या नौकरी देना—(Recruitment) [नियुक्ति का प्रथिकार १०, नियोवन केन्द्र प्रधिनियम: एके मतक १०; नियुक्तिया १२) 	¥.
 मीसीमिक मन्याय व मशान्ति—(Unfair Labour Practices & Industrial Unrest) [इप्रोक्ता का सर्व ६१, विकार बनाना था तम करता ४४, मन्यायपूर्ण वरीक ४६ महत्वपूर्ण न्यायास्य निर्मय १६] 	1
६ झन्यायपूर्ण निष्कासन—(Wrongful Oismissal) [बन्यायपूर्ण निष्कासत का स्वस्थ ४७, घोछोगिक परिवाद के शेहराव निष्कासन ४७, १था वे प्रावधान धनिवाय है ? ६१,]	21

	Į=	ामसम्बोकास्वरूपे व शर्व ६३, छटनीका स्वरूपे व शर्त ६४, छटनीव	
	कामदन्दी	में घन्तर ६५ कामान्दी का प्रतिफात (पृथावजा) ६५, छटनी पर	
	मुपावजा	६६ महस्वपूर्णं न्यायालय निर्णय ६७ ।	
8.8	तालाबन्द	ते भीर हडतान—(Lockout & Strikes)	Ęe
•••		शताबन्दी का प्रयं ६८, ताताबन्दी की मनाहो ६०-६९	
8.5	-	या बसाव—(Remedies)	40
• •		ग्राजिक से प्रार्थना ७०, व्यवहार स्वामालय में भरण ७१, उच्चन्यामालय	
		मौर लेलवाबिका ७१ दूररा उसय होने पर मी लेलवाबिका उवित ७३,	
		रा प्रशासनिक कार्यवाही भौर लेख ७४, महत्वपूण निर्खंय ७४, लेख स्वीनार	
	किये गये	७४, मस्वीकार किये गये ७४]	
		- परिशिष्ट	
181	राजस्या	न भौबोगिक नियोजन (स्थायो भादेश) नियम	७७
भनुसूची (१) मॉडल स्थायी नियम			50
(3) Irdustrial Employment (Standing Orders) Act 1946			٠,
,		l Rules 1946	٤,
(₹)	नियक्ति	ात्र का नमृतः	₹ o X
	-		10X-5
		trial Disputes Act 1947 (with Rajasthan amend-	
17,		and brief notes)	₹• €
		णिका एव शब्दावली (Subject Index & Glossery)	(1)
		संशोधन व भून-सुधार	
ष्ट्रप्ट	eto (पितः सरोधन	
٠,	t	९ के धाने जोडिये	
	-	"परन्तु विश कारवाने में शक्ति (पावर) काम में नहीं बाती हो, वहां	२० या
		पविक कामवार होने पर यह कानून लागू होता। राज्य सरकार रा	त्रपत्र मे
		विज्ञान्ति निकालकर किसी भी कारखाने पर इस कानून की सामू कर सकत	ो है ।
,		६ में पढिये — "वर्ष भर में २४० दिन काम करने वाले सबदूर को २० दिन के पीछे एक दिन ""	के काम

५१ २४ में पडिये—"भी यह शानून लागू नहीं होगा—"

क्रिया पूस्तक में निम्त संशोधन करने के बाद ही पढिये । कट्ट के लिए हामां ।

१० कामबन्दी ग्रीर छडनी—(Layoff & Retrenchment)

₹}

--- প্ৰকাশক

वरिचय

- १ मातिक भीर मजदूर कर सम्बर्ध ।
- २ नियोजन यानीकरी का मधा
- ३ नौकरी धाठेका चलरा
- ४ उद्योग'काश्रय।
- ४ 'कामगार' का मर्प ।

१ मालिक धीर मजदूर का सम्बन्ध-

जो किसी को पोजपार या गाम देवा है यह 'मासिक या नियोक्तक' (Master or Employer) होता है थार किने काम दिया जाता है वारे को सामिक के नियं काम करता है वह मबदूर जा कारनार या नोकर (Servant or Employee) होता है। पत्र ने गाने काम के प्रके बदने में पासिक तथा किया हुमा 'वेजन जा क्यार या मन्नही' ते हैं। यह रोजना को दर से (daily wages) हो सकती है या सम्माहित या मासिक। कई कारलाजों व सल्यामों में सन्ताह को सलाज दुनावान दिया जाता है धीर क्यों में महीने की मही का उनकी कोररी की माती कर नियं करता है। इस प्रवास कीररी की माती की सात किया है को उसकी कीररी की माती की सात करता है। इस प्रवास कीररी की माती की सात करता है। इस प्रवास कीररी की माती की सात की सात कीररी की माती की सात कीररी की सात की स

२ नियोजन या नौकरी का अर्थ (Employment)---

नियोजन या नौकरी देने के सिद्धान्त में सीन मूख्य धार्ते होती हैं--

(१) बालिक या निर्मोनक (Employer), (२) ओकर मा पानमार या निरोजी (Employee) घोर (१) निर्मोजन या औसरी की शांदवा या मतनामा (Contract) । सा दकार कोकरो मासिक धोर सम्बद्धर के शोच एक प्रसार का चाम करने का मतनामा है, निवर्ष गीकर मासिक के निवयण और निरोक्त में गीकरी करने, काम करने के निर्मे तैयार होता है। मालिक बहु होता है, जो केवल [किसी कामधार को कान करने का जहें घर हो नहीं बनाता, परन्तु जये निरंग (हुन्य) भी देना है या जसे काम करने का रास्ता (शायन) भी बनाता है। बहु काम पर नियम करने को गांत रमता है। नीटर बहु है, जो मालिक की माला से उसी प्रवार काम करता है।

३ नौकरोयाठेका धन्तर—

पान्तु यह नीक दी की मिविदा (हिना) भी दी बकार की होनी हू-(१) मौकरी का ठेका (Contract of Service) और (३) नीकरी के निने ठेका (Contract for Service) क्षांत्र में दे रही नी में भेड़ है, रहें हम सावारण आया में 'भोकरी' थीर टैका' करते हैं नीकरी करते बाता पीर या बाता पर हों हो है कि विद्या हमा करते बाता पीर या बाता मार्थ के प्रकृत करते का मार होंग है, रहें हु महावरी करते का मार होंग है, रहें पुरुष्ट दिवस करते का मार होंग है, रहें पुरुष्ट दिवस करते का मार होंग है तर मार्थ मार्थ करते का मार होंग है, रहें पुरुष्ट प्रतिक्ष करते का मार होंग है दिया हुमा काम करते के स्वाद है धीर नहां मार्थ करते हैं तर से स्वाद के स्वाद है कि न्यानिक करते की सिक पत्र में दे रखी है। दे सका मार्थ करते हैं कि न्यानिक करते की स्वाद कर है में हिंदी का मार्थ है कि निवस्त में मार्थ कर प्रतिक्ष (विवाद का नीकर) में मार्थ कर करते हैं में स्वाद में स्वाद में स्वाद कर है में हैं में सार है निवस मार्थ मार्थ मार्थ का मार्थ के मार्थ के मार्थ के मार्थ की मार्थ के मार्थ के

यदि एक मानिक ने एक नीकर रना थीर उने बहुत से लोगों को सतान-सनय बाम यर लगाने का बाम नीर दिया थीर उन नागों की ईमानदारी व दलना की निम्मेदारी उसे होत दो। इस दला में उन नोकर द्वारा लगाये गावे ने नोग उन मानिक के ही भीकर हैं। यह कहना हमेला सही नहीं है कि से मोत, नो एक टेकार द्वारा नगाये गावे हैं थीर उसी द्वारा हगाये जा सकते हैं किसी मो दला में सीसरी गार्टी (मानिक) क वासगार नहीं हैं।

षह प्रश्न दि⊸ारेन हिन्दा कामनार है, प्रश्नेक व्यक्तिगत मामने के तथ्शे के धनुतार ही निश्चित किया जा सहता है? ।

नौहरी के टेके में 'सानिक' का काम कोई मी व्यक्ति कर सक्ता है, जिये निसी कातून द्वारा ऐसा कृत्ने से न रोहा गया हो। 'सानिक' एक व्यक्ति, कोई सस्यान या निकास, सम, चाहे वह

¹ Sadler Vs Hemlock 4 E & B 570.

² Gul Bai Vs Pistonji AIR 1935 Bom 333, Sohan Siha Vs S I Raza ILR 26 Patna 542

³ Janardan Baswanin Vs D C. Amradi AIR 1957 Bom. 238

⁴ AIR 1357 SC 2-1, 1937 SC 444.

^{5 (1893) 1} QB 629

क्षणत्ट देहो या नही, मागोदार, ट्रस्टो ब्रादिकोई मी हो सकता है। ऐसे प्रत्येक मामलों मे यह एक कामन कोर सच्यों का मिश्रित प्रश्न होता है कि—माबिक कोन है कोर नोस्टकीन ?

कोई ब्यक्ति किसी दूबरे का काम या नौकरा करते हुए भी मनने स्वय का काम भी करता है, तो उसके दो रूप हो जाते हैं। कोशों को श्रीकरी में सनाने वाले सभी (मनीविश्वन) में एक विधित्र बात सह भी हो जाती हैं नि-एक व्यक्ति कानूनी स्थिति ने क्या भागना नौकर मीहे जाता है। यदि तिवसों में मनाही नहीं हो, तो एक बीक्ट मी किसी स्वय सांसोबास्टी का मागीदार (वेसर होस्डर) बन बकता है भी यह प्रयास स्वय का माशिक (Owner) भी हो अनता है।

इस प्रवार 'मालिक' धौर 'मजदूर' का सम्बन्ध समक्षता धावरवक है।

४ "उद्योग" (Industry) का झर्य—

"उद्योग" करूर राध्य विवादसपद रहा है। घोष्ठोशिक पश्चिमः स्विधितयम की प्रारा २ (वे) में यह इस प्रकार दी गई है —

'उन्नोत' से तस्त्रयं क्सी वये (Business), व्यत्तार (Trade), प्रतिराज (Undertaking), रिमांज (Manufacture) या, रियोजक का निवज्ञ (Calling of employers) से है और राम ने रामगारें की निमन्न या बुनाना, सेया, मीकरी, हसकता था धौद्योगिक ध्यया या प्रयोग समितिक है।

इस परिमाण को जानबुमूकर ससद्ने विमाल बनाया है, ताकि सब जयह वाकार बीर मालिकों के विवाद वे भगदी की मुलभ्याया जा सके। इस प्रकार इसने मालिक का कोई भी थाया जिल्लों कामनार मायिन, 'उद्योग' माना जावेगा।

े कुछ प्रहत्वपूर्ण निर्णय—

्रविवय जगरपालिका के शावते? में नगरपालिका के कार्य-विशाणों ने कर्मचारियों के निम्ने नगर-पालिका को उत्योग माना है। निवाकी कई निर्णयों से पुष्टि हो चुकी है। परग्तु बाद में देने यह माना पता है कि नगरपालिका पायतनी बोर्ट के के बंगचारा को किया वीद्योगिक सा पार्य-पोणोगिक विभाग का कार्य करते हैं, बार्याच्य का नहीं। में ही विभाग पत्रोगी हैं।

इसी प्रशार निधाल-प्रतिकानों के मानने में समुत्रधान केन्द्री पर नाम करने वालो के लिये ऐसे पेन्द्री को उद्योग माना गया है'। परन्तु एक विश्वविद्यालय उद्योग नहीं हैं⁹ भीर एक कर्मेंसी उद्योग मानी गर्द हैं¹। सापनाल के समृह्य सब के लिये उसे उद्योग माना गया है⁸। एक वक्कील या

¹ Coperative Dairy farming Society Union Ltd Vs W Bengal State AIR 1958 Cal 373

² D. N. Banerjea Vs P. R. Mukerjea AIR 1953 S. C 58.

³ AIR 1957 S C. 110, 1960 SC 675,

⁴ AIR 1960 Bombay 75, (1961) 2 FLR 298.

⁵ AIR 1961 SC 484

⁶ AIR 1963 S C 1873

⁷ AIR 1960 SC 1261.

^{8 (1960) 2} SCR 866,

नाई की दुवान, 1-1 बहुतारी दुरवारान, 1-2 तेन वितरण केट, 1-1 सामान सदान केट, 1-4 साह अधारत सुन, 1-5 करें, 1-9 सेन्सर पींक हाल र्रायार पहले) 1-7 साह कार्स-1-8 तथा सोहस्तर-1-8 ने न्यास्तरी ने उद्योग साला है। यरनू विकासिन-1-3 तथा नहीं साला गता है।

४ "कानगार" (Workmen) का खर्य-

- (१) चौधोगिक परिवाद प्रिनियम १९४७ को घारा २ (s) में 'कामगार' की परिमाया को गई है, जिसके खनुनार निस्त बसर्ते हमारे सामने घाती है —
 - र 'कानगर' एक व्यक्ति है जो प्रत्याती (प्रारेटिन-काम सी दने वाला) मी हो सकता है, जिसे किमी उद्योग में काम करने पर लगाया गया हो।
 - र काम के बदले मे उने माडा (मजदूरी) या पुरस्कार (Hire or reward) मिलेगा, जो ४०० ह० मातिक से कम होगा।
 - १ काम चाहे कुंगल (Skilled) हो या प्रहुवन (Unskilled), चाहे धारीरिक मेहनत का हो, देलमात करने का हो, तकनीकी हो या निसापनी का ।
 - ४ उनके काम की सर्वे निवित या प्रतिवित हो सकती (Express or implied) हैं।
 - ५ इन कानून के नहुत पीनीमिक फाउं को कोई कायवाही करने के निये वह व्यक्ति भी 'कामगार' माना आवेगा, जिसे उस फाउं के मामले मे श्रीकरो से हटाया या निकाल दिवा गया हो।
 - ६ परातु इन कारून में सैनिक मतुवानन की सेवामों के व्यक्ति, जेल व पुलिन ने व्यक्ति, या केवल व्यवस्था वा प्रधानन के लिये नियुक्त व्यक्ति "कामगार" नहीं माने जायेंगे।

^{9 (1959) 2} LLI 38

^{10 1949} LLJ 253 AIR 1955 Cal 515, 1956 Cal 530

^{11 (1956) 1} LLJ 596

^{12 (1956) 2} LLJ 61

^{13 (1954) 2} LLJ 656

^{14 (1953) 2} LLJ 742 15 (1954 1 LLJ 86

^{15 (1953) 1} LL, 1 R6 16 (1953) 2 LL, 1 273

^{17 (1951) 1} LL7 203

¹⁸ ATR 1964 SC 903

¹⁹ AIR 1951 SC 484-

^{20 (1960)} LLJ 633-

कुछ महत्वपूर्ण निर्णयः

स्वयत का में काम का ठेता लेते वादा व्यक्ति मी यदि उत्तरा मन्यन्य ठेता देने सचे से मालिक व मनदूर का है, तो बढ़ 'कावगार' है। 2' सदिवारों (नयक के ठेतेरारों) को सरीवन्यायान्य में 'कावगार' माता है? 1 सक्तिन का का विकास के तरिने के तरिने पर निवश्य करने ते सांकि जिनाने है, विदास माता है? 1 सक्तिन के सामित के नामित के स्वया करने वाला कि का नामित के स्वया माता गया है। 2' बोदों वाला के निये मानिक से तव्याकू भीर क्ला के बाहर दे बाला ठेतेया लागिक का एक एकेट है, व्यक्ति के नामित के सम्बद्ध है। 2' बोदों वाला के निये मानिक से तव्याकू भीर क्ला कर वाले बाहर दे बाला ठेतेया लागिक का एक एकेट है, व्यक्त के निये मानिक से तब्याकू भीर काल करने वाले उत्तरे वाला ठेतेया लागिक का एक एकेट है, व्यक्ति के स्वया है। यह उनके नीचे काल करने वाले उत्तरे वाला ठेतेया नहीं। यह उनके नीचे काल करने वाले उत्तरे वाला ठेतेया नहीं। यह उनके नीचे काल करने वाले उत्तरे वाला ठेतेया नहीं।

(२) कर्मवारी या नियोजी (Employee) का सर्य-

स्तृतनम मनदूरी प्रधितियम १६४८ की घारा २ (फ) मे दो गई परिमाणा ने धतुनार निस्न वार्त सम्बद्धी हैं —

- (१) कर्मवारी बहुश्वक्ति है, जिसे किमी कार्यको करने के लिये मजदूरी या पुरस्कार देकर रखा जाना है।
- (२) उतको मनदूरीकी स्त्रुनतम दरें शिवित को गई हैं, उतमे नम पर उसे नहीं पक्षाबासन्ता;
- (३) वह कुमल या धनुशल या शारीरिक या लिपिक कार्य करेगा
- (४) इममे वे व्यक्ति भी शामिल है जो किसी बनी हुई बीज को बनावे, साफ करते, पीने, बदलने, मुन्दर बनाने, सफाई या चमक लाने, मरम्मत करने पादि का काम करते हों।
- (५) इसमे सगस्य सेना का कोई मदस्य सम्मिलित नहीं है।

[कृषया मूल म प्रेजी परिभाषायें शन्त में 'परिशिष्ट' मे देखिये ।]

DOMESTIC .

^{21. 1963} LLJ 603, A1R 1957 S C. 104, 1951 LLJ 233, 1962 LLJ 341, ILR (1955) 15 Ra1 465

²² D C. Works Ltd Vs State of Saurashtra AIR 1956 S C. 264. 23 (1947) 1 A C. I (23)

J. K. Cotton Spg & Wvg. Mills Vs. Labour Appellate Tribunal AlR 1964 S. C. 737.

²⁵ D. M. Sahib Vs. Union of Bidi Workers AIR 1966 S. C. 370.

सेवा या काम की शर्ते

परिश्वय

- १ सालिक की फामायें और दुगशायें।
- २ सजदर या कामगार की श्रांशायें और दूराशायें श
 - ३ सेवायाकायकी शतें और कानून।

-

मातिक भीर मजूर का सम्बन्ध एक प्रमुख च पा ठेवा होता है, जिसमे लिलित भीर स्पष्ट या प्रतितित या प्रस्यक्ट देवा या काम को कतें होती है। इसके पहले हम मातिक भीर सजदूर की क्षाणाओं व दुरालामी का क्या करेंगे।

१ मालिक की भाशायें और दूराशायें--

यानित घपने सन्दूर से बया पाहुता है ? यह उसने शर्तनाना सा स्थाई बादेनी या नियुक्ति-पत्ति होता होता है। जिस तमहूर ने धपनी शेवार्वे दिनो स्थानित को ती ये है, उससे यह मार्निक कानून कीर शर्तों में नहूकर हो काल से सक्ता है। परंतु काम के साल्यामानिक धाने नीहर धा सन्दूर हे दूस ऐसी सी यासार्वे पत्ता है जो कि तेवा को गती में किसी है जैंगे—

- (१) सब्माव भीर लगत से काय करना।
- (२) सक्षमना से कार्य करना ।
- (द) सथमतास काय करनाः (दे) धाक्षरपालक व धनुगीयनः ।
- (४) मानिक या संस्थान की बदनायी हो, तैने कावी व गतिविधियों से पूर रहें 1

पैरानु वह बार मालिक कुछ दुराशार्थे या मनुवित माशार्थे व रने लगता है, जिनसे मजदूर की दुरा लगना है भीर किर स्वयं व सनवन गुरु हो जाती है, जैसे —

- १, अधिक समय तक काम सेना और उसका अधिक बेनन नहीं देना ।
- २ वसम्य व वयमानजनक वर्ताव करना ।
- ६ समय पर वैदन का चुकारा न करना या सनुवित कटोतियों या भेदे वसून करना ।
- ४ तन करना या बदला मेना (Victimisation)

२ मजदूर की द्याशायें व दूराशायें -

मनदूर हो भी ध्यनी धालाएँ धीर दृशकायें होती है वह धयने मानिक से धाला करता है कि — (१) वह उन्ने निश्चन सनय पर निश्चिन वैतन बुलारा वरेगा। (२) उन्ने मद्यावना धीर सम्मान के साथ काम पर रखा बारेगा। (३) उन्ने निश्चिन नयय या पटी दल ही काम निया जावेगा धीर धरिक पटी काम करने के निये मनदूर नहीं विधा नावेगा। स्वैच्या ने धिक पटी के साथ के निये धर्मक देतन निनेगा। (४) उन्नके नौकरी मुर्थिय रहें। (१) उन्ने स्वास्थ्यद बातावरण, निवास मुख्या व धन्य धनिवार्य नृष्टियार्य के मुर्थिय निया सुर्थ्या व

पस्तुक मो कमी सुविधार्मों की मान के नाग पर मजदूर मी दुधानार्थे करने लगते हैं भीर मालिक सकट मे पड जाते हैं. जैसे —

१ बोनम, मजदूरी या देवन बडाना ।

२. धविक सुविवायें देना।

इस प्रकार "मालिक धौर मजदूर का सम्बन्ध" पात्र के युग की एक समस्या मानी जाती है।

३. सेदा पा काम की शत श्रीर कानन-

इत पाता भीर दुरामाओं के विर्नेत जानर में कनश्र प्रोग्नीग्रह-गरिवाद (कार) वस्तन होंगे हैं, यह, उन्नी में बनाई नरते बाने कावनारों के निये मी सेदा या नाम की ग्यावपूर्ण गरी को नानूनी करिवा गया, जिनके निष्ण "धीन्नीग्रिक नियोजन (स्वाई पारेना) व्यक्तित्वस १८४६" में नता। दनके प्रतिन नेन्नीय सरानार ने "धीन्नीग्रिक नियोजन (स्वाई पारेन) नेन्नील निजम १८४६" नारी क्रिये गरे। विर्मित्त राज्य सरावारों ने भी राज्य के निष्ण "बोन्नीग्रिक नियोजन (स्वाई पारेना) नियम" बनावें हैं। राजस्थान में ऐने नियम सत्तु १६५३ में बनाये गरी, जो महनित हैं।

सर्वोच्च न्यायानय ने घरने एक निर्णय में भोदोगिक नियोजन (स्वामी मादेश) प्राथिनियम चा उट्टेरर नियोजन या कार्य की घर्नी वा होनो पतावारों (मालिक व मजदूर) की स्पष्ट सान देश माना है भीर जो घर्ने सदिदा (समझीडे) हारा होनी चाहिये थी, उन्हें बानूनो कर दिया गया है ।

यह कानुत भीर निवन केदन जाहीं जवीगों पर लागू किये गये हैं दिनमें मजहूरों की कम से कम सबता १०० हो (सारा ३ देखिये)। परन्तु कार-बरकार कारत (गजट) में कदि-जूबना प्रशासित कर देवें १०० वे कम मजदूरों वादे जवागों तर भी ताजू कर सबती है। यहां हम इनका सीराल परिकार देवें।

^{1 [}AIR 1963 S. C. 439

१ स्थायो प्रादेश बनाना-

काम या रोवा की कार्रे 'स्वाधी सारेश' (स्टेडिंग बाटर्स) में जिस्तित होती हैं। इसके निये राज्य सरकार ने 'बादर्स (नॉटल) क्याओं सारेश' जगात है, जिनके स्व पार पर माजिक स्वाई सारेस का प्रास्त्य (कुगरे) क्याकर प्रयास एक सिकारी (Certifying Officer) ने से मात् के सीवर मीवर पेस क्यांगा जिल बहु नियमानुवार एक्शक मादि मुक्तर प्रमाणुत करेगा। इस प्रमाणुत स्वायी मादेश की एक प्रति (पाणी) मालिक सबसे ज्योग में सब की मुक्तार्थ सरकारोगा। ऐसा नहीं करते बाते मालिक पर सारा १३ के सपीन २०० द० प्रतिदिन तक जुनांग

२ स्थायी प्रादेश में परिवर्तन या संशोधन-

एक बार स्वायी प्रादेश बना देने के छू माह तक उनमे कोई परिवर्तन नहीं होगा। बाद में मञ्जूर व मालिक दोनों के समझौते से इनमें संशोधक हो सकने, जिन्हे किर से प्रमाणांकन मधिकारी के नियमानसार प्रमाणित करवाता होगा।

३. स्वायो घादेशों के लागूहोने या ग्रमं करने के बारे में सम्बर्धन श्रम न्यायालय का निणय मोन्य होगा।

Y स्याबी सादेश में जिन शतों की सम्मितित किया जावेगा, वे सनुसूक्षी से इन प्रकार बताये गये हैं और निषमों की सनुसुकी में नमने के रूप से दिये गये हैं—

- (१) वासगारका वर्गीकरण ।
- (२) काम के घण्टे, समय, छट्टी, बेधन का दिन, मजदूरी की दरें-इनकी कामगार को मुख्ता देना।
- (३) पारीकाकायकमा
- (¥) हाजिरी भौर देर से माना।
- (४) छुट्टी (Leave) घोर धवनाग (Holiday) के लिये करी, सर्वी देने का सरीवा, मन्द्ररी देने वाने पणिकारी।
- (६) उद्योग में बाने के पाटक, तलाशी झादि की शरीं।
- (७) उद्योग या उनके मार्गों को बाद करना या बायम स्रोतना-पश्चाई रूप से काम बन्द करना---इसमें उत्यन्न मानिक व सबदूर के प्रविकार ग्रीर मोर्गे।
- (=) नीकरी समाप्त करना घोर उसके लिये सूचना (नोटिस) देना ।
- इरावरण के कारण मोमितानी सावश्वतिक्षी दुरावरण माने काने वाले कार्य सामुर्जे ।
- (१०) मालिक या उसके प्रतिनिधियों द्वारा प्रत्यायपूर्ण नार्यं तथा धनुनित व्यवहार के विदेख नामगार नो मदद के साथन ।
- (११) ग्रन्य बार्ते, जो वर्णित की जाने ।

कै दीय नियमों की बनुसूची (१) में जो सेवा या काम की बरी दी गई है उनमें राज्यों के नियमों

के धन्तर्गत बुद्ध परिवर्षन व सशोधन भी किये गये हैं। राजस्थान के विदर्भों को धनुपूर्वी में दिये गये धादत रूपानी शादेश सागे परिश्तिष्ट (१) में दिये गये हैं।

सेवा या कार्य की शर्तों के लिये बन्य कानून-

- (क) छंदटरी कानून के प्रयोज नियमों में कार्य के घटों, परिस्थितमों सादि का वर्णन किया गया है।
- ये भाँ द्वत कारवानों (केस्टारे) पर लागू होंगे, जिनमे १० या प्रियर कामगर काम करते हों । वहा योजीगक नियोजन (स्थाई भादेश) भावनियम १०० या इससे मिक्ट कामधार होने पर लागू होता है, वस्तु बहु केस्टारे एका को स्त्रों केसन १०वामधार होने ही लागू हो आहा है, यह प्यान हैने की जाता है।

इस कान्त की मुख्य मुख्य शर्ते इस प्रकार हैं---

- (१) बाम के राये—(पायान १) एक सबहुत सावाह में प्रवास हो से प्रविक्त बाम नहीं बरेगा। स्वताह में एक दिन हुने होगी। यदि हुने के दिन्न साम करे, तो उनके बरते की सुदी किसेशा। एक बारासाने में एक सबहुत प्रतिदित १ पाये है। प्रीप्त बार्ग नहीं करेगा सौर १ पाये काम करते के बाद बस से कम सावा पाये का विकास दिया वायेगा। विधास प्रतिप्त काम प्रतिक्रम से में १०३ पाये से प्राप्त नहीं होंने। स्विक काम के नित्य को दुस्ती दर से मददूरी मिलेशी।
 - (२) प्रवकारा --वर्ष मर में २४० दिन कान करने वाले पजदूर को १२ दिन के काम के पासे एक दिन और बच्चे को १६ दिन के पीछे एक दिन का सबैउन प्रवकार मिनेता।
- (३) महिला (त्री) धीर बच्चों की कान पर लगाना चरा ६६ के प्राचीन मुदरू ६ बजे से साम ७ वर्ष के समाया निली स्वी मजदूर की काम पर नहीं मनाना बारेगा । १४ वर्ष से कम बागु के बातक को कारवाने में साम पर नहीं पना बारेगा । उनके दिन मर में भूडे पन्टे से प्राधिक काम नहीं निला बारोबा भीर वह राज की सामी के काम नहीं करेगा ।
- (Y) मुक्तियायें—स्वास्म्य, मुख्या घीर बम बस्ताम-ये तीन कानूनी मुक्तियायें हर एक कार-कार्त में होनी प्रावसक है।
- (क) स्वास्त्य-मानाय (१)-मजिनित सकाई होगी, प्रति सप्ताह दुनाई होगी, प्रतिक दू सर्व व कम एक बार करेडी या बारिता करागी होगी। पत्ती नहीं रखी बांकेगी। कारखाने से गुद्ध तम् बातमान नियमए रखा जावेगा। पूर्वी व बुदा व नशी पर मी नियमए होगा। पुरा कारखानों में प्रति मजुदूर देश कानुद कीर नवें कारखानों में प्रति मजुदूर १०० वर्गुकुर स्वात्य वावेगा। प्रत्येक २० छोट के स्थान पर शीने का पानी होगा भीर २१० मजुदूर होने पर कुनव (शीवक) स्थाया बावेगा। टूडी व पैसाव पर बनाने व मदीन मनव मनय होंगे। पुरदान नामके कारेगे।
 - (स) मुरक्षा के लिये प्रध्याय (Y) के प्रमुखार प्रवन्त्र किया वावेगा ।
 - (ग) यमहरूपात हार्यों हे तिये सम्माय (१) के मनुसार नहाने-योंने, प्राप्तम के समय बैटने, इस्टेंग्टर, केस्टोन, मोजन के कमरे, १० घीराई हों हो बच्चाघर की स्पतस्या मी की जांत्री ।

इन कार्यों केन करने पर मालिक के विवद्ध मुक्ट्मा धनेगा और उसे टण्ड दिया नावेगा। सन्दाय (१०)।

(त) दुकान व वाशिज्य सस्यान कानुत्र में सेवा की शर्तें-

दाजस्थान से इस कानून के झन्तगत निम्न शर्से दी गई है-

- (१) नाय के पार--पारमाय (१) ते भारा (७) वे धार्यन प्रतिक है साधिक र पार्टे प्रतिक साधिक है साधिक र पार्टे प्रतिक साधिक तो साधिक साधिक साधिक का प्रतिक साधिक साधिक साधिक का प्रतिक सी प्रकृतिस्ति के साधिक सा
- (२) धारा (१२) के प्रतुपार निश्चित दिन को साप्ताहिक छुट्टी होगी और सस्यान अन्य इतेगा।
- (१) घटनाय (४) घारा १४ के मनुसार एक कर्मचारी की वर्ष से २४० दिन भा भाभिक दिनों के सिरो वाम करने पर वयस्क (पूरे) ध्यों कि की १२ दिन के पीछे १ दिन भीर बच्ने की १४ दिन के पीछे एक दिन वा सदेनन घनवाल निनेता।
- (४) घटनाय (६) की मारा (२६) के सनुसार १२ वर्ष से काम के बच्चे को नीक्षर रखना मना किया गया है। धारा (२२) म महिला कमलारी या १२ से १४ वर्ष की मायु के बच्चे को रात को बाम यर लगाना नना है। धारा (२६) में बच्चा पैया होने के यह सरलाह के यहने किसी महिला को बात वर्ष नेना नना है। धारा (२४) महिला को प्रमुति धवराल बच्चा होने के सा सरलाह वहने से लो का प्रविचार है। धारा (२४) व (२४) में प्रशिवाल में मार्ग का वर्षना होने है।

दम बालून को समानते पर घदालत म मुबद्दमा चलाकर २४० ६० तक पहली बार जुर्माना किया जा सबता है घोर बाद म दूसरी बार जुर्म करने पर ४०० द० तक जुर्माना दिया जा सकता है। ११७७ सरकार राज्यप में स्राधिमुखना जिस्तकर ही दून कहीं को दिसी नगर वा दोन में सागु कर

ĝ i

ह ।

(त) पुनतम मनदूरी कानून में भी कार्य, मनदूरी कीर प्यानतम बेतन की क्यों की लाँगे रसी

गई है—बारा (१२) के मनुंतार सरकार द्वारा निश्चित पुनतम मनदूरी देश मानश्क होता ।

पारा (१३) भीर निषम (२४) के मनुंतार काम के पार्ट निश्चित होते, भी कारकाना कानून के

पानत है।

सान है।

विकास है।

हिस्सी स्वान है।

क्छ महत्वपर्श निर्शय —

कोदोन्कि परिवार समिनियम भीर सीदोनिक नियोजय (स्वाई सार्देण) समितियम में कुछ बातें समान है परानु दोनों ना क्षेत्र समान-समय है। यो मॉडल स्पाई सारेण की कुछ गरी दिशो स्पाई

¹ Rohtak & Hissar Diatt Electric Corpn Vs. State of UP AIR 1966 S. C. 1364.

भादेश में बदली भी की जा सकती है। पर तु उसका प्रमाणांकन होना भावव्यक है। व प्रमाणांकिन होने के बाद स्वाई बादेशों की शनों से मालिक भीर उसके मजदूर दोनों बाधित हैं। (अर्थात उनकी इन्हें मानना पडेगा।) यदि फिर भी कोई शत मन्तित हो, तो इनके लिए "मौद्योगिक परिवाद" उठाया जा सकता है। भीचित्य के बारे में प्रमाशासन के समय मजदूरी की महमनि होने पर भी ऐमा भोद्योगिक परिवाद उठाया जा सकता है। यदि किसी परिवीक्षाधीन (Probationer) को छ माह के बाद स्थाई नहीं किया जाने, तो वह परीक्षाधीन ही माना जावेगा । उ छड़ी की सविधा पराने व मये सभी कामगारों के लिये समान होती चाहिये। इनमे भेदमाव अनुवित माना गया है।

पायालयों ने सेवा या काम की शर्तों में होटलों में इनाम (Tips) व नाश्ने की मृतिधा व त्तपासियिको व मजदूर के महयाई मतें मे प्रतर को मी शामिल किया है

[नियुक्ति-पत्र का नमूना झाने परिशिष्ट मे दिवा गया है, जिन कारवानों मे १०० से कम मनदूर है, वहाँ नियुक्ति पत्र में 'काम की शतें' प्रवश्य लिखनी चाहिये, जो "फरदरी कानन" के चनुगार होंगी ।]

- BZ24 --

⁽²⁾ Abid and ACC Vs P D Vyas AIR 1960 S C 665

⁽³⁾ Express News papers Vs Workmen AIR 1904 S C 806.

⁽⁴⁾ R B Dewon Vs Industrial Tribunal AIR 1963 SC 630. (5) Wengers Vs Workmen AIR 1964 S C 864

⁽⁶⁾ Mc Leed Vs. Workmen AIR 1964 S C 1449

⁽⁷⁾ Greates Cotton Vs Workmen AIR 1964 S C 689

श्रीद्योगिक-परिवाद (Industrial Disputes)

परिचय

- १ "धौतोतिह परिवाट" का बर्ष।
- २ निषदारे के जपाय---

-

"धौबोगिक परिवाद" का धर्थ---

"बीवोगिक परिशद ग्राविनियम १९४७ की बारा τ (k) में "बौचोगिक परिश्वाद" की परिक्रमाया इस प्रकार दो गई है o

"बीबोजिक परिवाद" से तारश्ये मालिक या मजदूरी या मालिक या कालगारी के बीच किसी विराद (dispute) या मनजेद (difference) से हैं को देखते वर्गक की नियोजन (नीकरो) देना या बेकार रखना या नीकरो की सतों या स्थव को गतों से सम्बन्धिया हो।

इन सम्बन्ध में हम 'उन्नोग' व 'कानगार' का समें पीछे सक्याय (१) में बता पुरे हैं। यहाँ यह रास्ट समझते की बात है कि →

- (१) यह उद्योग से सम्बन्धित परिवाद है।
- (२) इसमें विदाद या सत्रीद है।
- (३) जो किसी स्वक्ति को भीकरी देते, वेहार करने या हटाई, नीकरी या यम की शर्ती से सम्बन्धित है, और
- (४) यह मानिक व मंजदूर या कामगार तथा कामगार व कामगारों के बीच की परिवाद या मनभेद है।

इन बानून की बारत २-कं के बयोन कियो असितान कामगार की मौकरी मामान्त करने, ह्याने बीन्ती वर्ति कर सम्बन्ध भी "बीचीरिक वरिवार" माना क्या है, याहे महदूर वह या पन्य कामगार कने पनकार हो या नहीं। इसने प्रयोक समदूर को करवल दिया गया है, वो सम्ब कमवारी की भी प्रान्त नहीं हैं। ऐसे औदोबिक परिवाद की दता में भौदोगिक शान्ति बनाये रखने के लिये इस कानून में प्रावधान रहे गये हैं, उपाय बताये गये हैं, जो इस प्रकार हैं—

निपटारे के जपाय---

 मोदोनिक माति बनाये रखते के लिये (०० या इससे प्रिक्त मनदूरों बाने उद्योगों में "नार्य समिति" (Works Committee) का सठन धारा (३) के प्रयोग किया जायना ।

२. ऐसे परिवादों को निषदाने के लिये सम्पर्क विधिकारी (Conciliation Officers) पारा (1) के प्रवीत द बारा (1) के प्रयोत सम्पर्क-मण्डल (Board of Conciliation) की निवृत्ति व स्थानत की वायेगी।

३. ऐसे मामलों में सरकार जान स्यायालय(Courts of Inquiry)गठित करेगी (घारा ६) ।

४. श्रम-न्यायालय बारा (७) के भ्रधीन गठित होते, जो निम्न कामें करेंने —

(१) स्थायो छादेश के प्रधीन स्थित मालिक ने जो माज्ञाया मादेय दिया वह कानूनी उचित है या नहीं।

- (२) स्वायी ब्रादेश को लागू करना व उसका धर्म वरना।
- (१) मजदूर की नौकरी समाप्त करने, हटाने, बाग्त स्पाने या गलत रूप से हटाये मजदूर को मदद करने के मामर्ती पर निराय ।
- (४) विसी परम्परागत छूट या मुविधा को समाप्त करने के मामने ।
- (१) दिसी हडताल या तालाबन्दी का गैर कानूनी या कानूनी होने का मामला,
- (६) तीसरी प्रमुख्यों के घषीन जो मामले ट्रिब्यूनल को बार्वेग, उनने धलावा भन्य सब मामले ।

१ पारा ७ क, स, एवं गंभे द्वियूनल को ध्यवस्था की गई है जे निम्न कार्य करेकी — (पञुत्रको - क)।

१. मनदूरी (Wages) ग्रीर उनके चनारे ना समय व तरीना ।

२ धनि प्रकमताब ग्रन्थ मते।

ै काल के घटेव विधास काल ।

< सवेतन छड़ियां व सवकाशः।

k. बोनस, लागांस, प्रावधायी विधि व निवृत्ति पुरस्कार (ग्रेब्यूनी) (

६. स्यायी ग्रादेशों के विपशीत पारी चलाना ।

७. ग्रेडों में वर्गी करण।

🗷 घतुशासन के नियम १

९ समुचितीकरण (rationalisation)।

कामगार को छटनी और सस्यान को बाद करना ।

११. कोई धन्य मामले, जो निर्देश्ट किये जाहें है

६ यदि कोई मालिक काम की शतों में सशोधन करना चाहे, तो पारा ६-क के प्रधीन उने प्रमावित होने वाले कामगारों को इनकी मुबता(नोटिस)देने के २१ दित बाद हा ऐसा करना होगा ! ये विषय मनुसूची (४) में दिये गये हैं, जो इस प्रकार है:--

१. भजदूरी व भूगतान का समय ।

२, मालिक द्वारा प्रावधायिक निषि (प्राविडेन्ट फण्ड) में या पेन्शन में संशदान जो देय है।

३. क्षति पुरक तथा धम्य मत्ते ।

४ कार्यं के घण्डे व विश्राम का समय ।

१, सरेतन भवकाश य छड़ी।

६, स्याई ब्रादेश के दिवरीत पारी गुरू करता, बदलना या बन्द करना।

७, वेतनमानों का वर्शीकरण ।

द. किमी परम्परागत छुट या मुबिबा या प्रयोग में परिवर्तन या उसकी समान्ति ।

६, नवे निवम, बनुशामन, निवसों मे परिवर्तन बादि करना, जो स्वाई बादेश मे वर्णित न ही ।

१०. कामगारी की खटनी होने वाले नये तरीकों या मशीनो को प्रानाना ।

११ कापनारों का सकता ये वद्धि या छंटती ।

७. मौबोगिक परिवाद के उठाये जाने के बाद किसी वामगार की धारा (३३) के सधीन मालिक द्वारा दण्ड नहीं दिया जा सकेगा और काम की शतों मे कोई परिवर्तन नहीं होगा ।

इस प्रकार धौथोगिक परिवाद के निपटारे के लिये व्यवस्था की नई है ।

श्रध्याय (४)

श्रनुशासन व दुराचरण

(Discipline & Misconduct)

परिचय

- १ प्रमुतासन का महत्व व धर्य।
 - २. दुराचरए का झर्य व मेद।
- ३ दुरावरण के लिये धनुशासनिक कार्यवाही।

~~~~~

धनुशासन —

प्रत्येक सत्थान में उसके कानगारों में प्रनुतासन होना एक महत्वपूर्ण बात है। प्रनुतासन सह्प्यन्तार व व्यक्ति नियमण पर प्रिकि निर्मर करता है, न वि कठोरता घोर कानून पर। किर मी प्रनुतासन होनता को रोपने के लिये कानूनी तरीकों की काम से लेना प्रावसक है। इसके पहुंचे की प्रावसक है। इसी प्रमासन किर्मर को किर्मा कोई को प्रवाह नेता प्रत्येक है। इसी प्रमासन के स्वाह की प्रावसक है। इसी प्रमास नद्गर या कानगार को भी पता होना पाहिये कि वसे किस प्रकार प्रमुखानन में रहता है पोर की स्वतंत्र करता है। इस प्रध्याय में दनवा स्थान स्वाह का स्वाह का प्रावस्त्र है।

घनशासन से सीन बार्ते भार्ती हैं —

- (१) मैनेजर या मालिक की बाजाका पालन करना :
- (२) भवने काम को पूरा करना व नियमित रूप से काम पर धाना ।
- (३) मालिक के कार्य व मात्रा के प्रति सद्भावना रखना यानी विश्वास पात्र होना ।
 इन तीन शर्वों को न मानना या इनको टासना धनुवासन हीनता है ।

दुराचरण का श्रर्थ व भेद

(Meaning & Kinds of Misconduct)

"दुरावरता" से परं-- "अनुजासनहीनता के प्रत्येक कार्य या भूल से है।" दुरावरता एक अनुचिन धावरता है, जो सिद्ध करना होता है, दसे अनुनान से नही माना का सनता ।" "दुरावरवा" का वर्षन आँटन स्वायी धादेगा में दस प्रकार किया गया है:---

- (1) AIR 1960 Bom. 344.
- (2) राजस्थान मॉडल स्थायी भादेश सब १० (२) एवं केन्द्रीय मॉडल स्थायी भादेश संव १४ (३)।

निम्नतिस्ति कार्यं भीर भूते दूराचरण माने जावेंगे ---

- (क) कोरी, कपट या मालिक के बाचे था सम्पत्ति से सम्बन्धित बेईमानी :
- (स, किसी उच्चापिकारी के किसी कानूनी या यमोखित माता के लिये जानबुक्तकर की यथी मदला (Insubordination) या मदलेनना (न मानना) काहे मकेले द्वारा या दूकरों के लाम मिलकर।
- (स) मानिक के सामान या सम्पत्ति को आनवूशकर तोडना या हानि पहचाना ।
- (ध) भ्रवेष लालचमा घूस लेना यादेना।
- (इ) दिना छुट्टी बारतन गैरहाअरी या दिना छुट्टी १० दिन से ब्रियक की गैर हाजर ी।
- (च) बादतन देशी से बाना।
- (छ) सस्थान पर सागू विसी कानून को आनवूमकर तोडना।

सत्थान के काम के कमय में उप (भगडाम्) या प्रव्यवस्थित व्यवहार (Rostous or disorderly behaviour) या प्रमुक्तसम विशेषी कार्य !

- (अ) भारतन सापरवाही मा काम को मुला देना ।
- (ङा) माहर्मे मधिक से मधिक २ प्रतिशत क्षुमीना हो, ऐसे कार्यया मूल को बार बार करने पर।
- (द) जानबुसकर काम को शिविल (डीला) करना (कम काम करना) या उसके लिखे आनबुसकर दूसरों की मड़काना या तैयार करना ।
- (ठ) कामगार द्वारा संस्थान में काम के बोहरान सीको हुई किसी प्रक्रिया (तर्थके) को बातें क्सी सनाधिकत क्यकि को बना देना।
- (इ.) सस्थान की सीमा में बुद्धा खेलना।
- (ह) जहां पूर्णत मना हो, वहां घूछपान करना ।
- (ण) कानून या कानूनी नियमों को सोडते हुए काम वर हड़ताल करना या दूसरों को हड़ताल करने के लिये भड़काना।

देन प्रकार के दुरावरको पर ग्रावार दो बातें हैं ---

- (१) मासिक के प्रति विश्वास पात्र व हैनानदार नहीं रहना धौर
 - (२) नौकरी के निर्ये प्रपने कार्य या व्यवहार के सदान (fit) नहीं रहना !

इन्हीं ही बातों के भाषार पर बेन्द्रीय मीडल स्थायों भारेशों में ११ दुराचरण बताये तमे हैं, किन्हें राजस्थान के नियमों में बमाकर १४ दुराचरण बताये गये हैं, जो उसर बताये गये हैं। चोरी, कपट या ।।तिक के घन्ये या सम्पति से सम्बन्धित वेईमानी—

हिसी भी नारमाने वा कामगार इन प्रत्यायों के कारणा नीकरी से हटाया जा सवता है। उनके विकट प्रत्याय का फीटदीनो मुक्ट्या भी चलाया जा सकता है। साथ ही उसे नीकरी से विकासने के निये विमानीय बोच की का सकती है।

२ प्राप्ता न मानना--

जद कोई नोक्सी करता है, तो उसे मासिक की बाजा माननी हो होती है। सस्यान वा कारक्षाने के निवसों का जानदुक्तर पालन नहीं करता दुगायरण है। किन्तु आज्ञा कानूनन होनी चाहिये। एक नोकर व्यवेष धोर अनुचित बाजा मानने को बादन नहीं है। विद्या के अतिकृत या समार ते प्रविक्त पालि से काम करने की बाजा यानना अकरी नहीं मानों गई है। वहां बीकन को सता। हो, वहां धाजान मानना दुरावरण होहै है। किन्तु स्वायी धारोों में बाँखत बातों पर जीवन व्यक्ति की आज्ञा नहीं मानना दुरावरण है। किन्तु स्वायी धारोों में बाँखत बातों पर बहु जानिक की धाजा नहीं मानना दुरावरण है। क्या सेंब का प्रवाधिकारी होने पर प्रवि वह जानिक की धाजान साने धोर दुर्धवहार करे, तो यह 'दुरावरण' माना गया है।

(३) मालिक की सम्पत्ति की तोड फोड य हानि-

एक कामगार का पहला करेंक्य प्रते मालिक की सम्यक्ति की रहा काना है। यदि वह जान-कुफकर उतकी सम्पत्ति की हानि पहचाता है, तो यह गमीर दूरावरण है।

(४) भवेष लासचया घुँस लेना-

इनसे भी मानिक को हानि होगी है। इसके निये प्रमाण होने पर दिसी कामगार को नौकरी से निकाना वा सकता है। यह सरकारी कर्मचारियों के निए प्रचराध (फोबरारी मुन्द्मा) है, पर सनदुरों के निए गही, परन्तु उसे मानिक हटा सकता है। 4

(४) लम्बी गैरहाजिरी-इससे मालिक का काम कक जाता है भीर उसे हानि होती है। यह लापर-वाही से जानबुक्रकर आजायानन नहीं करने से द्रावासा है।

(६) मादतन देरी से भाना-यह मी स्पायी भादेश के विरुद्ध भावश्या है।

(७) कानून की मबहेलना-जब कामणार संस्थान पर लागू कानून को ताडता है, तो उसवा कल मालिक मुगतता है भीर उसे गीचे देखना पटता है। इमलिए यह गमीर दुरावरण है।

(ब) (अ) से (ठ) तक प्रवने घाप में स्वध्ट हैं।

(६) गैर कामूत्री हड़ताल-

चक्रोगों में हडताल करना स्थायी मादेश द्वारा मना किया गया है। मौद्योगिक परिवास

¹ AIR 1930 T C. 110

² AIR 1966 S C. 1731.

^{3.} AIR 1957 S C 7. 4. 1952 F J 224

't= 1

यचिनियम १६४७ की चारा २ (q) म हडतान (Strike) का धर्य बनाते हुए तीन कार्ते .स्पष्ट की गई हैं —

(() इसमें कई (बहुत है) मजदूर शामिल होये ,

.२) जाम करना बन्द कर देंगे या काम करन से मना कर देंगे. घौर (३) कामगारों की घोर स यह एक सबुन्त या निश्वित कार्यवाही के रूप में होगा ।

कुछ महत्वपूर्ण निर्णय-

(क) हदतात तहाँ -काम शक्त करने मं कामगारों त देशो की, परस्तु काम बस्द नहीं किया । इसे हहतान नहीं माना गया । मनदूरों न घत्रण सत्तम छड़ी की सर्विया दा और उनकी छड़ी नहीं दा गई । वे काम पर नहीं बाप, पश्नु इस हहतान नहीं माना गया ।*

√ (च) हरतात है – रदिवार को कम पर माने के निए भनिरिक्त मधा मिनता है भौर मन् ग्राम रिवान है। इमलिए रविवार की मा हहतान हो सकता है। इस्तान बोड या अधिक समय के लिए हो सकती

है। बोड समय से कामगार का दराभरण कम नहीं हो बाता । कामगारों द्वारा संयक्त कर स काम बन्द कर देना व बाला न मानना, चाह बाव घरे के लिए ही वर्षों न किया आय, यह हैंदताल है।" हडनाल के मेर -

हरनाल कई प्रकार की होती हैं भीर इनके नये नये तरीके निकाले जाने हैं। बाम बन्द कर कारवाने में बैठ जाना न मूद काम करें न करने दें इन चरना या बैन्ना (Sitting down or Stav in-Strike) वहते हैं । वर्ष भाग इसे फीबनारी धनाधिकार प्रवा (Crimi-

pal Trespass) मानते हैं परन्त मनीवन न्यायासय न इसे यह प्रपश्च नहीं माना है 1° इसी प्रकार कतम रोको (Pen down) थाम काम करो (Go slow), दुनरों का महानुमृति म एक प्रताना मन (token) हरताल- य नई रूप है। बाबदल 'घराव" हरताल का गुरू नया कर है. विमय किनी प्रविद्याश या मानिक को धरहर तंत हिया जाना है।

हडताल का अधिकार -श्रम-कानुन म हरनात एक बैच धविकार माना गया है, श्री महिवान के सन्बद्ध १९ के समान साना है। परानु यह समिकार करन कामनी हडनाम का है ही। इसे विद्यादिका कम मो कर सकता है।

घोदानिक पश्विद समिनियम ११४० र सद्याय (१) में थारा देन व नह महदनान पर रोक नगन का प्रावधान मा है। मारा २४ में धर्वेय हडतान का बगुन किया गया है।

¹ ATR 19'6 AT 6-4

^{2. (1954) 2} L.L.1 656.

^{3 (1959) 1} LLJ 567 4 AIR 1957 S. C. 871.

⁵ AIR 1953 SC 471 AIR 1959 Patna 51 6- AIR 1960 SC 169

श्रद्याय (५) हड्ताल और ताला वन्दी

पारा (२२) हडताल व ताला वन्द्री का नियेघ:-

- (१) जनताकी उपयोगी मेवाओं में लगाकोई व्यक्ति सर्विदाका उल्लंघन कर हटनाल पर नहीं जावेगा-
- (क) हडताल से पहले छ सप्ताह का नीटिस मालिक को दिये बिना, जैमे मापे बताया यया है, या
 - (स) ऐसा नीटिस देने के १४ दिनों में, या
 - (ग) मोटिस में बताये गये हडतान के दिनांक की समाप्ति के पहले. या
- (थ) किसी सम्पर्क पश्चिकारी के सामने समझीते की कार्यवाही विचाराधीन होने पर तथा उसके निर्णय के ७ दिन बाद में। x

घारा (२४) प्रवेध हडताल -

(1) एक हडताल धर्वंच होगी, यदि→ (1) धारा २२ मा २३ के विपरीत हो या घोषित की गई हो या (11) धारा (१०) के लग्ह

×

(३) के समीन जारी साजा को तोडकर उसे जारी रला जावे । fs

> × × ×

इसी प्रकार बारा (२५) मे ऐसी धर्वय हडनात के लिए धार्यिक सहायदा देने से मना किया. गया है । माने भारा (२६) में मर्देश हडतान करने वाले कामगार को एक माह की सजा या ५० रू जर्माना किया जा सकता है। हदनाल में महकाने वालों को धारा (२७) में ६ माह तक की समा या एक हजार रूपये तक जुर्माना या दोनो का दण्ड दिया जा मकता है। अवैध हडताल के लिये प्राधिक सहायका देने वाले को घारा (२०) के धनुसार ६ माह तक की सबा या १००० रू० तक वर्माना स दोनों निये जा सनते हैं।

इस प्रसार बिना जीवन नोटिस दिये की गई इडतास वैष नही होती।

कुछ महत्वपुर्ध निराय— 🆊 प्रवेश हहताल एक प्रपराध है। मत गुन्ह्मा चलाने के बाद ग्रदालत मुन्दमा बायन लेने से मना मी कर सकती है। कोई हडताल त्यायोचित ची या नहीं, यह उसके सच्यो पर निर्मर है। यदि एक हडनात मर्वध घोषित की गई, तो उसके त्यायोचित होने का प्रथन नहीं चठना । केवल मबैध हब्ताल मे माग लेने पर ही एक कामगार को नौकरी से निकाल देता, उचित नहीं होगा ।"

17 F.W

1 17

मकार द

⁽¹⁾ AIR 1960 S C, 1258 (2) AIR 1960 S. C 219.

⁽³⁾ AIR 1956 S C 311, 1959 S C, 629.

'दराचरण' के लिये अनुशामनिक कार्यवाही

(Disciplinary action for Misconduct)

मानिक हारो किमी मजदूर को जमके दुशबरण के लिए स्टब्ट देने की जो कार्यवाही की जाडी है. उसे 'मननासनिक कार्यवाही'' कहते हैं। इसक तीन पन होने हैं —

- (१) कारण या भाषार-दुरावरण ।
- (२) दुरावरण की जान-परेन् जांव ।
- (३) दण्डकी मात्राव भेद ।

हम कारणों या दुरावरणों का वर्णन कर चुके हैं। धरेनू-बांव का पूरा वर्णन हम समने सम्माद में करेंगे। महां हम दण्ड की मात्रा व भेदों का वर्णन करेंगे।

दण्ड के मेद--

मानिक क्या दण्ड दे सकता है, यह स्थाधी-मारेग को तानों में दिया होना है। यदि सस्यान वा कारकारता होटा है, तो भी 'सहन्याय के मिद्रान्तों' के मनुवार मानिक को कार्यवाही करनी वसेगी मीर उन्नके पत्तत हारी के कारण जने हानि उठानी पडेगी। दमनिये प्रत्येक मानिक को सावधानी से ही कदम उठाना कार्यित

'बेन्द्रीय मॉडल स्वायी आदेग'' की गर्त स॰ १४, जो "राजस्थान मॉडल स्वायी आदेश की वर्त स॰ १५ है में तीन प्रकार के दण्डों का बरान है'—

- (१) प्रयंदण्ड या जुर्माना या वेतन में से कटौती या दसली।
- (२) नितम्बन (मोर्मातनो)।
- (३) नीकरो से निशाल देना--निब्शासन व्या बर्लाहतगी ।

हिन्तु इनके सलावा भी सम्य प्रकार के देण्ड कोई सत्यान या काण्याना सवनो सेवा की जनों या त्यानी पादेज में सम्मितित कर सकता है, जो निज्य हो सकते हैं ---

- १. पश्निन्दा या चेतावनी (Censure or warning)
 - २ बेनन वृद्धि रोहना (Withholding of increments)
 - 1 परोप्रति रोक्ना (Withholding of promotions)
- ४ पदावनति (Reduction in rank) -पद सम कर देना !
- र सेवाण्युति या नौक्री से हटाना (Discharge or removal), जिनके प्रजित्त साम जमे सीटा दिया जावेगा।

राज्य क्षेत्रा में इन दर्शों के गारे में नियम बने हुते हैं किन्तु ज्ञातेन या कारकाने को काम को सत्ती या स्वायो स्वादेश में क्षामिनित करने पर हो से दर्श किसी कामनार को दिने जा सकते हैं। इस प्रकार हुन रे-1-र=- प्रकार के दर्श हुने।

हुम बहा इतका बर्णन करेंगे।

- (१) अर्थदण्ड या जुर्माना या बेतन में से क**ौ**ती मा बसूली---
 - (क) मॉडल स्वायी नियमों 🕻 में इनके लिये तीन शर्ते रखी गई हैं
 - (१) दिसी कामगार या मजदूर ने कोई ऐसा काम या भून (any act or ommission) की हो, की 'दूराचरण' हो।
 - (२) इसके निये उसे मजदूरी चुकारा प्रतियम १६३६ की धारा ट की उपपारा (२) के प्रधीन नीटिस दिया बावेगा !
 - (३) एक माह में उसकी मजदूरी के २ प्रतिज्ञत तक जुर्माता विया जा सक्ता है।

इन तीनी बती के पूरा होने पर ही जुमाना किया जा सकता है भीर माजिक सनमाना जुमीना नहीं कर सकता।

(स) ग्यूनतम मनदूरी प्रधिनियस १९४० तथा उसके मन्तर्गत प्रपत्र स॰ (१०) नोटिस सक्या (२) वे (४) अूर्माना एव कटोशियां गीर्यक मे निम्न वार्ते बताई गई हैं —

नियमों द्वारा या उनके समीन प्रापिकत किये गये को छोड़कर मजदूरी में से कडी तैयाँ नहीं को कार्येगी। मजदूरी में से कटोतियां निम्नसिहित में से एक या स्रायिक प्रशरकी हो सनती हूँ —

(१) जुर्नाता—नियोत्रित स्पत्ति को स्पत्तित्तत का में या निवित्त में बत कार्य या मूल को स्वय हिवा जायेगा निविद्ध सम्बन्ध में जुर्नाता किये जाने का प्रत्ताव किया गया है। तथा कियी धम्य स्वतित को उपस्थिति में उसका स्वयोत्त करें के तिये एक सबसर प्रदान क्या जायेगा। । उक्त मुचनि को साह को भी सूचना उसे वो बायेगी। जुर्नाने को साह में भी सूचना उसे वो बायेगी। जुर्नाने को साह में भी मूचना उसे साहतर हारा निर्मित्य को बाये । यह सरकार के निर्मा के स्मृतार उपयोग में सी बायेगी।

x x x

(३) (हानि की बसूसी या कटीतियां), — नो कर्मशारी को प्रभिष्टता के लिये कोरे गरे माल का नुक्तान या हानि के निये तथा उद पनराशि के नुक्तान के निये जिसका उसे सेवा (हिसाव) प्रकात है, वित अध्यक्षत यह नुक्तान या हानि उसकी उपेशा या बीग के कारण हो ।

निवीजित व्यक्तियों को व्यक्तियत कर से तका लिखित में भी यह बताया जानेगा कि उस पुक्तान या हार्नि के तिने (वेशन में से) करीनी किये जाने का प्रस्ताव किया गया है और उसे एक स्वास् व्यक्ति को उपस्थिति में क्यांटीकार में के का एक प्रस्ताद दिया तार्वे। उस करीतों को शांगि को भी मुख्या नो जावे। यह शांगि पराय सरकार हाश निविद्य की सावेगी।

× × × ×

इम प्रकार जुर्माने का दण्ड देने के लिये निम्नलिखित कार्यवाही करनी होगी--

१. तिबित मे दोवी कामगार यह नर्भवारी को सूचित किया जावेगा कि—(क) उसने क्या दुरावरण (यतत वाय या भून) की है भीर (ल) उसके ऊपर लगाये दन मारोगों का वह एक सन्य

[🕽] राजस्थान वर्त स॰ १८ (१) व नेन्द्रोध धन स० १४ (१)

२२]

म्यक्ति की मौजदगों में निश्चित समय में धपना स्परीकरसापेश करे बीर (ग) जुर्माने की राशि (कतनी है ।

२ स्पष्टीकरण पर विचार करने के बाद मैनेजर का मासिक जुर्माने की उचित धाजा भारी करेगा।

इनके लिये नमूने का फाम नीचे दिया गया है---कार्यातय नोटिय दिनोक ~~ ۲e भी (नाम) यद ~ को स्थित किया जाता है कि ---(१) जब माप दि० ** को पद पर काम कर रहे थे भापने सस्यान को "" "हानि पट्टचाई विसका विवरण सलान है। (२) मत सस्यान मापको इस त्रृटिके लिये ६० ~ का जुमीना करने का प्रस्ताव करता है। (३) ग्राप सी - -- इस सुचना की प्रास्ति के दिन मे

थी (एक स्वतंत्र कारिक का नाम) की उपस्थित में घपना क्पप्टीकरण निश्चित में या मौजिक प्रस्तृत करें प्रस्तया इक्तरफा बायवाही की ज देशी ।

समग्न∸एड

20 व्यवस्यापक/मालिक

दोपारोपण का निश्रण

क्षित्यी -- ---~ qar ~ कार्यं कर रहे थे दिनांक ----- " "की अंडोने ------- गनती की, जिससे संस्थान को हानि क- --- वी हुई । यह दूधकरण धण्डनीय है।

र [यदि एक से धविक दोवारीयण हों ती उनका कम से विवरण देना बाहिये]

हर ध्यदस्यापक/मासिक

(२) निलम्बन · एक दगड के रूप में।

स्थायी झादेश की मार्त के खण्ड (२) मे इसका विवरण द्विया गया है-

(२) एक कानगार को यदि बहु किसी दुराचः एत का दोयी थाया जाते, तो एक बार मे चार दिन तक की प्रवित्र के लिए निलिंग्यत (मोमिलत) किया जा सकता है।"

†(x) निसम्बन को बाहा कियत में होगी चोर कामगर को तामील होने हो लागू मानी जायेगी। इसमें चारोबित दुरावरण का दूरा विवरण होगा बीर कामगर को उन परिस्थितियों को स्पन्दीकरण देने का एक प्रवस्त दिया जायेगा। यदि जांच के बाद पाता की पुष्टि हो जाये, तो कामगर की निसम्बन काल से काम से पनुसार्वाद समाग्रा जाकर कोई पारिध्यित कहीं मिलेगा, परन्तु परि पाता निराद (शास सेना) कर को जाये तो उमें पूरा बेतन विनेगा, बानो उसका निसम्बन नहां किया था।

"तिवादन" का दश्द के रूप में धर्ष यह है कि किसो हमें वारी को किसी समय के तिये प्रस्थाई रूप में काल पर नहीं प्राले दिया जाता, जब प्रकार उसे उन दिनों की वोई मनदूरी या मत्ता नहीं मिलेता, परन्तु यह निनम्बन का दश्द नेवल निश्चित प्रवृत्ति को होगा । मोडन स्पायी प्रावेश के प्रमुतार यह एक बार में चार दिन तक का हो सहता है। इसने प्रशिक ध्वाय के लिए नहीं। दनने

निये कामगार ना दुरावरण सिद्ध होना प्रावश्यक है। इरावरणों की सूची मतं के राज्य (२) के प्रन्त में दो गई है, विनक्ष नगन 'दुरावरण का धर्ष व भेद' के प्रत्यर निया जा चुका है।

इस प्रकार दण्ड के रूप से क्यि गये निसानन के पहले ऊरा बण्डित प्रयुक्तासनिक कार्यवाही करनी होगी, विगमे घरेलू जीच के बाद दुराचरण सिद्ध होने पर ही यह दण्ड निश्चित सबीच (४ दिन तक) के लिए दिया जा सकेगा। जीच का तरीका स्परी प्रस्माय में नताया गया है।

(३) निष्कासन (नांकरी से निकाल देना)

(Dismissal)

क्सिमी मी कर्मवारी या कामगार के लिए यह मितन व समकर दण्ड है। इसके लिये मोडल क्यायो मादेल में निस्त्र वर्ने दी गई हैं — × × ×

(२) एक कामगार को यदि विसी दुरावरण का दोवी पाया जाये, तो— × × × ×

वा विमा नोटिस या नोटिस के भदते में वोई शतिपूर्ति (मुमाववा) दिये उमें भोकरों से निकाला विमान

था सनेगा । (१) निम्न लिलित काय या पूर्वे द्वायरण माने आवेमें —

[देखिये पोछे पुष्ठ १६-१७ पर (क) से (इ) तक]

Lunipur Colliery Vs. Bhuban Singh. AfR 1959 S. C. 833
 Bhawani. Kudal Co-opeative Bank Vs. B. B. Venaktapathy. (1955);

LLJ 21

[।] राजस्यान मोडल स्वायी मादेश से इनकी सं० (४) है।

†(३) निकासन की पाता तब तक नहीं दी जा सकेगी, जब तक कि तम बामणा को प्रारोधित दुराबरण के बारे में निवित से मुब्बिन नहीं कर दिश हो धीर उसके विकद्ध विरक्षित में करवारिक का रायदी-कारण करने का एक सबतर नहीं ने दिया गया है। निकासन के प्रत्येक मामने में करवारवार का मानिक की युन्तित होनी पाबद्यक है। किमी कामगार के विकद्ध सामये पूर्व पारोगों के सन्य पूर्व व्यवस्थारक या मानिक करवान बांच (Independent Enquiries) स्थापन कर पकरते हैं।

इस प्रकार नौकरी से निकालने का दण्ड देने के लिये दो बार्ते धादश्यक है --

- (१) कामगार ने विरुद्ध वय सग्ध (२) मे श्रीगृत (देखिय पृष्ठ स॰ १६-१७ पर) कोई एक या प्रियक दरावरण सिद्ध ही चके हों।
- (२) इसके निद्ध स्वतन्त्र जीव में वल कायगार की (क) वसके विकट धारोगों की निश्चित मुचना देकर (स) वसकी परिस्थितियों का स्पष्टोकरण करने का एक धनसर दिया गया हो।

इस बाच की विधि का पुरा वर्णन धगने धध्याय में किया गया है।

चन्य दएड

को मॉडल स्वायी घारेस में नहीं बताये गये हैं, यरन्तु इनको शामिल किया का सकता है धौर उसी के धनुसार कार्यवाही की आवेगी---

- १. परिनिध्या या चेतावनी (Censure) यह एन साथारण य घोरवारिक रण्य है। दोनी सामपार ने फफ स्वक्ष (दुरा) या मतन शाय ग्रमुन की है, दिसके निये जनकी निया की नाती है धोर ने लागा दे वा स्वत्य हैन होने वियो जाती है। परेने नियं जाता है। इसने नियं जो निया जाता है। इसने नियं जो नियान का नाती है। यह नियं जो नियान में नीटिन व दोपारोक्षण का विवास देवर उत्तर देने का यक यक्षण दिशा कोनेगा। जुनिने के नाथ ना दनके नियं जा कृति है। उत्तर अपना दनके नाम ने प्राणी की नाथ नाम का निया होने के नाथ दगर की प्रजा भी आवींगी।
- चे बेतन बृद्धि रोकना (Stoppage of Annual Grade increment) वेतनमान में प्रतिचय सरोधप्रमक काथ करने वाचे कामगार का बेतन बडाया जाता है। उसकी भून या मनती के निये उसे नोरिय क रोडारीरण यत देकर उत्तर मिनने के बाद यह दव्ह दिया जा मकता है।
- ३ पदोल्नित रोकता (Stoppage of Promotion) कई कारवानों से हिसी कामगार को प्रक्षा काम काने पर कुछ वर्ष बाद ऊथे पर या काम पर भेत्र देते हैं, इसे 'गदोश्रति' कहते हैं। पर बार बार भून या गृहि करने पर उत्तरी गदोश्रति नहीं को जाती।
- ४ पदाधनति (Reduction) कई बार यतन काम करने वर परोप्तति विधे हुए कामगर हो बारव उनके पहुने पद वा काम पर भेज दिया जाता है। इसके निये भी नियमानुनार बांच की जाती चाहिये।
- प्र सेवाज्युनि या मौकरी से हुटाना (Removal) यह नौकरी से निष्कायन के समान ही है, परन्तु इसके उन्नके प्रतिननाम कैने—ग्रीविष्टप्टर, पेणन का स्रष्ठ धादि उन्ने मिल जाते हैं। कार्यवाही के सिवे निष्कासन की तरह जांच करनी होगी।

[†] राजस्थान मॉडन स्थापे बादेश में नय खरह सं • (४)

दण्ड की मात्रा

किम दुरावरल के लिये बया दण्ड देना चाहिये, यह नहीं भी नहीं बताया गया है, बिन्तु मॉडस स्वाची प्रारेश के उपलब्ध (४) वा (६) म बताया गया है कि--

इस स्थायो घारेगा के वायोज बण्ड देते समय मेनेजर दुरावरण को गभीरता पूराना रिकार्ड (यदि हो तो) और ऐसी कोई परिस्थितियां हों, जिससे उसका योग गभीर या कम होता हो। इन सकते क्यान में पक्षते हुये भाता देशा। मैनेजर हाशा उस ब्यासा की एक प्रति सम्बन्धित कामगाह को दो जीवोगी।

इससे भी दण्ड नी मात्रा ना नोई सनुमात्र नहीं सनाया जा सन्ता । इस महरनपूरा प्रमन नो मैनेबर या मानिन के बिस्तुन विवेद (मरजो) पर छोड़ दिया गया है दि यह परिस्थिनियों छोर होयों को काल में रकार दशर नी प्राप्ता है।

यदि स्वर को भाशा प्रयायपूष्ठं है भीर दुर्भावना पूर्णं (Malafide) है तो इसके निये भीकोगिक परिवाद उठाया जा सकता है किन्तु कामून मे मातिन के इस प्रपिकार में कटोशी नहीं मानी जा सकती।

कुछ सहस्वपूर्ण निर्माय—मानिक ना नोई भी नार्य वो नामगार ने हित के िये कुछ है, दल नहीं माना ना ननना। यह रूप 'द्रार्थ' नतान है हिल्—दिलन क्यक्ति ने नोई परदाय दिवा है। दे पह देने का निर्माय , व्यवस्थायन ने नता है । है कि हुने दुस्यरण के तिथे दुवाद रूप है, यह स्वरस्थायन ना नार्य है, परन्तु दुर्मावना से तम नरने (Victimisation) के निर्मे कुन्दनन दुनमें हमनों व कह सन्ती है और दश्य की निरस्त नर सन्ती है।

> नियोजन का प्रश्-ावतंत्र (नौकरो से वापसी) (Termination of Employment): दण्ड नहीं

मॉडल स्थायो नियम—(राजस्थान मे बत सं १५) मे दिये उरीके स प्रयासिनक कारखों स किसी कामगार की नीकरी संयान्त करना दण्ड नहीं भागा जाता है। इसके लिये प्रावधान इस प्रकार है—

१७ नियोजन का प्रायावर्तन (Termination of employment)-सर्यात्-नोक्सी से बापती (हटाना) ।

(१) किही कर्षवास्त्रिं (कामगार्गे) को, बादे वह स्थायी हो या प्रस्थाई, नौकरी से बादत हटाने के तिये व्यक्ति कारण विश्व नायों कि—उन कामगारों को देवायें (सौकरी) क्यों समारत की जा रही है। किशी एक मातिक के स्थीन एक वर्ष से क्या को स्थायता नौकरी करने बाले कासगारी की सुदनों के मानतों से सीलीकि-परिशाद प्रसिन्धिय (Industrial Disputes Act) में वर्षित तरीके तथा तरशनीन प्रचलित विधि (कानून) के स्थान कार्यशाई करनी होती।

Laxmidevi Sugar Mills Vs Work men AIR 1957 SC 7.
 Hind Construction Co Vs Workmen AIR 1965 SC 917.

³ BB Coal Co Vs. Ram Prakash AIR 1964 SC 486

- (२) यदि दिसी प्रत्यार्ष वार्य के समय के तिये सामियक (Casual) तथा पूर्णत प्रत्याई प्रतार के वर्डोक को लगाया गया हो, तो धेनकेन, उनको तेशायें ऐते कार्य के पूर्ण होने पर समाप्त की वा सरती हैं। इस प्रकार लगाये गये वर्मचारी को कोई तीदिल या नीटिल के बदले से कोई तीन याने का कोई प्रधिकार मही होगा। ऐसे कामगारों (कर्मचारियों) को क्यायें टक्ट के क्या से समाप्त नहीं की आई ती कि ती की होगा देखा के कार्य के सामित नहीं की यह गी, जब कि उन्हें सारीधिन दुशाल के प्रारोधित हा स्वयद्दीकरण करते हा स्वयद्दीकरण करते हा सामित होगा है का स्वयद्दीकरण करते हा स्वयद्दीकरण करते हा सम्वयद्दीकरण करते हा सम्वयद्दीकरण करते हा स्वयद्दीकरण करते हा सम्वयद्दीकरण करते हा सम्वयद्दीकरण करते हा सम्वयद्दीकरण करते हा सम्वयद्दीकरण स्वयद्दीकरण करते हा सम्वयद्दीकरण करते हा सम्वयद्दीकरण करते हा सम्वयद्दीकरण करते हिंदी होगा स्वयद्दीकरण करते हा सम्वयद्दीकरण करते हा स्वयद्दीकरण करते होगा स्वयद्दीकरण करते हा सम्वयद्दीकरण करते हा स्वयद्दीकरण करते होगा स्वयद्दीकरण करते हा स्वयद्दीकरण करते हा स्वयद्दीकरण करते होगा स्वयद्दीकरण करते हा स्वयद्दीकरण करते होगा स्वयद्दीकरण करते हा स्वयद्दीकरण करते हा स्वयद्दीकरण करते होगा स्वयद्दीकरण करते हा स्वयद्दीकरण करते होगा स्वयद्दीकरण होगा है स्वयद्दीकरण करते होगा है स्वयद्दीकरण होगा है स्वयद्दीक
- 3 जहां तक विसी वर्मचारी की शीकरी समाप्त को जावे, तो दस द्वारा प्रश्नित देतन तथा प्रत्य बक्ताया, पदि कोई हो तो, का भुगतान हुटाने के दिन के दूसरे वार्य-दिवस की समाप्ति से पहले कर दिया जावेगा।
- इस नियम या गन का वालन किये विना यदि किसी कामगार की मौकरी समाप्त कर दी जाती है, तो यह मौकरी से निवालने का दण्ड माना जाता है, दिसके लिय नियमानुमार जांच व धनुगासनिक कार्यवाही करनी धावरणक मानी गई है।

श्रध्याय (५)

ग्रनुशासनिक कार्यवाही का त्राधारः सहज-न्याय के सिद्धान्त (Principles of Natural Justice)

प्रत्येक 'बनुवासनिक कार्यवाही' का बाबार "सहब-न्याय के सिद्धान्त" (Principles of Natural Justice) माने गये हैं। इस सम्बन्ध म यदि कोई प्रणानी का किन्ही निवर्मी में जल्लेल हो, तो चती के भनुनार सहजन्भय को ध्यान में रखकर कार्यवाही करनी होती है। संवा या काम के लेव मे यह एक स्थानित कानृत बन गया है। दस निद्धान्त को नहीं भी स्पष्टत. वरिमावित नहीं किया गया है। यह तो बाग्तव में एक प्रकृति का नैतिक निथम है, जिसे क्यामानवीं ने प्रपत्ता लिया है।

ध ध दो की कानून में यह निद्धान्त तद प्राया. बढ वहां के मबोंक्च म्यायालय ने घोषणा की कि-पानियामेंट प्रकृति व नियम द्वारा दिये गये सरक्षण को नही छीत सकती । प्रकृति की समता के निकद पानियामेंट का काई भी एक्ट सपने साप से शास्त्र है, जिससे एक कालित की पदने निजी कार्य के निये न्यायाबीस बताया गया हो, क्योंकि प्रकृति के निवम प्रपरिवतनीय है घोर सब नियमों के निवम l iura natural sunt immuteabillia, leges legum) है। अ आरहेनिया । भीर अमेरका के सर्वोक्त न्यावालयों ने भी इन निद्धान्तों को माना है। मारत के सर्वोक्त न्यायालय ने शुधालदास^क के मामचे में इनका वर्णन इस प्रकार किया है, जिनकी बाद के कई निएंबो में पुष्टिकी गई है।

निम्न दो प्रकार के मामलों मे सहज न्याय के सिद्धान्तों का पानव आवश्यक है-

- (१) मंद एक मधिरारी की बादर में यह मधिवार दिया गया है कि वह दो पर्सी के बीच के मांबकारों का निशंव करे भीर कानन में कोई स्पष्ट प्रावसान न हो, तो वह प्राविकारी न्यायिक रूप से काय करेगा धीर यह एक बार्ड न्याधिक कार्य होगा ।
- (२) यदि किसी विधि सम्पन्न सत्ता को किसी ऐसे कार्य को कहते का प्रथिकार है. जिससे वनता पर प्रतिकृत प्रभाव पड़े, यद्यपि यहां दो पक्षशार नहीं हैं, फिर भी उमका निराव मद-म्याविक होया ।

6 Bombay State Vs Khushaldas AIR 1950 SC 222 (260).

^{1.} AIR 1938 SC 338, 1959 SC 107, 1959 SC 303, 1950 SC 605 1952 SC 1110 2. Calvins Case (1608) 7 Co Repula (12b) 77 ER 377. 3. Day Vs. Savada (1614) 80 FR 235

⁴ Delta Properties Pvr Dtd Vs Brisbane City Council (1956) 95 CLR II. 5 Wors Yang Sung Vs Mc Grath (1949) 339 U.S. 33.

इतमें थे पहले मूल में भारतों या नामगारों के रिश्व प्रमुणायन ने मामने प्राचेंगे । इसलिये यहां सहज ायप के निवानी का पालन प्राचम्बक होगा ।

सहज न्याय के सिद्धात--

विभिन्न -वायानकों ने जो निराम विषे हैं, उनके माबार पर सहज बाव के सिद्धानों से निस्न नियम स्थापित हथे माने जाते हैं —

(क) यथीचित प्रवस् का विद्वान्त (Doctrine of Reasonable opportu-— एक राज्य कंपवर्गिरों के बनान रोहरा प्रवस्त कानगरों की नई विदेश क्वीक विधान का प्रमुख्द ३११ उन पर सामू नहीं होता, परंतु इस पंथीचन घडसर में निस्त कार्ते वीम्मनित हो।—

१ किसी को विचा मुने उसको सस्मना नहीं की आने, उसे उसका दोय स्पष्ट बलाया आने। उसे भ्रारम से ही दोयी मानकर नहीं बला जाने। वस्पोक्ति उस पर दोय का धारीर मात्र होता है।

- २ कियो की पीठ पीछे इक्ट्ठी की गई सामग्री उसके विश्व विश्वास नहीं की जा सकती। उ
- (३) प्रत्येक पदा को प्रथमे पाचार को स्थापना के लिए बुलवत साइय पेत करने का प्रवार किने दिवस का साइय उनके सामने लिया बार्व घोर वस्त्रों को तक परीक्षा का दोनो पदों को सहस्तर निन । दिना क्याने प्रत्योक्त गुण का प्रवार दिव कोई मानदी बा सान्य पर विकास नहीं किया कारा वार्षिय 4
 - (অ) पक्षपात का सिद्धान (Doctrine of bias)

वस्तवात करने संहानि होती है। सत् याय से प्रश्वात रहित होना चाहिये। इनके स्थापित नियम इस प्रशाद हैं—

- १ कोई स्वतिक चपने स्वय के काय के लिथ य वाबीश नहीं ही सकता ।
- र निराय सदमान (Good faith) में क्या जाने ।*
- ३ ाबाय केवल किया जानाही नहीं चाहिये करन् बाय किया का रहा है यह स्पष्ट क १ निस्सन्ह रूप से प्रनीत होना घाहिये। ^प

¹ AIR 1958 AII 532

² AIR 1961 Cal 40

³ AIR 1957 Orusa 222

⁴ Fulbari Tea Estate Vs Work men AlR 1959 S C 1111

^{5 (1926)} AC 586 AIR 1951 AII 257 (F B)

^{6 (1936)} II LLJ 347

⁷ AIR 1950 S C 27 1959 S C 1376

इनके बाधार पर तीन मुख्य बातें स्पष्ट होती हैं —

- (१) जिस ब्यक्ति के नागरिक मूल प्रविकार प्रमानित होते हों, उसे उस मामने की उचित सूचना मिलती चाहिये, जिसका कि उसकी सामना करना है। (Right to face the charges)
 - (२) उसे अपने बचाव में सुनवाई का उचित अवसर मिलना चाहिए। (Right of hearing)
- (३) यह मुनबाई एक पशयात शहन ब्यक्ति या मण्डल द्वारा की आशी चाहिए, जिसे उस विवाद में कोई लगाव नहीं हो मोर जो पहले से ही पशयातपूछ नहीं हो। (Right of fairplay without bias)

परन्तु सहज न्याय की माग करने वाला निर्दोष होकर (With clean hands) मावे मीर कोई बात छिपाने नहीं !

हरही के बाखार पर एक कामगार के जिस्द्र सनुसाधीनक कार्यवाही करके उन्ने रण दिया वा जकता है, नहीं तो मानिक दा जांज मण्डल की कार्यवाही मर्जय (परकारती) घीर मूम्य (मिना-परिहास के, सकार) ही जाती हैं। इनके खाबार पर कार्यवाही करने की विधि सगने सम्मास में कर्मा गाँउ ।

- (क) कुछ ऐसे मामले जिनमें सहज न्याय के सिद्धान्तों का हनन माना गया .-
- र साध्य पर मस्तिष्क नहीं सवामा यया— AIR 1958 Raj 153 २. जिस विशेषज की राय मानी गई उसे भवाह के रूप में नहीं बुलाया गया AIR 1963
- M. P. 115
- बिना सिद्ध हुने प्रारोपो के लिये गवाहीं को बुलाने से मना किया गया। विसम्ब का सहाना बनाकर बचाव के गवाही की नही बुलाना। AIR 1963 All 94.
- ग्वाही के बवान लेने से मना करना । AIR 1963 M. P. 115; 1962 Punjab
- ४, जोन रिपोर्ट मे बाहरी क्षामधी (पोपनीय रिपोर्ट) को लाना, त्रिक्षे नहीं दिलाया गया था । AIR 1963 Gujtat 244
- ्. जीव धषिकारो इत्स "धदसता" के घारोव की जीव नहीं करना। AIR 1958 Bom 204; 1958 Punjab 327
- ७. पाँठ पाँचे किये क्यान परे परे। AIR 1963 All 94; 1962 Punjab 496, 1954 Bom 351

दएड देने की विधि-घरेलू-जांच

(Domestic Enquiry)

विश्वय

- १. घरेल जांच का महत्व व प्रावधान
- २ जॉव प्रधिकारी
- ३ जांच के बोहरान निलम्बन
- ४ दण्ड देने की विधि स्रांत के पाच धाग
 - (१) झारोपों को सुचना देना या झारेप-पत्र
 - (२) स्पष्टी करहा का प्रवसर
 - (३) जांच में साक्ष्य वा प्रमाश
 - (४) जांच का निष्कर्ष
 - (४, निर्णय या अस्तिम बाजा

-0745A-

जब कियो महायान के व्यवस्थायन (मैनवसँट) ने यह विधार कर निया हो हि— किसी कामार्ग या मबहुत ने 'बुराकरण' क्या है जिसके निय इस बिना रक्त दिया जाता जाहिंगे। तो मुद्रामध्ये क स्वयस्था में बच्चा रजने के निय तुर्ज कारीयो कामार्ग के प्रति कुत्ते यह पता माना के कि नियत्ति "यह कहाँ तक दोयो है धीर उमका दुरावरण जिद्ध होगा है या नहीं?" "क अध्य को आपती है। की 'पर्यप्त कोर्ज कहा बच्चा है। इस बीच के निय तरीया क्याई बारेना ने पर्यूप से ही नियत्ति हैंया आ कहाता है। यह बीच कार्य में कहा अध्यक्ष नियान्ति कर पास्ति होगा है। कार्य स्थायो विधास की कार्य (१४) में में उपस्था (१) से जुनीता करने का तरीका, बीर उपस्था (४) में मीहरों में निवानने के सिथे क्षात्र वांच करने का उपस्था है। इतने नियम निविद्य चार सार्वे स्था

- (१) धारोवित बुराचरए (लगावे गवे बोच) की कामगार को लिलित में मुखना देता ।
- (२) उसके विक्य बनाई गई परिस्पितियों का स्पष्टीकरण करने का एक प्रथसर देना !
- (१) वदि परिस्थितियों में मायायकता हो, हो भैनेजर या मासिक द्वारा स्वतन्त्र क्राँच स्थापित

[ौ] रावस्थान मोडल स्थायी घारेश में शर्त सं० १० तरसंग्द्र (१) व (३)

 (४) इसके धाद कारोपो के लिए दण्ड को माता दी लादेगी, जिस पर मैनेजर या मासिक की सहमति होगी।

इन चार शतों की पूरा करने के लिए 'घरेलू जांच' के निम्न गाँव इ.ग होंगे —

- (१) प्रारोप पत्र (Charge sheet)
- (२) स्पद्धीकरण (Explanation)
- (३) प्रमास में सादव (Evidence)
- (४) जांच का निष्कर्ष या परिणाम-जांच रिपोर्ट
- (५) प्रन्तिम प्राज्ञा या निर्गय

हम धारे दनका वर्णन करेंगे।

ये "स्वायी प्राहेग" थोडोिक नियोजन स्थायी प्राहेण प्रधित्वय १९४६ के प्रयोज के स्त्रीय निवय १९४६ तथा ११व्यों के इन निवयों के व्यवयंत्र बनाये जाते हैं, पता ये वंशानिक निवय (Statutory rules) माने जाते हैं। पता ये मानिक धौर मजदूर दोनों पर बादित हैं, इनका यानन करना प्रावश्यक है। परायु दमने धन बातें स्पन्न नहीं गए सहनव्याय के विद्यानों के प्रमुत्तार को ये कार्यवाही को येथ माना जाता है। यह इन निवसों का पानन सहनव्याय के साथ करते हुए हो किमी कानपार को दक्ष दिवा जा कहता है।

जांच प्रधिकारी

जीव के लिए शब्द 'प्वतन्त जोव' (Independent enquiries) वा न्यायो धादेत में उल्लेख किया गया है। इस्ता धर्म मही है कि जीव करने बाता प्रविकारी ना मिलक स्वतन्त भीर प्रधानतहित है। बोद विकास ना किया निकास के भीत नहीं हो, दशका यह पूर्व नहीं निवा जा सकता। वहें वस्ताय के सिद्धानों (शिंवचे पूक्त २५) को भ्यात में रहकर वाम करना हाता।

जांच प्रविशारी वेचल तथ्यो का पता लगाता है।" उमें विश्वत क्य से मुतगत विचार व क्तंब्य पातन के उत्तरदाधिक के विचार से कार्य करनो चाहिये। "वह जांच वा कार्य किसी दूवरे श्यक्ति से नहीं करना करना जीव मण्डल को नये प्रारोप बनाने व उन पर निर्मय देने का प्राय-कार नहीं है।" यह अध्य के नाद रष्ट का मुक्ताव नहीं दे सकता। यह कार्य मानिक या प्रमुचात्रिक प्रायकारों का है।"

¹ AIR 1966 S. C 1364.

^{2.} AIR 1950 S C 222 (260) 3. AIR 1964 A P 407

^{4.} AIR 1964 Cal. 603

⁵ AIR 1964 M P 318, 1958 Cal. 470

^{6.} AIR 1964 Mysore 221

⁷ AIR 1962 S C. 1130

जांच के वोहरान निलम्बन (मीब्रसिली) (Suspension pending enquiry)

निलम्बन का प्रधिकार ---

नितान्यन कब से सामूहोगा — विवादन निर्माकायनार को साझा तीनी गई यानी उठे साभात पर्याद में प्रोर का मुक्त किया गया, उठी दिन वे निनानन मुक्त होना। वोस्तव न वास वे दुरते हों यह सामू सारा कोशोर। इसके दहने यो दिनाक म से लामू करता खरेश माना थया है। इस काम क्या, तो उने "नहीं किया गया" को माना जात करता है? इस पर समेक सिट्टा सुके

तितम्बन की स्थिति —

सानिक धोर नोहर का नम्बाच नित्तम्बन के तसब में समाद नहीं हाता घोर नियमानुसार सानिक को "नित्रोहसता" (काम चनाने के लिये मता) हैया। धिट नियमों से ऐना प्रायमान न है, तो पूरा बैनन मो देश प्याह है। सानदार बार नोहर इस स्वर्ध म दूपरों नोहरी नहीं कर सक्या सौर यदि करता है तो बहु इस बसीय का कोई बैतन या सता योने का हक्यार नहीं हो करता।

बत तिलब्बन सोच समक्षकर बहुत हो गमीर मामनों में करना चाहिये 1

z AIR 1955 Patna 131 (134)

³ AIR 1959 S C 1342 AIR 1961 S C 276 1964 S C 787.

⁴ AIR 1955 S C 600 1959 RLW 423 ILR (1900) 10 Ray 952 1954 Cal 340 1959 M P 401 1958 M P 41, 1963 Punjab 293 1950 RLW 336 1959 Cal 1

रक्ट देने की विधि-

(१) भारोप पत्र या दुराचरण की सूचना

(Information of misconduct)

धारोप पत्र में दो बात होनी चाहिये-

(१) कि-भेषी कामगार को दुरावरल की सूबना दी जाती है,

(२) कि-दोषी का दुराचरता या दोच नया है ?

इसके लिए तमूने का फाम बाग निवा गया है इससे इस काय में कोई कानूनी शसती नहीं रह सकेग्री।

पारोप पत्र देने का उद्देश्य को है कि नोयों को उनके विकट लगाये गये धारोगों का पूरा पता चल सकेव उससे पपना दवाद करने का प्रयोचित घनसर प्राप्त कर सके। सहजन्यान के सिद्धात की यही भाग हैं।

मारोपो का स्वरूप - मारोप किस प्रकार के होने चाहिये इसके लिए दो बात हैं -

(१) मारोप साफ व निश्चित होने चाहिये।*

 (२) लिखित मे दोषों को दिये जाने पाहिय । उसके प्रियातिन होने पर मी उसे लिखित में दे वीजिय पीर मौखिक समम्बादीनिय ।

> काम (१) धारीप पत्र --- पद को सबित किया बाता है कि

१ श्री -- पद को सूचित किया जात जब बह दिनाक को -- पद पर काल कर रहे थे लहींने

र् (दुरावरण का उन्वेक्) क्या, २ मावके यह काय या मूल स्थायो मान्स क० का माग करने से दुरावरण है जिसके लिय

व्यवस्थापन ने प्रापके विकद्ध प्रतुतानिक कामशाही वसने का प्रस्ताव रखा है। १ एवडदारा वापको इस सूचना के मिनते के दिन की भ्रमिष मे प्रपना स्पाटीकरामु ऐक करने व कारण बनाने का माससा दिया जाता है हि क्यों ही प्रापको शीकरों से निकास स्वा जाने या कोई रुष्ट दिया जाते।

४ यदि पावने निश्चित प्रविध में कोई स्पटीकरण नहीं दिया, तो प्रावके विरुद्ध इकतरका क यदाही को अवेगी जिस पर बाद में कोई एतराज नहीं माना वावेगा।

१ वरीिह मापने पमीर दुरावरण किया है इसलिय मापको इस माजा के मिलने के साथ निलम्बित किया जाता है जब तक कि जाव पूरी होकर प्रतिम माजा नहीं दे दो जावे।

¹ फायर स्टोन टायर कम्पनी बनाम जैक 1954-ILLJ 281 H C. Bombay

² रामनन्द बनाम डिबीबनल मैनेबर उत्तर रेचे ILR 1962 Raj 302 रखबैर बिह बनाम मुद्द स्मान माम स फनटरी AIR 1957 All 274, AIR 1963 Tripura 20

भारोपो का विवरण पत्र

ध्यात देने योग्य बार्ते—

कार्स (१) में - (१) में एक ते स्रिक्त प्रारोग हों, तो (क) (वा) नगाकर सब निव दीनिये । (३) से यदि बसाबी पारेस सामू नहीं है, तो सह वीक्त हटा दीश्वियं । (३) से सम्बद रूना दीश्वियं कि-कामगार जनका जतार दे सके । कम से कम २-३ दिन व स्रिक्त से स्रिक्त एक स्वताह का सुमय देना चाहिये । (४) में निमम्बन करना प्राराधक हो, तानी यह तिस्तान चाहिये।

फार्म (२) मे-- (१) मे एक पारोप ना विवरण पूरा दीजिये। पश्चिम कारोपों के लिए (२) (३) विलक्तर प्रत्या प्रत्या विवरण दीजिये।

क्छ महरवपुरा निर्णय-

धारोप पत्र देने से पहले दोपी कर्मवारी से पूछताह करना मना नहीं है। परन्तु सविवान के धनच्छेद्र (२०) में स्वर्ध के विरुद्ध गड़ाइ बनने के लिए जमे बाध्य नहीं किया जा सवता।

धारीन पत्र में दिये धारीण के मानाथा जांच के रोहरान उसे माजा नहीं मानने का रोगे हहरा-कर विकासन का रण दिया गया। यान्तु आरोग पत्र में उसका उन्तेल नहीं हो से पत्र की निस्त्य किया नार्थ के प्रित्य स्वाध्यायन के एक माने में के पत्रने निष्य के आ कोण हृद्धतान के स्वयम वक्टे गये धीर के माह तक जेन में गहे। उन्हें दिना जांच व धारीन पत्र के तेवा से हटा दिवा गया। उनकी नामांत्र प्रमुशियित के कारण के निष्यों के विकास कर प्रशासन कर स्वाध्याय कर में आरोबल प्रशासनका नामी मानी । इसी मानेन में एक दूवना कामाग्यार के वरण हरसमा पत्र के आरोबल या। उने दिना सारोब पत्र के नीकरी से निकान दिया गया। उन मानून था कि-उन पर क्या सारोद था। इन्द्रमूल की सात्रा धीर बाद के करानी भी आजा के कर नक्सीत की काव्यमहित्य स्वत्य पुर से के अवस्थारों को मोनेश से निकास दिया गया। हुए लागे में यह की काव्यमहित्य प्रसार हैता में यह की काव्यमहित्य मूनवाई का सदसर नहीं दिया गया। स्वीकार नहीं विचायणा। "सारोव पत्र में वो दुणवाण काव्यक्त स्वादे नीवे व पत्र चुण्याल्य धामा में हुछ समितिक सारोब निद्य माने गये। मानने की वीरिस्वतिशों को के नित्य हुए स्वाद सारा हुए से सामाने की वीरिस्वतिशों को के नीवे हुए कर की स्वासा के हुए सामा गया। "

किर भी सब बारोपों का बारोप पत्र दिया जाता एक बावश्यक कार्यशही है।

³ AIR 1958 S C. 300.

⁴ Larmi Devi Sugar Mills Ltd Vs Nand Kishore AIR 1957 5 C 7.

⁵ Burn & Co Ve Their Employees AIR 1957, S C. 38.

⁶ N Kalindi Vs M/s Tata Locomotive Eng Co Ltd AIR 1960 S C 914

(२) स्पन्टीकरण (Explanation)

एक नामगार नो उसके दिन्द्र लगाये वर्ष दोग या धारोप के निये उत्तर देने ना यह घनकर है, बिमम बह घपने बनाव नो परिस्थितिया बनाना है। इमने निए नुद्र सुधान इस प्रसार हैं —

- (१) मद प्रयम यह तय करना है कि- स्पष्टीकरण दिया जाय या नहीं ? यदि प्रापने की विभिन्नितयों को देनने हुए दोयो कामपार यह उकित सनसे कि-स्पर्टोकरण निश्चित में हैना उक्ति नहीं है और इसमें उनको स्वाद की मादय मुख नायेगी, तो केवल एक नाथ मात्र का स्पर्शनकरण पंत्र कर मात्र का स्पर्शनकरण पंत्र करना वाहिय, जिससे इक्तरकर कार्यवाही नहीं हो सके और साक्ष्य से समय से सहय में
- (२) यदि मामना ऐला है कि—सवाय की साध्य सुन जाने में कोई बुरा प्रमाय नहीं पढडा हो, तो पूरा सुनामा दन हुए स्थल्टीकरण देना ठविन होगा।

(३) स्मागित्या तैमार करने स पहुने एक एक बारोग से मानियत नागमार (दन्तावेश) देनना नाहित धीर नगाहुँ को मुनो नमानि गाहिते। यह स्मापित देनने के लिए मानिक से प्राप्तेन करनी नाहिते। यह तथको इन्द्रा पर है कि नह दिनावे या नहीं ? पर प्रप्तेना पन देना बावस्क है, यह बहु मना कर द।

 (४) स्थ्यीकरण में एक एक बात का जवाब दस्तावेजों के प्रावार पर देश वाहिये, परन्तु कीत गवाह क्या बहुगा यह बताना जरूरी नहीं है और नहीं बताना चाहिये।

(१) दिनी घारोर को ठर एक स्वीकार नहीं करना पाहिये, जब नक कि उससे बचाद का कोई सही घायर नहीं हो। क्योंकि दोन प्रमाणित करन का सार दोची नामगर पर नहीं है। 1 घउ पुरक्षित यही है कि मारोर को पन्तीकार किया जाय।

(६) प्रत्येक प्रारोग के राष्ट्रीकरण में बन्नावेशों का प्रमाग व उद्धरण देकर उन्हें गलत व पापारहीन निद्ध करन को कीशिक करनी थाहिये।

- (७) बाँद मारोप स्पष्ट व सर्विष्ट नहीं हो, तो इनका उन्नेय मो प्रत्येक माराप के स्पष्टी-वरण के साव नर देना चाहिये।
- (=) प्रपते सवाब केतकों की पूष्टि में नियमों व न्याय।लय-नियमों का प्रमाग मी देना चाहिये, यदि प्रावस्यक हो।
- (६) स्टिशियण के साथ भागी गर्ट प्रस्य मुबनाय, जीवे--व्यक्तियन मुनवाई-यानी-मौलिक कौन वाहना हु घीर गवाहों की मुची, बटनावेजों नी मुची, सी देनी चाहिये ।
 - (१०) स्पष्टीकरण दो प्रकार का हो सकता है--
 - (१) प्रत्येक मारोर को स्वीकार या पस्तीकार या प्राधिक रूप से स्वीकार या प्रस्तीकार, वंता विका हो, करते हुए सक्तित्व उत्तर दे देते हैं घोर नाथ में प्रत्येक प्राणीत कर सत्तव प्रत्य पूरा सच्चीकरण तथा देवे ।

^{1.} AIR 1962 Orissa 1344.

(२) प्रत्येक ग्रारोग को स्वीकार या ग्रस्वीकार करते हुए उसी के साथ विवरण देकर। इस प्रकार स्वर्थीकरण सावधानो से तैयार कर पेस करता चाहिये।

समय मे वद्धि--

धानेप पत्र में दिने गये समय में वर्ष स्वस्थोकरण नहीं दिया जा सके तो समय में बृद्धि के लिये प्रार्थना पत्र देता पारिये शक्ता कारण बताये समय को बृद्धि के प्राप्ता पत्र को स्वीकार करना सुक्रव्याय के विक्द्र साना गया है, 'परमुष्ट एक बार समय बढ़ाने के बाद बार बार समय मार्थने का बीर्ड बारण नहीं माना शंकरता।"

स्वीकारोक्ति (Admission) का प्रमाव-

स्पष्टोकरण मे धारोप स्थानार कर लेने के बाद माने जाव करने की मावश्यकता नहीं है," भौर मालिक नामनार का उचित दण्ड दे सकता है।

एक मामले में माना गया है कि-दोषों ने लोगों से 'पहले रूपये स्वीकार किये में-यह कहने में मीर यह स्वीकार करने में कि-'वतले पूत्र के रूप में स्वयंद स्वीकार किये में,-प्यत्तर हैं। पहला क्षम संदेशालक है, जब कि दूसरा 'स्वीकारोकि' में मिल स्वीकारोकि का कोई मामण नहीं है, तो मालिक को बाय करके उत्तरे मामले अस्तुत शामयों के मामार पर परिवास निकालता होया। में मीर जाब के समय कियो कामगार ने समायायना (Apology) करती हो, तो देवे स्वीकारोकि काला गया मीर माने जाब कराजा मानवस्त्र में माना गया। 'में दीवी' कम्मवारी मारा स्वीकारोकि काली नह, ऐमा सानकर उसे हटा देना जियत नहीं माना गया। 'क्षमवारी के क्यन प्रवश्य ही स्वस्थ स्वाहरण स्वाहरिय किया में

द्यांगे की कार्यवाही --

स्वय्टीकरण प्राप्त होने ने बाद मानिक को उनके बाधार पर विचार करना चाहिये। कर जिन दोषों को स्थीनार नहीं विचा, उन पर बाद होतु (issues) बनाने चाहिये और जांब करने के निये जांब बांधवारी की नियुक्ति करनी चाहिये, जैसा कि वहने बनाया जा चुका है।

यदि रुपटीकरण समालिक को सन्तोष हो जाये, तो कामगार को दोव-मुक्त कर काम पर भेज देशा चाहिये।

मंदि स्पष्टीहरण प्रप्त नहीं हो, तो इक्तरण कार्यवाही करनी होगो, जिसमे झावश्यक शहा-दत सो बावेगो भीर उसी के सामार पर निर्णम दिया जावेगा। "

¹ AIR 1957 1 & K 11

^{2.} AIR 1955 S C 160 3. AIR 1961 Tripura 1, 1965 J & K 53, 1963 Bom 121.

⁴ AIR 1960 All 323

⁵ AIR 1957 Madras 356

^{6.} AIR 1956 Rajasthan 28 1963 Raj 57, 1953 Punjab 137

⁷ AIR 1961 S C 1070 ILR (1955) Ray 285 ILR (1963) 13 Ray 28

^{8.} AIR 1956 Cal 114

(३) प्रमास में साध्यया शहादत (Evidence)

साध्य वा बहादन में पहले चार प्रश्न दिनारसीय हैं—

- (१) क्या समदूर को प्रपता प्रतिनिधि बुनाने का मधिकार है ?
- (२) क्या मालिक की म्रोर से प्रतिनिधि उपस्थित होता ?
- (३) क्या मजदूर किसी वकील की मदद ने नकता है ?
- (४) क्या मजदूर की व्यक्तिगत सुनवाई (Oral hearing) का मधिकार है ?

इत चारो प्रक्षों का साधार 'स्थायी सादेश' है। यदि उनके नियमी में ऐसा प्रावधान है. तो वैसा करना ही होगा, धन्यया नहीं।

१ मजदुर का प्रतिनिधि या सहायक-यह तो स्पष्ट है कि-दोवी मजदूर या कामगार को काननी सलाह की बावस्यकता है, किन्तु यदि स्थायी बादेश इन मामने में शान्त है, भीर कुछ नहीं बताता, ती मंजदूर को स्वय परेकी करनी हांगी । सहायता के लिये कोई मजदूर सथ का प्रतिनिधि पैरवी करे. ऐसा कामबार को नोई प्रविकार नहीं है, यह मालिक की इच्छा की बात है। सामारण रूप से दोपी कामगार हो अपनी पैरवी करता है। बिना काननी प्रावधान के मबदूर सच के प्रतिनिधि की मदद की म ग सहबन्दाय मे नहीं माती। यह सभी व न्दायानय का एक प्रसिद्ध निर्णय। रे हैं। इसके बाद के निर्लूष ? म मी इसी मन की पृष्टि की गई है कि-स्थायी घादेशों मे दी गई सीमा तक ही प्रति-निधि की मदद लेने का प्रधिकार है, अन्यया नहीं।

२ मालिक का प्रतिनिधि-मालिक धपना मामला जान बिवकारी के मामने बपने प्रतिनिधि के दारा पेश कर सकता है।

विकोल को सदद —श्दिमालिक का प्रतिनिधि कोई वकीन हो, तो कामगार को भी वकील की मदद मिल गकेगी, धन्यया नहीं ।

४ व्यक्तिगत सनवाई का पधिकार -

यह मान लिया गया है कि-व्यक्तिगत रूप से मुनवाई देने का कोई श्रीषकार सहन न्याय में नहीं है, यदि लिखित में स्पष्टीकरण दिया गया हो . उपरन्तु यदि स्थायी आदेश में ऐसा स्पष्ट प्रावधान हो, तो फिर यह बनिवार्य है, एक बिधकार है।

साच्य लेन की ग्रिध

'घरेत जांच' मे भारतीय सक्ष्य मधि नियम लागू नहीं होता, परन्तु सहज न्याय के सिद्धान्तों का पालन धानश्यक माना गया है। मद्रास उच्च न्याय'लय का एक निर्मुय कयान देते योग्य है--बीतोगिन परिवाद व्यवित्रमम मे ध्यदस्यापन द्वारा एक वर्मचारी के विरुद्ध वरेल जांच करने की विधि

¹ N. Kalindi Vs. M/s. Tata Locomotive Engl. Co. Ltd. AIR 1960 S. C. 914 2 Dunlop Rubber Co. Vs. Workmen AIR 1965 S. C. 1932 3 Madhya Fadeh Industres Vs. Umon cf. India AIR 1966 S. C. 671, 4 Woodbriar & Suiser Estates Vs. Their Workmen (1960) 2 LLJ 673

नहीं से गई है। बिना पाइन के यह नहीं कहा जा सबता कि-मानिक सवाहों के बय न जिले भीर भरावनी जो तरह काम करे। उचित जाब के जिल् भारीय तब देना साथवनक है। किर सहज्ज्याम के विद्यानों के प्रमुत्तार विचा प्रशासन के साथतार को प्रथमा बचाव करने का एक प्रशास देना है। स्वी सज्ज्ञान विचार नामान्य ने भी बनाया है।

जांच में साहय सेने के दो तरीके सर्वोच्च न्यायालय ने बनाये हैं --

- (१) "" हिन्तु यहा परेजु आप मे सकीत नहीं साने हो, बही नात्वार के दियों ही रहा करने के निष्क केवन पहले दिये गवाओं के ब्यानों के पढ़ने से कुछ सांबक को सावध्यकता है। " आनव से बहुन से कालार परितिष्क निष्के हैं और वह बार उनके समुद्र तम के मिरि निष्कि ने बवानों के मुद्र निन्दों में पढ़ देन पीर निष्कि में बवानों को मुद्र निन्दों में पढ़ देन पीर कामगार को बता गया है से बिद्ध (Cross examination) के लिए कहा-नहत्रनाय के देन विद्याल की सवाक है कि नते से बया के साथ के स्वान कुछ से पान तक दोयों की उपस्थित में मिर करान कुछ से पान तक दोयों की उपस्थित में निष्का में १ दम मीविक क्यान के होंगा मुद्र स्थाक में स्थान करा है। इस मीविक क्यान के होंगा मुद्र स्थाक मान करा है। साधारखाया हम दम प्रकार को सीच चारते हैं। ""
- (२) परन्तु शिववासपा वे मामले के तकों को ब्यान मे पलते हुए कम मे कम हम बाहो है कि - ---बीवी को उन गवाहों के बवानों को प्रतिनिधि जांच से बहुत पहने मिल नानी चाहिये-धर्षातु-तम से कम जीव चुक होने के यो दिन पहने । --- बस सहश्याय की दतनी ही मांग है ।

इसो मत को खुर्दाहकम्पनी के मामने मे ⁴पुब्टिकी गई है।

साहय का कवडण—साहय धारोगों से सुनन्त (Relevant) सानी सम्बन्धित हानी व हिन्ने धोर साहयून (material) सानी तथा पर सामारित होनो कारित को उस कर कर सही। साहयून (material) सानी तथा पर सामारित होनो कारित को साहयून अप के बात ही। तर्रा (किया हो भीर (द) आमतिक स्थिति, क्रिको को निर्मा साहयून को साहयून सुरा, सुना, या जा जा पार्टी धोर (द) आमतिक स्थिति, क्रिको को स्थित के स्था हो। अब एक तथ्य दून रूप स्था साहयून के साहयून सी साहयून के साह

^{1.} Sur Enamel Vs. Workmen AIR 1953 S C, 1914.

^{2.} Kesoram Cotton Mills Vs. Gangadhar AIR 1964 S C 703

^{3.} State of Mysore Vs Shivabasappa AIR 1963 S C. 375

⁴ Khardah & Co Vs The Workmen AIR 1964 S C. 719.

शह।दत का नरीका

पहले स्थान व नयन की मुख्या दीयी कामगार को दो बानी है (नदून: देखिये) उनके उपस्थित हो जाने वर उसे बारोग पत्र मुग्दा जाता है जीर यदि यह दुन्न कहना चाहना है, तो देखें लियकर उनके हुसायर क्या तिये जात है। इसके बाद गवाईों के बयान होने हैं थी। ऊरर सर्वोच्च न्यायायय प्राथ बनाये दो में से जी तिरीस प्रथमना जा सम्बाह है।

रजिस्टड-एडी

नोरिम जांच

ह्यी *** (कामगार का नाम) को मूचित किया जाता है कि – पता द्वारा दिये गर्ने मारोपों की साच के सम्बन्ध मे ततको कम स० fe a को जांच ग्रमिकारी ~ (नाम पद) ध्यो • (कामगार का नाम) उनके समक्ष नियक्त किया गया है। भ्रत भाष श्री स्य न पर उपस्थित हो कर जांच में माग लें व को बन्ने धरना बचाव पेश करें। धारकी धनुःस्थिति मे इन तरका कायवाही की जावेगी भीर फिर कोई एत राजा नहीं माना अ वेगा । इति । दि • इस्ताश्चर

मालिक/ध्यवस्थापक

साक्ष्य के दो मेद

- (१) प्रलेखीय साहय (दस्तावेगी महादत Documentary Evidence)
- (२) मोलिस-लाज्य (Oral Evidence स्यान) यदि सारा मामला नेवस दस्तादेगों पर हो प्रावाद्ति हो, तो मोलिक साध्य भावस्थक नहीं है । परन्तु यदि दोषी कामणार वयान कराना भाह तो जमे प्रथमर स्थिम गाना चाहिये ।

पहले घारोप पता । साविक को सीर हो। बहादत पेता होती है, किर बचावपदा (कामगार की) पोर पारिक स्थापि के बयान होते हैं, किन्तु आहो सावता स्वतानेगो पर सामारित हो। वहाँ पहले मी रोपी के बयान निए जार मनते हैं। महीन स्थायान्य व में स्थापत स्टोन टायर एयर पर वह के के सावते में इस प्रमुच पर सहलपूर्ण निजय दिया है, शिवकार कामशा दस प्रकार है.—

"वरेलु गांव (Domestic Enquiry) की सब स्वितियों पर दोषी कमचारी को बचाव का भवका दिया गया। इमने दोषी को कोई हानि नहीं हुई। सबसे पहले दोषी के बयान नेना तहना न्याय के निद्धानतों के विरुद्ध नहीं हैं। (निषय)

गवाहों के पहले दोषी को तक (बिरह) करने से सहज न्याय के सिद्धान्तों का हनन हुमा, इस पर कई निर्णय वे पेग किये गये। इसमें कोई सदेह नहीं

^{1 (1968)} II SCJ 83 (86)

Tata O.I Mill Co Vs Workmen (1953) 2 LLJ 78=(1953) 6 FLR 257, Sur Enamel & Stamping Works Vs. Workmen (1961) 1 SCJ 334 Minals Teal Estate Vs. Workmen (1964) 1 SCJ 98 Assoc'sted Cement Co Vs. Workmen (1964) SCR 652.

हि—ये मामले यह बढाते है रि—रोगी से हुद्र भी पूद्र जाने से पहुंचे उनके विक्त सादय पेसा होत्तर धारण्यक है । विन्तु यह नव मामलों म कार्ड व्यवस्थिती नियम नहीं हो सकता। वहा रोगारियण सिनल्ल रिकार्ट) या स्वकार कर नियं गावे तथ्यों पर धामारित हो, नहां परिस्थित जिल्ला होगी। ऐसे मामलों से रोग वा ध्यान उनक विक्त बारहे धामिलेल पर धामारित सादय की धोर दिलाने की प्रमुशनि है। यदि वह उनका सन्ताय जनक स्थायोकराण ने दे सके, तो यह दोगा के परिसाम की धोन बसाता है।

हुछ माननों में यहरे दोशी वा बयान (Version) नवा जिबन भी हा सहजा है, लाकि धनद की बारी में पूर्त कर कमें और उस हारा सुमाने मेने मानरे ने पहुनू पर नवाहों में योचन कर से पूछा ना का । यह यह नवा वा का प्रवास है। यदि यह दूसरा सरीका विचादश्य बाजों से न्यावपूर्ण निर्माय की पोर बातना है तो साधारण तरीके में दोशों से विकट पहुने साहब के बवार तीन में रोगों के निये पांचक न्यावपूर्ण (fairer) है धीर यह की प्रवास नहीं माना जा महना।

येनहेन, यह पूक्ता बुद्धिनता पूर्ण होना बिन्धोयो गहने प्रयोग देवा बाहना है या मानव पूरी होने तह प्रजीवा बरना बाहना है, हिन्दु हमें बहु प्रयन नहीं पूर्वने से मूलन (ipso facto) बाल हॉयन नहीं हो नानी, बन तक हिन्सोई पायवपूर्ण हानि नहीं हूं है। किया नहीं बालपूर्ण हानि नहीं हूं है। विवास प्रयाग हों है है है। विवास प्रयाग हों के हो से विवास प्रयाग हों के स्वास करता है। विवास के स्वास क

यह बोर दिया बाना, वेननेन, पारश्वक है हि-उन सब मामनों में बिनमे विवादधन तथ्यों ना प्रनिशेष किया गया हो, वहीं इस न्याधानय के द्वारा उद्युत भागनों में निर्वाधित तथीं ना मागरण का से प्रयादा जाना है।

दार्थी के बतान पहुंते नेते का सरीका ने केन रूपण नामको सं स्तरावा जा मनता है। है हो मानतों का एक दवाहरण के हान ही म हमारे सानते तावा वा जिस्से हते हैं के निर्मित्त ने बाहरू को केंद्र हारा उनकी कोईस्ट्रोल नीमा ने सर्वित करना देश हो । निर्मित को ऐसा कोई सर्वित्तर नहीं था। जीक के पास्म कर पड़ते हो उसने पाना दोव कोक्सर कर निया का भीर समामकाना की थी। उसने करने कहा नह सहसे हो निर्मे गये, ताबि बीरवाहरू साहब नेकर दोग के विचा को पह सकते में पहुरे कोई ऐसो परि-विविद्या हो, किनने उत्तर स्वेद कर होना हो। इसने निमंब हिला था कि नक्स व्यविद्या की का स्वित का स्वति का स्वत

इस वर्तकान मामते में भी सुब्धा पम् ने बांच की पासा के पहने यह सिकायत की पी कि-उमका क्वन पहने निया जाना चाहिते। ठीक मही जीव प्रविकाश ने क्या । ** * इन परिस्थिति में बांच में सहस स्थाप के सिद्धानों को कोई हनन नहीं हवा। ''

^{1.} Central Bank of India Vs Karuna maya Benerice AIR 1368 SC 266

(१) प्रलेखोग साध्य (दस्तावेजी शहादत)

(Documentary Evidence)

प्रनेल या दस्तावेत्र से तारार्य घसारों, या को, या विन्हों के सहारे किसी तथ्य को प्रामितिकत करने वाले सेल से है, जैने—ितिस्त वन्न, विकित तरीको से मुद्रित छोटो, नक्वा, रेकांकन, सुदाई पादि : ग्यापात्रय ण जोच प्रविकारी के शापने परीक्षण हेतु प्रस्तुन किये यये ऐसे प्रदेशों को "अनेसीस साहर" कहते हैं।

यह साहय मो दो प्रकार से प्रस्तुत की जा सकती है —

- (१) प्रायमिक (Primary) घीर
- (२) माध्यमिक या गील (Secondary)

जब दिशी मून प्रतेन को प्रस्तुत किया जाता है, तो यह प्राथमिक साहय कहनाता है, दिसमें मून प्रतेन, उसके या, उनकी मुद्दित प्रतिया उसरा प्रमाणित करना होता है, किन्तु मारतीय साहय स्थापित करना होता है, किन्तु मारतीय साहय स्थितियन की पारा ५६ में बंदित दक्षायों ने "मार्थमिक साहय" किसी प्रतेस के प्रतियत्त वसकी बता व विषय बत्तु के तिल् प्रसृत्तु किंद्र सा सकते हैं। अंते-प्रति कोई प्रतेन किसी ऐते स्थापित के पात हो, जो उसे प्रसृत्तु नहीं करना हो या कानूनन उसे ऐता नरने के तिए काध्य नहीं विचा जा सकता हो, जा अवसूद्ध नीटिस के पेता नहीं किया हो या मून दमार्थन नटे हो गया हो या से गया हो, या प्रत्य देश के उठाकर नहीं नावा जा सकता हो, या प्रत्य प्रतेन करते ही एता हो या से गया हो, या प्रत्य प्रतेन करते ही एता हो या प्रति करते ही एता हो या हो साई प्रति करते ही एता हो या प्रति करते ही एता हो या प्रति हो साई प्रति करते ही एता हो या प्रति हो साई प्रति करते ही एता हो या प्रति हो साई प्रति करते ही एता हो या प्रति हो साई प्रति करते ही एता हो या प्रति हो साई प्रति करते ही एता हो साई प्रति करते ही एता हो साई प्रति करते ही साई प्रति करते हो साई प्रति करते ही एता हो साई प्रति करते ही एता हो साई प्रति करते ही साई प्रति हो साई प्रति करते ही साई प

माध्यमिक सास्य मे निम्न को सम्मिनित किया जाता है।

- (१) प्रमः हित प्रतिनिधियां
- (२) यत्र द्वारा तैवारी की गई मूल की सही प्रतियो
- (३) मूल से तुलनाकी हुई प्रतियो
- (४) मूल परत (Counter parts) भोर

(४) स्वय देवने वाले द्वारा किसी प्रलेख के विवरण का दिया गया मौखिक विवरण ।

प्रस्तुत करना--

हिन दस्तादेन या प्रनेतों पर प्रारोत याचारित हैं, उन को प्रतिनिषयो प्रामित (रिकार्ट) में प्रामित की जाती हैं। दोपी कामगार उनका निरीशत करके स्वय्टीकरण के माथ पनने पत के स्वादोन येन करता है। इसके बाद मीतिक गहायत के प्रमाद न स्तादेगों को गवाही हारा प्रमा-चित्र करकाम जाता है। इन पर कन सकता मजाई जाती है। प्राप्तिक को प्रोर के स्तादेशों पर EXP 1 or 2 ···· दाना बनाव के रस्तादेशों पर EXD 1 or 2 ···· प्रारि व'कित किया जाता है। तर्क (विरद्) में रस्तादेश के बारे में प्रशन मी पूंचे जा सकते हैं।

^{1.} भारतीय साह्य प्रविश्वित्वन-धारा व

^{2.} मारतीय साहव प्रवितियम-बारा ६१ व ६३

^{3.} मारतीय साध्य प्रथितियन-वारा ६४-६%

यदि कामपार निती विशेष दशायेज को सहाना काहे, जो उनके प्रांतकार में नही है हो वह बाब प्रीयकारों को प्रारंता पत्र देगा भीर सहब ब्याय के हिन में जीव प्रायकारी उन दर श्वेत को मगाकर प्रसिद्धित में सामित्र करेगी। परन्तु वशीक परेचु जाब से जीव प्रीयकारों को दस्त केंत्र मगान का कोई कानुनी धीषकार नहीं है, किर भी मालिक को स्वाय के हिन से रिकार्ट पेस कर जाब प्रीयकारी की मदर करनी चाहिए।

, मीलिक द्वारा किसी रिकार्ड के छिपाने से दोयो कामगार को यदि जांच में पदावातपूर्ण हान् होती है. तो यह कार्यवाही सहजन्याय के विरुद्ध होने से जांच दवित हो जावेगी।

(२) मौजिक साहव या बयानी शहादत

(Oral Evidence)

ं नासही (मासियों) के ये सब नयत जिनके निये न्यावातय धतुनाने दे या मान करें धोर यो नीच के तथा के नामनों से मामित्रत हो, उन्हें 'भौतिक साध्य' बहुते हैं। 'रतावेजों की नियस बहुत के धतारा धन्य सब तथां की सीचिक जाव सब मामित्रों में प्रस्ता '(direct) होगी पर्वांत्र देशों भयों याद को देखने बाता, जुती हुई बात को दक्ष तुनने बाता धौर दवी प्रकार वीधा भाग रसने बाता हो महादन देशा, दूसरा ध्यक्ति नहीं। किसी बांधी द्वारा देग यो किसी स्तावेज की विषय बहुत के दिस्त कुति हिस्त प्राथिक साथय के का में भी मीतिक साथय माम्य है।

साक्षियो के बयान (Examination of witnesses)

पहले बाजिक बाजी समियोजन के तबाह पेता होते हैं, फिर क्याब पदा के। प्रत्येक नमाह के से मुख्य पत्र होने हैं (१) मुख्य ब्याज (Examination in Chief) और (१) तक परीक्षा (बिक्ट Cross Examination)। नवाह कही ब्याक हो सकता है, तो आसीक कर से देखाय हो भीर जिसकी मीजिक साध्य मान्य हो। गशहों की सक्या की सीचा नहीं बायी जा सकती, किर मी यह स्वस्थारों पर निर्माद है क्लिये सिक्टी भीर कीज गशहों को पेता करें। जांच स्विवहारी सुमयत बाबाई के स्वान केने से मान बीह कर सकता।

निसी गवाह को मुनगत प्रको का जतार देने के निये बाध्य किया जा सकता है, बाहे उनके उत्तर के परिणाम स्वक्ष्य उनकी कोई दृष्ट मिनने की समामना बर्गेन हो। ऐसे मुन्युक्त धोर पुनवन प्रकों का उत्तर न देने पर गवाह के बयानों मे प्रतिकृत बारणा (Adverse presumpt-101) बनाई वा वसती है।

तकं वरीक्षा या जिरह (Cross Examination)

तर्क परोक्षा बिचत अनगर का एक महत्यपूरा में न है। इससे क्लिमे भी बदा को बीचत नहीं क्लिमा अन सकता। बदान भीर तर्न (बिरह) दीनों मामले के मुनगत व लार भून राज्यों (बातें) पर बायारित होना भावश्यक है। तर्क परोद्या में केवल मुख्य बतात्र में भाई बातों पर हो प्रांत पुछना

^{1.} भारतीय साद्य प्रसिनियम-सारा ३

लीनित नहीं है, इसमें कई प्रकार के दूसरे प्रकार मी पूरे जा सकते हैं जो परोक्ष कर से मामने से सम्बाधन को मान है। कोई स्थान के कर दक्ताने जे सेन करने हैं से बाद नहीं माना जा सकता, यह जो जात कर नवाह ने करा म ज युवाया जाते, उनकी किया नहीं माना जाता है। दूसरों के सामन जो सकता। है दोनों जो सामनी। है दोनों के सामन जो होने पात्र के स्थान नहीं माना जाता है। दूसरों के ही उनके उत्तर हुए स्वास्त की प्रकार के सुद्धने के ही उनके उत्तर का मुक्त की प्रकार के सुद्धने के ही उनके उत्तर का मुक्त की प्रकार के प्रविचा के सुद्धने के ही उनके उत्तर का मुक्त की प्रकार के सुद्धने के ही उनके उत्तर का मुक्त की प्रकार के सुद्धने के ही उनके उत्तर का मुक्त की प्रकार की प्रकार के सुद्धने के ही उनके उत्तर का मुक्त की प्रकार की प्र

, सर्व में किसी भी तबाहु के ऐन प्रक्रम भी पूर्व ला तकते हैं, जिनते उसकी मरका (veracity) की वर्गधा हो मने, या उनके जीवजरतर व यह वा यता लान मने या उनके परित्र को वाधांत पहुनाने हुए जाकी ताल (Credit) को जनमात्रा जा सने हैं। निवाह के उत्तर ने देन वह मुख्या किए वर उत्तर देने वह मुख्या किए वर उत्तर देने वह माल के प्रतिकृत वाराणा कमाई जा तबनी है। " यतम्य व मुख्यार्थि के प्रक्रम (Indecent & Scandalous Question) पूपने से न्यायात्रय माना में कर वक्ता है। प्रवम्न करने या नागज करने के लिए पुदे जाने वाले प्रक्रों है निवेध भी मना क्लिय जा तकता है। विवास मोर मोर ने वया व्यवस्था के प्रकृति के स्वायात्र की माना किया जा तकता है। विवास मोर मोर ने विवास को मोर में किसी मना हिल्य जा तकता है। विवास में भीर में वया उत्तर पुरे के किसी का प्रवास के प्रकृत करने के अपने प्रवास के यो हम प्रवास के प्याप के प्रवास के प्रवास

प्राप्ति नामाह के बारानों के प्राप्तिन न यह स्वष्ट खिराना चाहित हि — होयो ने उसकी तर्जे परीशा ही या दक्के लिए मना कर दिया। बवानों की नमानित पर शबाह को बयान पड़कर सुनाने के बाद बनी तथा जांच परिकारी दोनों के हहनागर होने चाहिते। यदि गवाह बवान गुनकर कोई एवश्य नरे, गो जनमा कींडे जन्नेय समाग के नर देना चाहित।

^{1.} मारतीय साहत अधिनियम—धारा १३८

^{2.} मारतीय साक्य प्रधिनियम—धारा १३९

^{3.} मारतीय साध्य अधिनियम—धारा ४२—४४

⁴ AIR 1959 Calcutta 693

⁵ मारतीय साडव प्रधितियम —पारा १४१, १४२ व १४३ 6 भारतीय साडय प्रधितियम—पारा १४४

^{7.} मारतीय साइव मधिनियम-चारा १४६

भारतीय साह्य ग्राथानयम—वारा १४६
 भारतीय साह्य ग्राथिनयम—वारा १४८

^{9.} मर्ीय साध्य समितियम --धारा १४१--१४१

¹⁰ मारतीय साहय प्रवितियम-धारा १४४

शपद्य नहीं -- किसी कामगार के विरुद्ध होने वानी इस धरैल जांच में जांच मधिकारी की न्यायालय के प्रविकार नहीं होने से गव हों को कोई शपय नहा दिलाई जा सकती ।

साध्य की सनाप्ति व बहस--

दोनों पक्षों की गवाही (साध्य) पूरी हो जाने पर दोपी व्यक्ति की, यदि वह खाहे, तो बहस (Arguments) सनाने का एक भवनर नहीं देना सहज याय के विरूद माना गया है 12 परस्तु कृति इससे कोई प्रथमत प्रशासनि न हुई हो, तो स्पत्तिगत सनवाई का अवसर नहीं देने से बांच द्ववित नहीं मानी गई। 18

सहस्वपुरा न्यायालय निर्णय

(क) तक परीक्षा एक ग्रधिकार---

भवने विरूप साध्य देने वाले गवाहों की तक परीवा करना दोषी कमवानी का बहुमूल्य अधि-कार है 128 धारोपी का सामना करने का मवसर नहीं देना सहजायात के सिद्धातों का हनन है 124

(छ) डोवी को अनुविधित में लिया गया साक्य-प्रमान्य—

बांच ग्राविकारी को समस्त भौतिक साध्य यानी गवाहों के बयान ग्रारोपित कमचारी की अवस्थित में जिल्ला चाहिये । उसकी प्रत्यस्थिति के बयान लेने से उसे बचाव करते का खाववर्ण क्षत्रसर नहीं दिया गया । पीठ पीछे लिये अयानों को माधार मानना सहत्र-याय के विक्रम माना गया है। 15 साध्य (evidence) का मर्थ केवल सके करना ही नहीं होता । धारोपित व्यक्ति के सामने नहीं लिया गया कोई दयान साध्य नहीं माना जा सकता र 16

गवाहों के बयानों के बाद प्रार्थी ने तर्क करने की कोई माँग या एतराज नहीं किया. तो श्रव यह यह मांग नहीं कर सकता कि-सहजायाय का हतन हमा है। 17 यदि किसी गवाह को दिना सबना दिये बुलाकर भीर दोषी कमचारी की धनुपत्थित में उसके बयान लिए गये. तो इसे सहहर-न्याय के विरुद्ध माना गया । 14

(ग) इकतरफा कायवाही-

जब कोई कामगार सुजना मिल जाने पर भी धतुनस्थित रहता है भीर जाँच में माथ नहीं लेता. क्षो उसके जिल्ला इक्तरण काववाही की जा सकती है। इसमें भी एक त क की यानी मालिक की धोर से परे गदाह व दस्तावेज सेकर ही जांच पूरी की जावेगी । बिना साध्य के निर्णय नहीं दिया का सकता । १०

¹¹ ILR 1957 Rai 823

^{12.} AIR 1963 M P 216 13. AIR 1961 SC 1623 1950 Patna 382 14. AIR 1959 All. 614 1955 Pepu 172. 1960 Myoore 139. 1960 Kerala 63 1962 Punjab 496

¹⁵ ILR 1957 Raj 823 16 AIR 1963 All 94 17 AIR 1962 Kerala 43

¹⁸ AIR 1960 Kerala 294 19. 1964 RLW 613

गवाहों को युलाना व बस्तावेजों को मगाना-

घरेलु जाँव से जाँच मधिकारी को ऐसे कानूनी मधिकार नहीं है कि-वह गवाही को बुलाने के तिए या दस्तावेब पेश करने के लिए कोई पादेशिका (सम्मन) निकाले । यह तो मालिक का कर्तव्य है हि-बह ग्रपनी शहादत स्वय पेश करे। इसी प्रकार दोषी कामगार भी भपनी शहादत स्वय पेश करे। यदि कोई दस्तावेब उसके पास न हो मौर नालिक के पास हो, जिसे वह पेश नहीं कर. सके हो उसके लिए दोयो कामगार माध्यमिक साह्य पेश करेगा ।

(४) जांच तिपोर्ट

घरेलू-जांच की समाप्ति के बाद जांच ग्राधिकारी ग्रपती रिपोर्ट तैयार करता है। इस रिपोर्ट मे निम्न बातें होती हैं.--

- (१) भारीय पत्र भीर दीपी के स्पष्टीकरण के बाद क्या क्या प्रक्तों (बाद हेतु issues) पर ৰ'ব কী গুচী
 - (२) प्रत्येक प्रश्न वा बारोप पर पक्ष बौर विपल की क्वा शहादत पेश हुई।
 - (३) शहादत के भाषार पर क्या क्या तथ्य सामने भावे भौद प्रमाणित हुए । जांच के धमिलेस (रिकाई) में निम्न सम्मिलित होंग-
 - (१) भारोप पत्र व अनका विवरण पत्र ।
 - (२) दोषी द्वारा पेश किया गया स्पष्टीकरण ।

 - (३) वांच प्रविकारी की नियक्ति की भावा ।
 - (४) दोषी को बुलाने को दी गई सुचना की माता। (४) जान के दोहरान दी गई बालायों की सूची (Order Sheet) धीर कार्यशही हा
 - विदरण ।
 - (६) यवाहों के बयान ।
 - (७) इस्तारेज, जो पेश किये गये।
 - (६) धन्य प्रार्थना पत्र व कानजात जो पेश हये :
 - (९) जाव रिपोर्ट ।

जाच रिपोर्ट व निष्कर्ष (Findings in Enquiry Report)

वांच रिपोर्ट में निष्कर्ष लिखने के लिए जांच प्रविकारी को साहय का मूल्योंकन करना होगा घीर प्रत्येक भारोप पर मलग से विचार करता होगा । इसके लिए पूरी सावधानी रखनी थाहिये । जांच मधिकारी की मचने निष्कर्षों में यह स्वष्ट बताना चाहिये कि-किन प्रानी का निर्माय करना या भीर उनके प्रत्येक के पक्ष या विषक्ष में क्या साक्ष्य या भीर उसके आधार पर क्या निष्कृत निकता। निष्कर्ष या परिशाम ससम्बन्ध विचारों या पक्षपात पूर्व सामग्री से रंगा हुसा नहीं होना चाहिये। बांच मण्डल या ग्रामिकारी को किसी मी कारण से अपने निष्क्रय संदेही, धनुमानों या शकायों (Suspicions, Conjectures or Surmises) पर वा विना साहय के या सारभुद धौर सुनगत साध्य को प्रनुचित रूप से प्रस्वीकार करके या प्राधिक रूप से साध्य पर धौर प्रासिक

रूप से सदेशे, चनमानी या शहास्रो वर धाधारित ननी ३२ने चाहिये। धनी मनाई या किसी की नहीं सूनी माहर स्वीकार नहीं की जाती (Hears ly evidence is not admissible) बीर सस पर प्राथारित निष्ट्य दिक नहीं तकते 1º धारोधित व्यक्ति के विरुद्ध प्रमिनिश्वत सान्य के प्रसन में ही निष्क्षे पर पहुचना चाहिये, बचाव की कथकोरी का प्रसन देना ही पर्याप्त नहीं होना।" ग्रागोपों को प्रमुखित करने का भार सरकार या मानिक पर है, परन्तुनिदौषिता प्रमाणित करने का भार कमवारी पर डालना महत्रन्याय नही है। अब यधिकारी की दो में पर्धों की बहुन (arguments) पर विचार करना चाहिए, परन्त ग्रमिन्स (विकाह) के बाहर की किसी सामग्री (extraneous matter) पर निक्त्यें को भाषारित करना महज्ञत्याय का हुनन माना गया है। जाव भाषवारी भाषती रिपोट में इण्ड के लिए मुमाब नहीं दे सकता %

इस प्रकार जांच रिपोर्ट एक महत्वपूरा अभिनेस है, जी मारोपों के सत्य या कसता होने वा निष्क्य देती है और उसके ब्राधार पर मालिक या मैनेजर दण्ड की बाला देश है। जांच श्पिट मे प्रत्येक प्रथम या तक को मानने या न मामने के कारण देने होते हैं। यह अर्थ रिपोर्ट स्पष्ट व नर्क यक्त होती चाहिये । सर्वोच्य स्थायालय ने खरडह कर् के मामने सहस पर महत्वपूर्ण निर्णय दिया है ---

'यह हो सकता है कि-जाब ग्रथिकारी को एक बहुत लम्बी या किस्तृत रिपोर्ड लिखने की ग्रावश्यकता नहीं है, वरन्तु वर्षोकि उसके निष्कर्षों के ग्राधार पर एक कामगार को मीहरी से हटाया जा सकता है, बात यह उन्हां कर्तव्य है कि-बहु बारते निष्कवों की स्पष्ट बौर मक्षिप्त रुप में ग्रीमितिलित करें भीर उन निष्कवीं पर यह बने के शारणी का सक्षेत्र में उत्नेत वरे । यदि ऐसा तरीका नहीं प्रचनाया गया, तो श्रीमक न्यायालय (दिक्यूनल) के तिए यह निर्णय देना कठिन हो जायेगा कि-जांच अधिकारी की वहच का सरीका मनन वालन या या उसरे निष्रय प्रतिकृत थे । बास्तव में यदि सालीसिटर जनरत के तर्क को मान निया जाय, सब तो पह ऐसी घरेन जांच के महरव क' हो समाप्त कर देगा । जैसा कि हम पहले भवनोक्त कर चके हैं. इमें उचित जांच करने पर ओर देना शेना घोर इसका घय है हि-नांच के दोहरान या उनके निरुष्य के समय और निरुप्तान की घाता देने से पहले ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिये, जो उस जांच को केश्त एक भौडवारिकश मात्र मानने की भालीचना का शिकार हो सके।"

मर्वोच्य स्थायालय ने बाद से भी मध्य प्रदेश उद्योग के सम्बन्ध में इस बात पर स्रोर दिया है कि-धरेलु जांच मध्यल को कारण बताते हुए ही बाजा देती साहिये । सर्वोच्च न्यायालय ने इस निशाय में बताया है----

AIR 1954 Cal 503
 AIR 1959 AII 223

³ ILR 1957 Raj 823

F. AIR 1954 Of 1954 V P 50 1952 Punith 233, 1963 Bom 121.

6. 1955 RW 166, AIR 1962 AP 497, 1952 SC 1130

7. AIR 1964 SC, 719

^{8.} Madhya Pradesh Industries Va Union o findia AIR 1966 SC 671

ध्यदि दि थुनल बिना कारण दिये बाला दे सकती है, तो यह शक्ति उद्ग्ड या बेर्रमान ग्रीयकारियों के हाथी म पटनर शक्ति के दू प्रयोग का एक साधन बन सकती है। किं तु यदि किमी ब्राजा के लिए कारण देने होने, तो यह ऐस दुश्ययोग पर एक सफल शेक होगी, क्योंकि वह माशा यदि बाहरी या प्रसगत विवारों को प्रकट करेगा, तो असकी स्याधिक जांच द मुवार हो सबगा । एक दोलती पाता (Speaking Order) यथा साध्य एक न्यायोजित भाजाहोगी भोर कम से कम तक युक्त तो होगी हो । जनतासे इस एव मात्र सरकाएं को यह वहा जा सकता है कि---इम सिद्धान्त की धपी-मही द्वीना जाना चाहिये। सीय न्यायालयो से समान रूप से नही माना जाना भीर भनील या संशोधन (नवरसानी) विना कारस बताये हो (in limine) मस्वीकार कर दी जाती हैं। यहाँ एक न्यायालय भीर धीर एक प्रशासनिक दुश्युनत में बावश्यक भेद हैं। एक न्यायाधील तथ्यों को वन्तुगत रूप में (Objectively) देलने के लिए प्रशिक्षित होता है भौर वह नीति या सीप्रता ने विचार से प्रभावित होता है, किन्तु एक प्रशासनिक पविकारी साधारखत्या तथ्यों की कीति धीर गीप्रता के दिख्योग में देखता है। इस प्रकार बनी प्रशासनिक_प्रधिकारी के मन्तिष्क की घादत प्रत्येक कार्य या कायवाही में बदन सके ऐसी घाशा नहीं की जा सकती। यद यह मात्रश्वक है कि-दृब्युनत्म पर किन्ही पक्षी के मधिकारों की प्रमानित करते हुए माज्ञा देने के मामतों में कुछ रोक लगाई जा सके भीर कम से कम वे भवना पादाओं र लिए कारएा दें। प्रयीलीय न्यायलयो के मामली में मी निश्चित पूर्वक कारण दिये जाते हैं, सिदाय इसके हि जब प्रधीनस्य न्यायालय के तर्क सगत निराय में बह न्यायालय सहमत होकर प्रपील या नजरसानी सारिज करता है या वहा इस्तक्षेप करने के कोई कावनी प्राधार नहीं होने । किन्त ऐसा समान तर्क प्रापीलीय दिश्यूनल के लिये लागू नहीं हो सकता, जब कि बहुधा पहली दुब्यूनत की माजा ही दीप पूर्ण हो भौर कोई कारण नहीं बताये गये हों। इसके प्रतिरिक्त, जब हम कारए। पर जोर देते हैं, तो हम कारशों वा कोई विशेष रूप या माप दण्ड निर्धारित नहीं करते । कारणों का विस्तार भीर रूप प्रत्येक मामले पर विभीर कणता है । साधारणतथा भरीलीय या नजरसानी करने वाली द्रिव्यूनल भपने कारण मलग से देशी, किन्तु किसी मामले मे जहा पहली दिव्यूनन ने पर्याप्त कारण दिये ही भीर चनको स्वीकार िया गया हो सी प्रपील या नजरसानी, यथा स्थिति, को उन कारणों से सहमत हो हर बास्तीकार कर सन्ती है। प्रावश्यक यही है कि-एक प्रपीलीय या अवरसानी करने वाली दुश्यूनल को स्पष्ट रूप से या पहली दिब्यूनन द्वारा दिये गये कारणों के प्रमग द्वारा कारण देने होंगे । कारणों का रूप भीर विस्तार पावश्यक रूप स प्रत्येक मामले के तथ्यों पर निर्मंद करता है। - --- "

इन प्रकार जाच रिवीर्ट में निष्कर्षों के कारण स्पष्ट दिये जाने चाहिये ।

(५) अन्तिम आजा या निर्णय

जौंच रिपोर्ट प्राप्त होने पर मैनेवर सामासिक बसके प्रमुखार दण्ड और माजा पर निर्ह्ण द देगा। मोडल स्मायी सादेग ने यत १४ (६) ने बताया गया है कि—

"इत स्वामी बादेत के प्रयोग त्या देवे में, मैनेवर अस_कामगार के दुरावरछ को मभीरता या दुरावा रिकार्ड (बाँद कोई हो) बोर ब्रम्य ऐसा विश्वितयों को प्यान में रवेगा, जो उस (ब्रासरए) को हलका या गंभीर बनाती हैं। मनेवर की बाता की एक प्रति सम्ब ियत कामगार को दो आवेगी।

इस प्रकार दण्ड देने की बाजा देने से पहले तीन दातों पर व्यान देना बावश्यक है—

- (१) दुराचरण की गमीरता
- (२) कामपार का पुराना रिकाट (यदि वोई हो लो)
- (१) मामल की परिस्थितियाँ जो उस कामगार के दूरावरण की गमीरता का कम या ज्यादा करती हैं।

इन पर विचार करने के बाद एचित दण्ड देने का मालिक या अनेजर को प्रविकार है। भौर

इसका निजय प्रकत उसी को करना से याक डोर व्यवहार के कारणा दिये गये द pute) कडा किया जासकता है भीर न् भ्रासाका एक नमूनानीचे दिया गया है।	ण्डो के लिए मी	चोगिक परि	बाद (In	dustrial Dis-
दगडाज्ञा का नमूना				
कार्यातव ***			•••	···
₹•			दिनोक	
	माश			
श्री	पद		- 1 ≉ 1	विरूद कुछ भारोगी
कै माधार पर जो उसको पत्रांक	- fद∘		द्वारा सू	वित किये जाचुके
हैं घरेलू जाँव की गई। जांच गणिकारी	की रियोर्ट प्राप	त होने पर	मनेजमेंट ने	उस पर गहराई से
विचार किया भीर इम निष्कृष पर पहुंचा ह	कंडकस्थी ∽			के विश्व पारीर
स• (सक्षिप्त विवरण दीजि	à) ~	— सिद्ध	पाये गये है	। यतः एदत्वारा
पह निर्एंप निया गया है कि उक्त यो ने इस मनअमट के प्रति वशादारी है				
काय नहीं किया और उनके इस दुराचरण	के काररग			हाविवस्याचनार
दीजिये) का दण्ड दिया जाता है।				
माज दि०	को≉	तरो किया व	T21 8	
				मालिक/व्यवस्थापक
য়বিবিধিধী ⊶ ⊶		ो मुचनार्ष ।		and desired
			•••	
			g • 3	मालिक/स्थवस्यापक

यदि घरेल जांब के दोहरान कोई घौद्योगिक परिवाद उक्षी भागले में उठाया गया हो तो श्राद्योगिक परिशव श्रविनियम की बारा ३३ के संघीन बिना स्पष्ट पूर्व स्त्रीकृति लिये किसी कामगार को कोई दण्ड नहीं दिया का सकेता । धत ऐसी परिस्थिति में मालिक को जांब रिहोर्ट पर कोई तिखंब महीं सेना चाहिये ।

¹ Hind Constuctions Co Vs Worker a AIR 13.5 S C 917 B. B. Coal Co Vs. Ram Prakash AIR 1364 SC 436

हिसी कामगार को दश्द देना या न देना-बहु मानिक के विवेक पर छोडा गया है। घनुष्रासन धीर कार्य के हिल में शदि दश्द देना सावस्थक ही हो, लगी मानिक या मैनेबर को दश्द की माना देनी पाहिंगे, नहीं तो चेतावनी देकर के कामगार को प्रपताना चाहिंगे। सहुदरता से वह मिलप्य में पच्ला काम करेगा। शावस्थक मानिक की प्रदेश कार्यवाही को पत्रियत वर ग (जेंटे-जग करना) मनिकर चायातचों में छोटी तो बाल पर समार को मदद मिल बाती है, पटा: सादयानी पूर्वक ही प्रते कार्यवाहों करनी चाहिये, पमचा हाले मैनेबर्गट को प्रदिक्त को मी केस प्रवेची है।

उपतहार

इंग प्रकार किसी दोषी कामगार को दण्ड देने के लिए साववानी से पराधान रहित होकर कार्य-वाही करनी पाहिये, ताकि प्रांगे आकर स्थवस्यापन को नीचा न देखना पढ़े ।

--

ग्रध्याय (७)

नियुनित या नीकरी देना (Recruitment)

वरिचय

- १ नियुक्ति करने का ग्रीधकार।
- २ 'नियोजन केन्द्र श्रविनियम' --- एक मानक ।
- ३ नियुक्ति पत्र का प्रारूप व सर्ते।

नियुक्तिका प्रधिकार

'मानिक' मानिक हो है।'' (Master is master) उसे धरनी मरत्री से विश्वी को मीनपुक्त करने का धांबमार है। निशुक्त के धांबमार में ही भीकरों से ह्याना व निव्धान्त करना विश्वान है। निशुक्त के नियं कह निश्वं के हो जो है। काममार धा क्यानों की तकनीकी मानिक वर्गा विश्वान की निर्दे वर्गा क्यान करना विश्वान की गर्द है अनका क्यान स्थान धायनगर है। वरन्तु किर को मानिक की निर्देश देने की पूरी धायानी है कि न्यू किने कार्रे तिवृद्धिक है। वर्ग्य क्यानों में स्थान की निर्देशिक है। वर्ग्य कार्योन वर्गों की निर्देशिक है। वर्ग्य क्यानों की मानिक की प्रवृद्धिक है। वर्ग्य क्यानों की निर्देशिक की निर्देशिक की मानिक की मानिक की मानिक की मानिक की निर्देशिक की की निर्देशिक की मानिक की मानिक की मानिक की निर्देशिक की मानिक मा

नियोजन बेन्द्र (रिक्त स्थानों की त्रिज्ञाचि) श्राधिनियम १६५६

एक ऋतक

बह प्रधिनियम हिसी भी रोजधार के लिए रिक्त स्थान (हाली खगड़) तो सूचना नियोजन केट (इम्मास्तमेंट एक्तवर) को देने की कोर्ड व तरीका बताता है। इसमे जो परिमायायें दी है जनमें निजी—उद्योगों से सम्बन्धित प्रथम ये हैं —

- (e) सरपान (Establishment) से सारपर्व है:-
 - (क) कोई कार्यालय (प्राफिस), या
 - (स) कोई स्थान, जहां कोई उद्योग, स्थापार, धन्या था स्थवसाय चलाया जाता हो ।
- (g) निजी क्षेत्र के सहयान (Establishment in Private Sector) से साल्यें उस सत्यान से हैं, जो कि सार्वजनित क्षेत्र (सरकारी) नहीं हो भीर जहां साव्यास्थानाय २१ या मधिक स्वक्ति चारिममिक हेतु काम करने के सिचे नियोजित हो।
- (3) प्रदक्ष कार्यालय कार्य (Unskilled office work) से ताराय निम्न प्रकार के कर्मचारियों हारा किसी सत्यान में किये जाने वाले कार्य से है, यथा—
 - (१) इपनरी, (२) अमादार, सहेंती या चपराती (१) आहू वाला या कर्रात,
 - (४) बरद्रस या शश्चिस उठाने वाता (४) तामील कुनिन्दा (भादेशका बाहरू)
- (६) चो कोदार (७) भंगो घोर (६) सन्य कर्मवारी, जिसे सरकार घोषित करें। साथ होता—(Application)

इस प्रकार यह ब्रॉवरियम केवल उन्हों संस्थानों पर लागू होना, वहां २६ या ब्रॉवरू व्यक्ति काम करते हों बीर बरश कार्यायय कार्य करने वार्तों के लिए भी यह लागू नहीं होना । बारा (३) में उन परिस्थितियों को बनाया गया है, यहां यह कार्युन लागू नहीं होता—

- घारा ३ (१) यह कातून इत रिक्त स्थानों के लिये लागू नहीं होगा --
- (क) निजो क्षेत्र में कृषि (कल उत्पादन सहित) में निवृक्तिमें के लिए, सिवाद कृषि कार्म जहां मशीनरो से काम होता हो,
- (स) परेलू नीकरी में,
- (ग) सीन माह से कम के लिये दी गई नौकरी में.
- (व) घरस कार्यालय कार्य मे नौकरी के लिए,
- (अ) संसद् के स्थापन से सम्बन्धित नौकरी में,
- पि केन्द्रीय सरकार किसी विवस्ति द्वारा झराया निहिन्द न करे, तो इन माम से में भी यह कानून कानू होगा—
 - (क) जो स्थान जसी सहयान के सबस्यों को पदोन्नित देकर या प्रतिदिक्त (Surplus) स्थापन को जिलीन करने से भरे आने हों।
 - (स) उन सारी त्यानों के लिये, जिन पर देवन ६० ४० प्रति मास से कम ही। इत प्रकार निवी उद्योग के लिए निस्त परिस्वितियों में यह कार्बून सामू नहीं होता है—
 - (१) यदि २४ से कम व्यक्ति उस सस्यान में काम करते हो.
 - (२) बदि उन खाली स्थानो का बेतन ६० १६० मासिक से कम हो.
 - (१) यदि बदस कार्यानय के लिए जगह साली हो,
 - (Y) यदि घरेनू नौहरी (Domestic Service) हो,
 - (१) मदि खाली स्थान केवन तीन माह सक के निये ही हो,

(६) यदि साली स्थान पर कोई पदोप्रति देनों हो या मौजूदा घनिरिक्त (सरसप्ता) होने बाने स्थानत को हो लगाया जाना हो ।

इनके धाताया सब परिशिवतियों में बारा (४) के समीन यदि गरना ने पोगणा ने हो, तो बनके पहुचार रिक्त स्थाने की मूचना नियोधक केन्द्र ने दी बतियों । ऐसा नहीं करने पर प्रार्थ (७) के समीय २० रूक तथा दूसरा ऐसा न क्यों पर १००० ६० तक युर्गाना निया जा सरवा है। बाहुन में केवल बाती स्थान को घोषणा व मूचना देत का प्रावधान है। इसके बाद नियोधन केन्द्र से प्राप्त मुखी में से यदि मालिक पाहें, यो किसी को नीकरों वे सकता है या मूची के बाहर के सिक्ती भी माल पोश स्थानिक की नीपरें दे पहला है।

कई मालिक समाचार पत्रों के द्वारा मुख्ता निहालने के बाद योग्य व्यक्ति को नियुक्ति देते हैं। इस प्रकार नियुक्ति के मामने में मालिक को पूर्ण स्वतन्त्रता है।

नियुक्ति पत्र का प्रारूप व शुर्ते

नियुक्ति पत्र में हेता की करों का उल्लेग धवक्य करना काहिये, इतसे बाद में कई अमारी से बता वा सकता है। जिल सम्मानों पर "मोमीमक नियोवन (क्यारी प्रारंख) में पिनियमों नामू होता है बानी नहीं काममारों के एक्स में के कर ६०० हो। बता को स्वी में मां मोहित हमारों नियमों में सी होती है। परन्तु कोई तास्पानी में नहीं १० मा सिक कमापार हो, बहुं किरही एस्ट धानू होने है उलमें दी गई को बहुं तास्पानों में नहीं १० मा सिक कमापार हो, बहुं केना को मार्च में सिक करनी होने पो पर्दा केना की मार्च मार्च के सिक होने हमारों के उलमें होने पर्दा करना धानकर होगा। नमूने के निय नियुक्त करना सार्च करना धानकर होगा। नमूने के निय

श्रयाय (८)

श्रोद्योगिक-ग्रन्याय व श्रशांति (Uufair labour Practices & Industrial Unrest)

परिचय

- १. 'दर्मादना' का घर्ष।
- २. "शिकार बनाना या तम करना" (Victimisation)
- ३. चन्यायपूर्वं तरीके (Unfair labour practices)

वर्तमान मुग "ध्यम प्रयान व उद्योग प्रधान पुत्र" है, इसमें पू बीगित (मालिक) व मजदूर के बीक सबसे पनता रहना है। यह मालिक एका। क्षाये ही देखता है धौर मजदूरों को उन्हें कानून के प्रधान पुत्र के प्रवास के प्रधान प्रधान के प्रधान के प्रधान प्रधान के प्रधान के

t. दुर्मावना (Mala fide) का सर्प

'दुर्मांदन' का साधाररण पर्य है— दुरी जियत (Bad faith) हे कोई कार्यवाही करता। व त्राहिक को नियत दुरी होती है, हो जेवका रूप उनकी कायवाही में फ़नकते लगता है, इसे प्रमाणित करने पर ग्यावालय मनदूर की सदर करते हैं। तर्वोचन ग्यावालय ने पाने कह निर्णुटों ने हम सब की स्थापना की है कि-पानुदुर के विकट दुर्मांदना से की वह कायवाही सर्वेच है। दावप्पा के मामते ³ ने क्वोंच्य न्यावालय ने बताया है कि-

"कानून में यह स्थापित स्थिति है कि-यदि सस्थापन की कार्यवाही के सद्माध्यूर्ण (bona fide) न होने या सहज न्याय के सिद्धान्ती के मग होने या सस्थापन जिस सामग्री के बाधार पर उस निक्तयं पर पहुना हो, जिस पर कोई न्याय पुक्त व्यक्ति नहीं पहुत्र सक्ता ही-ऐसा सनीय हो जाने पर दिस्युनल स्त्रीङ्गति देने से मना कर सकती है। उन प्रविश्तर मामलों मे बड़ां सामबी ऐसी हो कि-कोई साधारण न्याय मुक्त अपित (Reasonableperson) ऐने परिलाम पर नहीं पहन तके तो कामगार के दराचरण के बारे में सहवापन ने परिशाम निकालने में सद्भाव (bona fide) से कार्य किया है। यह निर्णय सामारणतया नहीं प्राप्त होता हि-सत्पायन ने सद्भाव से कार्य किया है, यदि साधारण स्थायपुक्त स्पहित डम निष्क्ष्यं पर नही बहुचे जिल पर कि—सस्थापन पहुचा है । झन॰ प्रत्येक मामने में दुब्यूनल को अपने आप से यह प्रश्न करना उचिन होता कि-सहप्रस्थाय के निद्धान्तों का परि भग नहीं हवा है, तो वह सामग्रे जिल पर सस्यापन ने कामगार के विरूद्ध निष्कर्ष दिया है, क्या सावारण न्यायिय व्यक्ति ऐसे निव्हच पर यह व सहता है ? ... "

परन्त धरने एक निर्मेष के में सर्गेक्व न्यावातय ने यह भी माना है कि-"दुर्मावता" का धारीर मगाने वाला इसे सिद्ध करने के लिए विश्वयनीय साडव पेश करे । बिना ऐसे साहय के टुंब्यूनल चपने चाप दुर्मावना होने या दुर्मावना की स्थिति का साटेह नहीं कर सकती। इसके बाद घन्य मामनों " मे यह भी मान लिया है कि-ट्रिब्रुनल उस बाजा की वहराई में जाकर यह पता लगा सकती है कि-संस्थापन की वह पाला रंगीन (मा दूषिन) है या नहीं।

इस प्रकार 'दुमावना' का चारीच निद्ध होने पर धौद्योगिक परिवाद द्वारा मानिक की कार्यशही को निरस्त किया वा सहता है।

२ शिकार बनाना या तग करना (Victimisation)

"Victimisation" ना पर्य है-'किमी को जिहार बनाना ।" जन्दहीय में इसका पर्य है-"making suffer by dismissal or other exceptional treatment so that an object may be gained '-प्रयांत-'किमी की नौकरी से निकानने या धन्य प्रवाधारएं वर्ता करता, ताकि कोई वह का सकत हो सके । कातून में कहीं भी इसकी परिमाण नहीं दो गई है, किंदु इस शब्द का उद्योगों के मामनों में बहुत प्रयोग कियाजाता है। ऐसा प्रतिकृत यापरशाया भनादश्यक कठोर वर्तात याँव कोई मानिक करे जो शाबारण स्नर का न्यायिक स्थिति नहीं कर सकता हो, तो यह विद्य कर देना "विकार बनाना है। इय पर न्यायालयों के वर्ष प्रनिद्ध निर्णय हो यह है-

क्लकता-उच्च न्यायाचय ने माना है कि-"शिकार बनाना (Victimisation) का धर्म दो बातों से है-पहली में जहां एक बामगार निदीय है किर मी उसे दश्व दिवा गया कार्रीकि असने मालित को नाराज कर दिश मेंथे-यह किसी मनिक सब का सिका सदस्य है जो बालिक के हिंड के विरुद्ध काम कर रहा हो । इसरी में बहां किनी कामगार ने कोई सपराय किया है, परन्तु उमें उसकी गमीरता के बतुरात से बाविक दण्ड दिया गया हो, बरोंकि उपने उत्तर बतावे प्रकार से मालिक की नाराब कर दिशा । कि इ बड़ी यह पाया गरा कि-एक कामा र वमीर दराबरण का दोशी है तब बड़ी विकार बनाने का प्रदन नहीं हो सकता बनोंकि बहु बनने बान ही निष्कासन के बीनर है।"

^{2.} Orassa Cement Ltd Vs. Their Workmen (1960) 2 LLJ 91 3. Murugin Mills Vs. Industrial Tribunal AIR 1965 SC 1496. Tata Oil Mills Vs. Workmen AIR 1965 SC 1672 4. National Tabacco & Co. Vs. Industrial Tibunal (1960) 2 LLJ 175

रत प्रकार तारतीक नारता जैन —जाराजनी आदि को खिलाकर कोई प्राय बहाना बुटकर निरीय कारतार को दक्क देना या दोगो को शोधक कहार दक्क दो या उनके साथ कहोता वरतना-वे तब वार्ती तिकार काने या तज करने न शमितित है योर एक कामना को इसने छुटकारा दिलाने के नियु दुश्वक को योखना है, यह जी दुर्जीकर्ता का हो एक रूप है।

३ अन्यापपूर्ण तरीके (Unfair Labour Practices)

सन्वाय पूरा तरीड मालिक धीर कामनार रोनों काम मे नेते हैं, दिन्तु शीखानिक परिवाद सर्वित्यम मे इतनो कोई परिमाया नहीं की गई है। इन कबद का ब्याकरस्त से मर्च करने पर शीन वार्ते हमारे सामने बातों है —

- it) Uufair वानी-सन्यायपूर्व, न्याय नगत नहीं।
- (२) Labour बानी-श्रम, जिसमे बामगार धीर उनके काम दोनों शामिल हैं।
- (१) Practices वारो-अम्स कामगार थार उनके काम दाना सामित ह

इंत इसार अस ने सानज्य मे गानिक या बामगार द्वारा को घरमायाूर्ण तरीके बाम में निष् जाते हैं, उन्हें पामगायुक्त तरीके (Unfair labour practices) कहेंगे । इसार वर्ष समझे के निष् प्रांपक्त का कानून' (Trade Union Act 1947) में सी गई गरिमायाय विचारणीय है, यदापि के वन विचारी पर लागू नहीं भी जा सनती।

धारा 28-J मान्यना श्राप्त थानिक संघ द्वारा ग्रन्थ।यपूर्ण तरीके

(Unfair practices by recognised Trade union)

एक मा यना प्राप्त श्रमिक सथ द्वारा क्यि गये निम्न कार्य झन्मायपूरा तरीके माने बार्वेगे —

- (क) किसी प्रनियमित हडताल में संघ के सदस्यों के बहुमन डारा भाग लेना,
- (स) विसी श्रीमक सम की कार्य कारिकों के लिए, किसी मित्रशित हडताल के लिए सलाह देने या सिकंव सहयोग देन या उसके लिए मडकाने का कार्य
- (ग) नय के किसी मधिकारी द्वारा इस कानून में वांखित रिपोर्ट में मू टी बार्ते दर्ज करना,

षारा 28-k-मालिक द्वारा ग्रन्थायपूर्ण तरीके या कार्य (Unfair Practices by employers)

म्नि काय मालिक के लिए मन्यायपूरण तरीके हीय --

- (क) हिसी श्रीमक सम्बन्धा समझ्य करने साम्मालत होने या सहायता करने के कामनारों के प्राथकार के प्रयोग में और धापका सहयोग या तरक्षण के सम्बन्धित कार्य वाहियों में समने में हस्तकोत करना, बाधा ज्ञानना या दक्षण ज्ञानता ।
- (स) किसी सम के निर्माण या प्रवन्य या उसकी मदद के लिये यन जुटाने या महारा देने के बायों में हस्तक्षेत्र करना,
- (य) कियी मय का पदाधिकारी होने के कारण कि तो प्रथिकारी को तेवा से हटानां था उसके साथ भेर माव करना

- (म) दिली कानगर को नौकरी ने हटाना या उसके शाय मेद माय करना, क्योंकि उनने हिनी मामने में चारा २० एक के तन लग्द (१) में बॉलुट किनी बांच में बारीर नगाये या सहादत दी ।
- (ह) बाद्य २= एक के प्रावधानों को मानने म बगुद्रण रहना s

परन्तु काम के समय अवस्थ का कार्य करने से कियी कामगार को रोहना आवायपूर्ण तरावा महीं हाल ।

इस प्रहार इस परिमाया में हमें अनुचित तरीकों, की मोटी कर रैसा मिनती है। बास्तव में इपटा मही निस्तर प्रापट मामने के तच्यों पर निर्मार करता है । बही दुर्मादना भीर विचार बनाता या वन करना वर्देश्य प्रतीत हो, वे सब वर्तके धीर कार्य 'बन्मायम्' वरीकी में निने बाबेंप ।

महत्त्वपर्णं न्यायासय निर्णय

/हुर्मावना से घम्त स्ववहार श्रामात्रपूर्ण है ।* यदि घरवारपूर्ण छत्नी की गई, हो उसे भी मुत्रोंक्व स्थायानय ने " घरवायाना ही हरीका

माधारण नियमों की धरहनना करके किया दूसरे कारणों की मुध्य कर से धायार बनाकर कार्यवाही करना "धन्यायमुग्रं वरीहे" माने बाते हैं।

L (1960) 2 LLJ 39. 2. AIR 1960 S. C. 762

[.] AIR 1960 S. C. 1288.

श्रध्याय (१)

ञ्चन्यायपूर्ण निष्कासन (Wrongful Dismissal)

र्धरचय

- १ ग्रन्यायपूर्णे निष्कासन का स्वरूप ।
- २. ब्रोग्रोधिक परिवाद के बोहरान निक्कासन ।
- ६ ग्रन्यायपुर्शं प्रत्यावर्तन ।

ग्रन्यायपूर्णं निष्कासन का स्वरूपः

धोजीविक प्रसारित का दारण प्रत्यावयून दिशों में िश्मी कामनाद को निक्कातित या तैयां में हटावा भी है। मी हमें भानिक को इक्जा पर निर्माद है, क्लियु किर भी कानून ने नेवा को मर्त रुवादित को है बोर लहीं के प्रमुत्तार 'प्रयुवातिक कार्यवाही' करके किमी कामनाद के हटावा या महता है। दिन्तु प्रयावकृत तमीके कानाकर दुर्माकत मा तिकार बनाने के दर्देश्य के दिन्ये गर्मे निक्ताहक को स्वाधानकों ने प्रमृत्तित कार्याय पूचा माना है। एक कामनाद के दिक्ट जब मानिक कोई घरेलू जीव करता है धोर क्षी बीच उनी मामने को नेवर यह एक घौमीविक परिवाद सद्याकर रेता है, तो स्वर्णायन स्थायानय या द्रियूनक की पूर्व स्थितिक देवना उस मर्थवाही के रोहराज उसे निक्षातिक नहीं किया जा सकता। ऐसा बावकार 'प्रोचीविक परिवाद स्थितिवय'' को बारा देव में पढ़ा है।

घोशोपिक परिवाद के दोहरान निष्कासन या सेवा से हटाना. एक धवेध कार्यवाही

इन सम्बन्ध ने बार ३३ के प्रावचल इत प्रकार हैं ---पारा ३१-कार्यवाही के विचारापीन होने की स्थिति में सेवा की हातें ग्रावि प्रथरिवर्तनीय रहेंगी----

- (१) किसी मोग्रोगिक परिवाद के लिए मिंद कार्यवाही हिसी सम्पर्क श्रीषकारी या मण्डल या किसी अब स्वायालय या द्विवृत्तन या शाब्दीय दिस्तृतन के विवादमीन हो, तो कोई मासिक (नियोक्क)
 - (क) उस परिवाद से सम्बन्धित किसी मामले में सम्बन्धित कामपार की हानि पहुंचाने के

ृनिष् सेवा की शर्नों में जो कि कायवर्ष्ट्रा शुरू होन के समय लागू थी कोई परिवर्तत नहीं करेना,

-- 707 ----

(स) उम परिवाद में सम्बन्धित हिभी दुरावश्या के लिए जिमी सम्बन्धित कामगार को नौक्री स नहीं हटायेगा या दण्ड नहीं देगा।

परन्तु जिम प्राधिकारी के ममभ वह काववाही विवासपीत रह, उनकी निषित्र स्थण स्त्रुपति नेकर वह ऐसा कर सकता है।

(२) किना धोटोगिक परिवाद व बार में ऐसी वायवाड़ी के विवासयोन होने पर मानिक उन सम्बन्धित कामगार पर लागू नोने वाल स्थाया धार्टन के धनुमार-

(क) एमी कायवाही के ब्रारम्य होन में कुँतन्त्र पहल प्रवनित देवा की उन कार्तों माबी उन मामले स सम्बाधित नहीं हो, परिवर्तन कर सकता है।

~- यो **-**--

(स) ऐसे परिशद स समस्यद्ध शिमी दुरावरण के लिए सम कामगार की दण्ड दे सकेगा वा हुन सकेगा।

परम्यु एमा नामधार रुवा मुक्त या हमवा नहीं बावेगा, बन तर हि-च्ये एक माह का नप्त नहीं दे दिखा जान और माणिक द्वारा उस प्राधिकारा के समम बहु वार्वेशही विवासकीन है, एक प्राथम पत्र उसक द्वारा का माने सांचा कायवाही के निष् सनुसनि हेनू दशा।

- (३) का चारा (४) म चाहे बुछ भी प्रारक्षक क्यों न हो, दिमा भीडोनिक परिवाद के विकास-धीन होने पर कोई मानिक किसा एवं सरितित व सर्वाचित्र कामनार के विकाद कोई कामनाहों नहीं करेगा-
 - (क) एन मर्रागत कामगार को हाति पत्रभात हुए उस समय प्रवस्तित सन्ता की करों म कोई परिवतन नहीं करेगा :

m

(स) एम मर्रानन कामवार को मीडरी म हरान का या बोई बाय दक्त मर्गे देता ।
 सिवाय द्वनके दि—वह उस प्राचिकारी में निवित में स्टब्ट समयनि प्राच्य करते ।

स्पर्टोकरएए —इव टर घाश के टर्डेग्व में हिमी मध्यान के लिए एक "मर्रानन कायवार" से भाग्यत दन कामपार म है जो दिसी प्रशानन व्यक्ति मण का एक प्राधिकारी है जो उत तक्कार में सम्बद्ध है और उन निवसानुनार एमी मायवा दे दा गई है।

- (४) प्रायस सम्यान स वर पारा (१) क व्हें कर कि निष् सामात्रा प्राप्त संस्तित कावणारों की सरवा हुम कावणारे थे। संक्ष्मा का एक प्रतिकृत परानु कर से क्षम १ क वांकर से वांकर १०० की सामा सं होंगी घोर इस वहें कर कि तह हा क्षम प्रत्य प्रत्यार विक्रिय प्रविक करों में इस मक्ष्म क विकार कियान है निष् नियम करावेणी।
- (र) जहाँ एक मानिक विशा सम्पर्क प्रविवासि, प्रवस्त, ध्यम व्यायान्य, रिस्तूनन का शक्ये प्रमुखन

है तो सम्बच्चित प्राधिकारी, बिना देरकिये, ऐसे प्राधैना पत्र पर मृतवाई करेगा धीर समा सम्बक्त शीस निवन निर्माय देगा।

इस प्रकार श्रम करवाण व सत्तठन के लिये काम करने वाले कार्मन्तीमों को कार्नूनी सरसण इस बाध (३३) में दिया गया है।

प्राय्कल प्रत्येक दावगार देथावते में धोद्योगिक परिवार उठाया जाता है। यतं इसंघार (६१) से सार्विक को प्रार्थन पर द्वारा स्पृत्वति सार्वित दा जो बीरागार विद्यागया है उनके सानि मी हर मामले से प्रार्थना वन पेगा नियं आते हैं। यतं धुनुर्यात देने के विषय पर सार्येक कारासय ने कह महत्त्वपूर्वनिर्णय दिये हैं—

" दोत्रीय सम्पर्क धिष्ठमारी था सहायन रोत्रीय सम्पर्क धिष्ठमारी के हारा (सनुपति के प्रायंता-पत्र पर की गई) जोव वा सेत्र घोर तिवित सनुपति वा प्रमाय उस तेथा कुकि सा तिन की वित्र सारित की स्वार तहीं या, वरानू देख सावित के धार्यकारों पर ससे रोत्र को हटाना वा "' दसके तित्र सावित को एक प्रायंत्रिक सामायता येता करता होगा धीर ट्रिप्यूनल वा सेत्रीयकार वेवत हतना है होगा कि-वह सनुपति दे या गर्द सर्वात कि सावित इसे सनुपति दे या गर्द सर्वात कि सावित इसे स्वार सेत्र स्वार सिवा सिवा स्वारी के सिव्य कार्य नहीं कर रहा हो । वह प्रायंत्र पर योग धनुनति देते साव कोई गत नहीं लगा सत्रती। सर्वित स्वार्य है । ऐसी कावशाहे पर वामगार धीरोतिक परिवाद सक्ष्य तर्व कर्मा धीर व्यव देते वे तिव स्वार्य है । ऐसी कावशाहे पर वामगार धीरोतिक परिवाद सक्ष्य तर्व कर्मा धीर वा स्वार तिया स्वार स्वर्य है । ऐसी कावशाहे पर वामगार धीरोतिक परिवाद सक्ष्य तर्व कर्मा धीर स्वर्य के साव स्वर्य के स्वर्य स्वर्य

सर्वोच्न न्यात्रालय ने सार्ड कृष्ण टेश्नटाइल निम क के भामले में भारा ३३ की विस्तृत स्वास्या इस प्रकार की है —

" विचारपीत घोषोतिक विशाद के समय मालिक के प्रियकार पर रोक समाने के बहुँच पर कई बार इस मालिक के विकार किया है। पंत्रक नेवनन के कि जिया का स्वास्तार- एक के समय के के स्वास्त के स्वास्त के पर के समय के का समय के समय के समय के समय का समय के समय के समय के समय के समय कर समय के समय का समय के सम

^{1,} Altherton West & Co. Vs. Sutt Mill Mazdoor Union. AIR 1953, S.C.241. 2. Larmi devi Sugar Mills Vs. Pandit Remswarup AIR, 1957, S.C. 82.

³ Lord Krishna Textile Mills Vs Its Workmen AIR 1901 S C 860

^{4.} AIR 1960 S C 160

करती गई हो धोर किसी प्रकार के जिलार बनाने या धानुवित तरी है का प्रशेष न हो, तो धानुपति देने पानी दिन्मुलक को बेबल गड़ी सनोप करता था किन्मुल कप से सामगार के किस्ट मानना बनता है या नहीं धोर प्रताविक वार्षवाहों (दक्क) के घोषित्व या पुणावनुण पर क्षित्र र करना नहीं। हुमारे सामने मानना यह है किन्द्र स जोक वा स्वक्त क्ष्या हो थी धारा देदे (देश के प्रधान बोक करने का विद्योग प्रधान के किसा हो वार्षवाह के स्वताविक है। "धारा देदे (देश के स्ववाधिक प्रधान के स्वताविक है। "धारा देदे (देश के स्ववाधिक प्रधान के स्वताविक स्वताविक प्रधान के स्वताविक स्वताविक

यह ब्यान देने की बात है ति ≐त्रव कोई भौद्योगिक परिवाद विचाराणीन हो, तह भी उस विवाराधीन परिवद से ग्रसम्बन्ध मामलों मे सबा की शतों में परिवत र करने का मालिक का प्रविकार मान निया गया है और सम्बन्धिन स्थायी ब्राइंश के बनुसार इस व्यविकार का प्रयोग किया जा सकता है। ऐसे मामलों में कोई प्रार्थना पत्र देने व मनुमति प्राप्त करने की ग्रावश्यकता नहीं है। जब कोई मानिक, येनकेन, किसी नामगार को नम विचारायीन परिवाद के स्रानिरिक्त किसी धारोपित जब बाइ थासक, परकर, राज्या या निकासना चाहता है, तो वह स्थायी प्राप्टेश के घनुनार ऐसा दुरावरण के निष् नौकरी से हदाना या निकासना चाहता है, तो वह स्थायी प्राप्टेश के घनुनार ऐसा कर सकता है, परम्युदन पर मी 'पाम्युक' द्वारा एक रोक सगाई गई है। इस परम्युक के घनुसार उसे दो गर्नों का पालन किये जिना किसी कामगार को भीकरी से हटाने या निकासने से रोका गर्ग उस पहली बत है कि—उस कामगार को एक माह का बेतन दे दिया जाना चाहिये और दूसरी बार्त है पहली बत है कि—उस कामगार को एक माह का बेतन दे दिया जाना चाहिये और दूसरी बार्त है कि −मारिक द्वारा सलम प्राधिकारी को उस दश्क के लिए मनुवित देन हुनु एक प्रार्थना पत्र दे दिया गया हो । यह स्वष्ट है कि-जहां कोई मामन बारा ३३ (१) के सबान सान है, बनो लिखित से पूर्व मन्-ित प्राप्त किए बिना मालिक कोई कार्यवाहा नहीं कर सकता । धारा ३३ (२) के प्रधीन माने सनुभात प्राप्त विश्व भागित का का व्यवस्था गढ़ कर नदा। था। ३३ (१) व सवात्र भाव बाल सामजों से मानिक की उक्त या दूरी करतो होगी, पर बदुष्ट सनुमति विविद्य प्र प्राप्त करेयह सावश्यक नहीं है। दूर्य कि प्राप्त करने की प्रयुक्ति प्राप्त क से स्पष्ट सन्तर है कि ⊷पारा ३३ (२) म नवार्त गई रोक उनने कठोर नहीं है, दिवसी पारा ३३ (१) में। सनुमति (Permission) देने या व देने का प्रविद्यार सहमति (Approval) देने या रोकन ने मांघक स्थापक है। भारा ३३ (२) के मधीन मामनों पर (Approval) चार पार्या पार्याचिक विकास करते हा प्रधिकार होगा हिन्यस्तावित दण्ड त्याद भागों न भनुनार है या नही नम्बन्धित कामतार को एक मार का बतन दिया गया या नहीं करी के जागारा में वर्षितन अवार स तहसीत (Approval) के निष्प्रापता पत्र देखा सवा स्रोट उक्त उसारा में वर्षितन अवार स तहसीत (Approval) के निष्र प्रापता पत्र देखि सवा या नहीं। यह स्वष्ट है वि—सारा ३३ (२) (क) के सभीत सेरा की नती में परिवर्तन के सामसी स एसी महमति प्राप्त करने की धावक्यकता नी हैं भीर माजिक के सधिकार ऐसी रोक से सप्रसावित हैं। यत इमे ननारात्मक रूप मे देवने पर, मलम श्रीयोगिक प्रापिकारी का सेतायिकार ३३ (२) (स) के मधीन जांव करते समय बारा ३३ (१) के मधीन प्रदत्त क्षेत्राधिकार से मधिक विस्तृत नहीं हो सकता भीर वह उसन मधिक सीनिन ही है। घारा ३३ (२) के सबीन सविवारों वा प्रयोग करते समय एक सदान प्राधिकारी को ज्यान में रखना होगा कि-विधायिका द्वारा जान बुमकर औ विभेद रिया गया है कि दो प्रकार के मामने दो उप भारामों के स्थीत साने है सीर एक प्रकार के मामते म स्पष्ट चतुमित भीर दूसरे में क्वल महमति का प्रावधान रक्षा समा है। यह साम है हिन साम ने न रायक अपूर्णा चार क्रूरा न रायक प्रदूत्ता राज्य स्वाप्त कर पर सहस्य है। यह साथ हार म सप्तम प्राधिकारी उचित्र मावभों मे सनुसनि देन से इन्हार कर सहस्य है, क्योरि वासा ३३ (४) स हराष्ट्र कर से उस प्राधिकारी को सपन सामन साथ प्रार्थन। यत पर बारा ३३ (२) (स) के सपीन

उदित यज पारित करते का प्रियार है। यह उस पर सत्मति ने मक्ता है या द्वार कर सकता है, पत्न, वेनकेन, कोई धर्में नहीं न्यार पकता सोन न मनत धर्मा ही दे सकता है। " पारा इहें (३) सर्वित कामनारों के सामनों में समय करने कार से सारा इहें (१) के प्रयोग वान वार्त सामनों से मा सारा है है। दूबरे गाना से नियान का में है। प्रयोग माना को स्थान का किसी सरिता कामसार कार से देखा को मति बदना पाई या उसे नी रोग पहुना था निकानना पार से उस स्थान का प्रयोग का से है। वार्त का से सामन पार का से वे ह्या को मति करना पार के सामन पार का से के सामन का सामन पार के सामन का स्थान स्थान के सिता का स्थान स्थान के सामन का स्थान स्थान है है जो का सामन का स्थान स्थान का स्थान का स्थान स्थान का स्थान स्थान का स्थान स्था

इस प्रकार के प्राथना पत्र की कार्यकाही को सर्वोच्च न्यायालय ने सलग कार्यवाही साना है कीर मुख्य परिवाद की समाप्ति के साथ यह समाप्त नहीं हो जाती । है

यया पे प्रावधान श्रनिवार्थ हैं ?

सर्वोच्च स्वाबालय ने एक सामर^{्थ} स भौताशिक परिवाद (बयोज व ट्रिस्पूचन) **स्थितियस्** १९६० को भाग २२, जो कि सीचैयिक परिवाद स्थितियम को याग ३३ के समक्रत **है,** ^पयर श्यास्था करते हुए बताया है कि—

"पारा नव के पार्यीन की गई वाच में दो प्रका विचारणीय है-जया बारा २० के प्रावधारों का सालक दारा नव करना सिंद हो गया है गया हुं हा, तो बया मानिक हारा दो गई बाता गुणाज्याल (MECTIS) पर अप्योजित हैं जो दें दे होनें प्रका चामार के पण के जलर प्राप्त करते हैं, तो देवने कोई सदेह नही है कि द्रम्याचित हैं गये दे होनें प्रका बागवार में पण नव्यं प्रति द्रम्ये कोई सदेह नही है कि द्रम्याचित हो पर में हो है। ते प्रमाद का स्वाप्त के पर में हो है। ते प्रमाद का निवास के स्वाप्त के प्रमाद के स्वाप्त के स्वाप्त

⁵ Tata Iron & Steel Co Vs S N Madbok AIR 1966 SC 380

⁶ Equitable Coal Ltd Vs Algu Singh AIR 1958 SC 761

⁷ Automobile Products of India Vs Rukmaji Bala AIR 1955 SC 258

काम न दे, तो उसे उम दिन के निए इम लब्द के धर्म में काम बाद (Lud off) समग्र जानेगा ---

परन्तु धरि तह कामगार क्लिंग पारी के गुरू में काम पर नहीं निशा पया और उन पारी के प्राची बीज बाने पर बुजाया गया और काम पर सर्गाया गया, ती उसे केवल साथे किंग के सिए काम बन्द समझा जानेगा —

पुनः मदि बुतने पर वह काम पर मात्रे मारि उनने वावमूद उसे काम न दिया बादे, हो उसे प्राप्ते थारी के लिए "काम कवा" नहीं माना जावेगा सीर उसे उस दिन के मान का पुरा मुन्न बेनन व महाग्राई मता मिनेगा ।

इस प्रकार सह स्वष्ट है कि काम बन्दी सानिक की एक विद्याना है। परिभाषा के पतु-सार निस्न छ, कारणों से मानिक सपने कामणारों को काम देन से प्रतक्षन रहना है —

- १. कोयने की क्यो
- २ विद्रली की क्मी ३. कम्बे शल की कमी
- ४. स्टॉब का दकट्टा हो जाना-पति उत्पादन ।
- १, मगीनों ना सराव हो जाना ।
- ६, ग्रन्थ कोई कारण (ओ इसी प्रकार के होंगे)।

यण एक सम्पाई बना होती है, जिस के समात होते हैं। मह कामगारी को काम पर निया खाता है।

२ छटनी का स्थम्प व शर्ते

(Nature & Conditions of Retrenchment)

कई बाद मानिक धाने उद्योग को स्वयंक्या की मुखाने थीर धाने बदत हुए वर्ष की कम करने नियं मितिएन (सरप्तम) कामगारी को भीकरी से धनम करता है, इसे 'एन्सी' कहा बाता है। बीचोमित परिवाद स्विभित्तम को बाता र (००) में इसकी परिवास इस प्रकार की गोहें :---

" २(००) 'छरतो' से तालये है मालिन द्वारा विसो वामगार को सेवायों को समाप्ति (termination) विसी वारतः से करता, धनुसासनिक वार्यवाही में बण्ड के कप में नहीं और इसमें ये शामिल नहीं होंगे—

(क) किसी कामगार की ऐव्यिक सेवानिवत्ति, या

(स) मदि मातिक और मजदूर की संविद्या (सेवा की शतों) में स्पष्ट धावचान ही,

ती निश्चित्र ग्राधिवाधिको झापु पर पहुंचने पर सेवा निवृत करता, बार (ग) सहातार करे क्वास्थ्य के कारण सेवा सहारित ।

हर परिष्णा में यह स्पट नहीं होता कि—सदानी ने बारण बता हो। सहने हैं और खटनी ना सर्च नायारण क्यें ने हायारणें की सहत में बदौरी कराना है। बदन्तु विकास कंती किन्न और हरियादार ने सामनों में कार्रेष नायात्त्व ने बताया है कि—सन्दर्शन के भाषारण सर्व को हुने महीं सनाना है।

^{1.} AIR 1957 SC 95

^{1.} AIR 1937 SC 93 2. AIR 1937 SC 121

स्दानों का मुक्य वहें बर दो सतें प्रषट करता है— (१) कि-महयान से मंविरिक्त (सरव्यन) कानकार है, जिनके विजा काम चल मरवा है भीर (२) सरवान को उस्तात करण करने के किए मिलकप्री करान है। इसने लिए वह किसी एक उप प्रिक्त कामगारों में सुन्ती कर करना है, पर करने का प्रियार है। इसने लिए वह किसी एक उप प्रिक्त कामगारों में सुन्ती कर करना है, पर वु उन्ने सुन्तात है काम वरना होगा। इसकी चाट से वह निकार कराने (Victimisation) की प्रमृति वा सहारा नहीं से मरवा। इस प्रकार सिकार कराने या सुन्तित स्विक्त परिक्त पर नहीं होना चाहिये, त हो हो स्वयस्थायक को सुन्ती करने का पूर्व प्राव्यार है। स्वरों से प्रकार नहीं होना चाहिये, वो बाद से बावार पहुंचे सरने किया जाय। (Last Come, first go) ऐसे मामने म जब सद्मावना (bons fide) स्वयन्ती, तो हिन्दुनत जबमें हनकी करता।

'छन्तो' एक कारसाने या सस्यान में सावश्यक प्रक्रिया है। इस सम्बन्ध म चार प्रश्न विचार-एगेय होते हैं ----

- (१) क्या बास्तव में सस्यान में कामगारों की सक्या जरूरत से ज्यादा है-धानी-सरप्तस हैं ?
- (२) क्या बास्तव में सस्यान की दशा ऐमी है कि-छटनी मनिवास है ?
- (३) क्या छटनी मे मानिक ने बद्धावना से काम क्या यानी का उसने कार म धाने वाले को पहले हटाया ? यानी क्या धारा २५ (g) के धनुसार वरिष्ठना के धनुसार छन्नी को है ?
- (४) यदि विश्वता के विना किसी को हटाया गया, तो नया इसमे सद्भाव रहा है यानी बेकार, काम न करने वालों को विश्वत होने पर मी हटाया गया है?

स्त्री के ब्राधार पर सद्माव स्थापित हो जाने पर मालिक जिसे बाहे, उसे हटा सकता है, समके लिए उसे उस कामगार को मुगावजा देना होगा।

३. छुड़नी व कामबन्दी में धन्तर

छूनी व नामबरी दोनों में सब्द बनतर है। विद्याना के कारण हो सानिक इन दोनों में से एक तरीका प्रमाना है। काम करी एक सरकाई दता है, वह किसी कादगार को काम नहीं दिया वा सबता; दान हुएनी स्वाह देता है, किसी कादगार को काम नहीं दिया वा सबता; दान हुएनी स्वाह तहीं काम करते वामल हो जाती है, पर एक्टनी नहीं। काम करने मानिक के निवसण के बाहर के कारणों के होनों है पर जुएनी में जो स्विक नामना की काम न दे सकते के कारणों उन्हें हटाना पठना है। काम न वहीं सकते के कारणों उन्हें हटाना पठना है। काम न वहीं काम करने के सारणों उन्हें हटाना पठना है। काम न वहीं काम करने के सारणों उन्हें हटाना पठना है। काम न वहीं काम करने के सारणां उन्हें हटाना पठना है। काम न वहीं काम न वहीं काम करने के सारणों उन्हें होती; पर तु बाद काम न वहीं काम करने हिम्म करने हैं हिम्म करने हिम्म करन

४ काम बन्दो का प्रतिफल या मुद्रावजा (Compensation)

काम बदी पर बामगार को मुपाबजा देने का प्रायम वारा २५ C में घौर छटनी के लिए बाग २५ F में दिये गवे हैं। काम बन्दी के लिए मुपाबजा मादि देने की गाँ धारा २५ A के अनु-बार निम्न परिस्थितियों में लागू नहीं होंगी—

¹ AIR 1960 SC 610

- जिन सस्थाओं मे विद्यत्ने माह में झौसतत प्रतिदिन ५० से दम कामगार काम कश्ते हो, या
- २ मीनमी प्रकार के (Seasonal Character) या वह कर नव नाम नवने वाते सत्यानों में (जैसे चीनों नो मिलें) इस मामले में नीई फफ़र हो, तो सरकार यह निख्य करेगी कि कोई नस्यान गीतगी प्रकार ना है।
- ३ श्वारा २५ कि कुछ मामले बताये गये है श्विम काग्र रद कामगार को कोई मुपायबा नहीं मिलेगा—
 - (१) श्रीद कोई कामगार बडले में दूसरा काम उती साथान या उती मालिक के मन सत्यान में उती स्थान पर अभी बेतन पर करना अस्तीकार कर है.
 - (२) यदि वह सावारण काम के समय म कम से कम दिश में एक बार स्वय उपस्थित न हो
 - (३) र्याद काम बन्दी किसी हुस्ताल या नामगारों के घोरे नाम करने की नीति के सारता की गई हो।

परन्तु सम्य परिश्वितयों से बन से कम एक वय को सवाजार तेवा वाले बायवार को, जितका नाम दिसी सराम के जारिक्षीत पत्रक में है, माजिक द्वारा बाब बन्दी के दिनों का सुमावना देश होगा, तिनसे एट्टी नहीं गिजो असेशों को एट ये हुन तेवत म महामाई माजे का २० प्रतिवात मुक्त देश होगा, तिनसे एट्टी नहीं गिजो असेशों को एट ये हैं ति स्वाप्त के साथ के भर दिन से सावक का मामका नहीं विनेता। पुत्र पिंद सिंदी का स्वाप्त के गियुने १२ माह में ४५ दिन का मुमावना दिश जा चुका हो और एट उन्ने एक बार में नामार्गर एक सन्ताह में स्वित काम उत्तर देश आहे ने निवसानुनार मुनावना देश का स्वाप्त काम त्या होगा।

"एक वर्ष की लगालार नेवा" की बारा २६ B में परिभाषा देकर बताया गया है हि-सिद्धने बहुं मर के कम से कम २६० दिन काल किया है। इन दिनों की गलाना में सारवान में बातता में काल करने कि निर्माण ने आर्थेस घोड़ जाने निवधानुतार क्या करों के दिनों की मी विशा बावेशा तक निवधानुतार दी गई शतिक होईलों में बाजिक होंगी।

यह परिभाषा देश बानून की घारा दश FFF और दश FF वर भी लागू होती।"

५ छटनो पर मुद्यावजा

धारा २४ मिन तन (क्ष) में बताया गया है कि—छुन्ती में मनय कामगारों को उनकी सेवा के प्रारक पूरे वर्षया उसके छ भाह से ग्रामिक तक के ग्राम के लिए १५ किन का भीतन बेनन मुसाकन में देना होगा।

सर्वो च न्यायात्र्य ने माना है कि यह मुमापत्रा निवृत्ति-पुरस्तार (Gratuity) से तस्या मिस है। यदि नियमों मे प्रावधात है, तो उसने मनुसार छन्नी ने नमम प्रतग से निवृत्ति पुरस्तर भी देना होता। वै

¹ Shri Bijai Cetton Mills Ltd. Vs. Rashtriya Mill Mazdoor Sangh ILR (1965) 15 Raj 756-AIR 1965 Raj. 213.

^{2.} Irdian Hume Pipe Co Ltd Vs The Workmen AIR 1960 SC 251

/६. महत्वपूर्ण न्यायालय निराय

मर्बोच्च न्यायालय के यो प्रसिद्ध निर्ह्मयों भे संदर्गी भीर मुपावजे के प्रक्रो पर महत्वपूर्ण निर्ह्मय हुने हैं, जिनका साराल इस प्रकार है—

- (१) यद्यप्रिट्टा सत्यान के व्यवस्थानन का एक स्रियकार पूर्ण कार्य है, फिर सी उसमें दिस्युवन गहरी जान कर उचित स्राज्ञा देसकति है।
 - (२) विद उटनी दुर्भावना पर धाधारित है, तो वह एक प्रायायपूर्ण तरीना है. शिकार बनाना है।
 - (३) छहनी को तियम यह है कि "बाद मे भाने वाला पहले हटाया जाये।" कुछ मामलों मे व्यवस्थापन इसे मग कर सकता है, पर इसके लिए उसे सगत कारण बताने होंगे।

श्रयाप (११)

तालावन्दी त्र्योर हड़ताल (Lockout & Strikes)

भोदोगिक पश्चिद सर्थिनियम ने सत्याय (४) में सारा २२ से २४ में 'हाउताल व ताताव री' का बखुत किया गया है। हम पीसे सध्याय (४) में (तृष्ठ १७ से १९ तक) हहताल का वर्षन कर चके हैं। यहा तालावन्दी का परिवय देंगे।

चुक हूं। बहा बालाबरन पा भारण परा। कई बार मालिक मजदूरी की श्वादिवारों से दु क्षी होकर ग्रोर जनको तय करने की निगत से प्रथमे कारकाने को ग्रानिश्वतकान के लिये बन्द कर देता है, दुरे "तालाबरनी" (Lock out) करते हैं। इसकी परिभाषा पारा र (L) में इस प्रकार दी गई है—

'तालाबन्धी से भीभनाय है—मालिक द्वारा किसी नियोजन के स्पान को सन्द कर देना या काम को स्पयित कर देना या भ्रपने द्वारा त्रियुक्त किये गये कामगारों को नियुक्ति में सन्तने म सना कर देना।

इस प्रदार तालाबन्दी तीन प्रकार की हुई--

- १, सस्थान को बन्द कर देना, या
- २ काम को स्थितित कर देना शोक देना, या

३ काम करते कामगारों को काभ देने से मना कर देना।

धारा २२ (२) में तालाबादों के लिये मनाई की गई है—
'सार्वत्रनिक उपयोग की सेवार्मी को चलाने बासा मालिक—

- तिक उपयोग को सेवाधी को चलाने बाला मालिक— (क) वह सालाब दी से पहले निष्टि प्रकार से छ, सप्ताह का नोटिस दिये
- बिना या-
- (त) ऐमा नोटिस देने के १४ दिन के मीतर, या
- (ग) ऐसे नोटिस में दी गई धदिव की समान्ति से पहनी या
- (ध) विश्वी सम्पर्क प्रविकारी के समझ समझीते की कायवाही विकाराधीन हो सीर असके निगय के ७ दिन काट मे

किसी कामगार के लिये तालाबन्दी नहीं करेगा-

उपधारा (२) के प्रधीन बाजू सालावन्दी था हस्ताल को सूचना वह सरकार हारा निर्धारित प्रधिकारी को देगा, विश्वे निये सलग से नियमों में प्रावधान है।

- धारा २३ में तीन परिस्थितियों में हडताल व तालाव दी नहीं करने का प्रावधान है -
 - (१) यदि समझीने की कार्यवाही किसी सम्प्रक सम्बन्ध के विधारायीत हो छोर उसके निराध के ७ दिन बाद में, या

- (२) धम स्थामालय मा ट्रिस्यूनल के विचाराधीन होने पर भीर उन्नके निर्शय के दो भाह काद, मा
- (१) जस मदिव में जब कोई समझीता या पबाट साह किया वा रहा हो। बाता २४ के मदुबार पारा २२ मा २३ मा भारा १० (१) का भा होने पर हहतात व हाला-बन्दी मदेव होगो। परन्तु एक मदेव हहतात के कारण को गई तालावक्दी या मदेव तालावक्दी कारण को गई हहताव दोनों मदेव मही होगी। बाता (२५) के मनुवार मदेव तालावक्दी में माधिक बहुपता देवा मना दिया मारा है। इनके सिने दरह की मी म्यावस्या थारा (२७) व (२८) से की गई है, जिनका वर्षार हम पीरो पूर्ण १९ पर कर पुके हैं।

.

थ्रध्याय (१२)

प्रतिकार या वचाव

(Remedies)

परिचय

- १ मातिक से प्रायता या शिकायत
- २ स्पवहार पायासय में शरण
- ३ उच्च न्यायालय भीर तेल माचिकार्ये (स्टिस)

मातिक ने प्र'यायपूण कार्यों से बचाव के निये कानून में प्रतिकार वा बचाव के उपाय मी हैं। सब नियमों व कानूनों को देखने से हमें निम्न उपाय प्राप्त होते हैं —

- (१) मालिक से प्राथना या शिकायत
- (२) श्रम यायालय की शरण व भौद्योगिक परिवाद
- (३) व्यवहार न्यायालय मे घोषणाथ बाद (Suits)
 - () उच्य न्यायालय की शारण--वेस याविका (रिट)

मालिक से प्रार्थना या शिरायत

वडे तस्थान से रण्ड देने का काव मैनेकर करता है। ऐसी परिस्थिति में सानित या मैनेकमेट में पदने निखब को ततीपित करने के लिये प्रापना को जा तकनी है। मॉडल स्थायो धारेश को कर्त स॰ १५ में में इसके पिये प्राथमान इस प्रकार रखा गया है —

१५ शिकायत (Complaints) नियोजन के बारे से जिसमें पातिक या उसके प्रोनिधिष द्वारा सपुष्टित स्वयूरार या सामायूर्ण काय से सम्बन्धित मानते भी सामित है उठने वाली सब शिकायतें मनेजर या मानिक द्वारा वर्षित किसो स्पत्ति के समझ देश की जानेगी और मानिक का स्वीत पुनते का व्यवहार पुर्तिक रहेगा ।

हम प्रावधान के प्रयोग नोहरी सम्बन्धों गर्न मामनों को विश्वपत मैंनेबर को व प्रयोग मानिक को की या तहती है। यह कामगार परि किसी रवामा को प्रमुक्ति या बरार समझता है दो बर्ग भाविक को मिकायन कर पहने हैं, दिन पर बहु स्वय या निय निर्णय देगा। किन्तु नहीं होती कामगार को ऐसा विकास हो कि उने कोई सहस्त्रमूखिया व्यवहार मुझे मिनेगा, हो वह सोमीगिक

[†] रात्रस्थान मॉहल स्थाई मादेश में शत स॰ (१६)

परिवाद उठाने के लिये छपने श्रांमिक सम्र से निवेदन वरेगा। ग्रोबोनिक परिवाद का परिवाद हम भीने मन्द्राम (१) मे ने चुके हैं, इस सम्बन्ध में भीनोगिक द्विस्मृतन्त व श्राम स्वायानयों की कार्य प्रवासी व क्षेत्राधिकार कासी वर्षों कर चुके हैं।

व्यवहार न्यायालय में शरण

'नो करी मे रक्षता या व रखना'—यह मानिव के विवेक कर निमर है। मानिक य मजदूर का सानाव्य कानून इस प्रविकार मे कटोनो करने का कोई प्रियंक्तर निर्मा को नही देता। हो, साधारण कानून के समुनार स्मृतिक व स्थाय यूर्ण निक्कान के सिन्ने हुई हालि (damages) के निर्मे वह विकिट्ट सहायता स्मिनियय (Specific Relief Act) की साश प्रे के स्मिन व्यवहार न्यायानय (Civil court) मे बाद (सन) प्रस्तुत कर सकता है। प्रस्तु कोई कर्मचारी सेवा को कोई कितने स्मान नोकरो पर क्या आने के वियो मानिक या सरकार के विवद्ध कोई दावा नहीं ना सहसा। यह सर्वोच्य व्यायान्य का निर्मुष है।

प्रमानिक वामजार व्यवहार प्रतिया सहिता (Civil Procedure Code) की पान १०. मादेश २१ के प्रयोग भी पोपशार्थवाद (declaratory suit) पेश कर सबता है। विभिन्न न्यासाक्यों के निल्मों के माधार पर निम्न कार्ते बाद (दावा) प्रस्तुत करने में स्थान देने सोग्य हैं —

- १. वनाया वेतन की वसूती घोषणा के लिये।
- २. हानि के मुगतान (damages) के लिये।
- ३ ६ण्ड की मात्रा के विषय पर दावा करने का अधिकार नहीं माना गुरा। उ
- ४ बनुचित निष्कासन के लिये हानि का दावा कर सबते हैं। ⁴
- १ निलम्बन काल के बेतन की यसूत्री के लिये दावा क्रिया जा सकता है।

वकाया बेठन नी बसूती के लिये 'बेतन भुगतान अधिनियम' के अधीन भी कार्यवाही की जा सकतो है।

उच्च न्यापालय की शरण और लेख याचिका

(Writs in High Court)

शरिषान के प्रमुच्छेद ३२ व २२६ के प्रधीन उच्च न्यावानव एव शरीच्च न्यावाच्य को लेख (WIIIS) जारी करने के श्रविचार रिने गणे हैं, जिनके द्वारा किसी व्यक्ति या प्रधिकारी या सुर्विचन माननों में सरकार को निदेश भा धारेख दिये जा सकते हैं।

¹ AIR 1958 S C. 1050, 2 AIR 1954 SC 245

³ AIR 1963 SC 779

⁴ AIR 1962 SC 1334, 1962 Cal 349, 1962 Madras 183.

⁵ AIR 1962 SC 1334

नागरिक प्रत्यविकारों के हुनन के बाम में में प्रमुख्द १२ के वाचीन करोंच्या नागात्व में लेख वाचिका मेत की जा तकनी है। इनके लिये दूसरा वैकलिक प्रतिकार या उपाय (Alternative remedy) उपलब्ध हो, तो मी दन न्यायानवीं से याचिका पेन की जा तकती है, इनके निव कोई रीक नहीं है।

पमुच्छेद २२६ मे पाच प्रकार के लेकों (रिट) का प्रावधान है-

- र बादी प्रत्यक्षी करण (Habeas corpus)
 - २. परमादेश (Mandamus)
 - ३. प्रतिरेष (Prohibition)
 - ४. घषिकार पृच्छा (Quo warranto)
 - थ. बस्त्रेषण (Certiorari)

इनमे से केवल २ से ५ तक नी चार माधिकार्ये विमानीय नार्यवाहियों पर सामू होनी हैं, जिनका परिचय यहा दिया गया है---

१ परमादेश (Mandamus)

किसी सार्थविक सस्या (Public body) को उसके नर्जन्य पानन के सिरे बाध्य करते को यह लेख जारों की जाती है। ' दिसों कानून या निराम में दिसे गये स्थिकार को सानु कर ने किसी किसी प्राथिकारी या सस्या को बाध्य करने हैंचु परामधेत जारी होनी है " दरन्तु प्रार्थों को वक्त कर्मन्य का स्थार होनी है" दरन्तु प्रार्थों को वक्त कर्मन्य का स्थार १२ (१) के स्थीन) प्रमण्ड (reference) करने किसी प्रमण्ड (reference) करने का स्थार प्रमण्ड का स्थार १२ (१) के स्थीन) प्रमण्ड (reference) करने का स्थार प्रमण्ड करने के कारण सरक्षिय द्यारान्धियों की नहीं बागाई तो परामध्याने स्थान स्थार होगा। 10

२. प्रतियेष (Prohibition)

यह लेल किसी धामीनस्य न्यायालय या धाय प्राधिकारी की कानून विश्व कार्य करते से रोकने के लिये एक नियंगामा के इन में जारी की जाती है।

३ भ्रापिकारपुरुद्धा (Quo IVarranto)

यदि जन्त ने दिवद या बचने प्रविकार से प्रविक का प्रवीण कर कोई कार्य किया जाता है, तो उच्च नामालय उस प्रविकार के दुस्त्वीम को चेतावनी द्वारा निरस्त करता है।

^{6.} A1R 1950 SC 124 1959 SC 725, 1956 SC 1 1954 RLW 65

⁷ Bansidhar Vs Rajasthan University AIR 1963 Raj 172 AIR 1954 SC 217, 1950 RLW 19

^{8.} AIR 1950 All 213 1958 Hydrabad 216.

⁹ AIR 1954 SC 493

¹⁰ Ajmer Motor Mazdoor Union Vs The State of Rajasthan— ILR (1964) 14 Raj 201—1964 RLW 37, AIR 1960 SC 1223.

४ उरप्रेयस लेख (Certiorari)

वह मी एक निवेशाता है, जो किसी स्थायिक कार्यवाही की वैधता की समान्त या सम्पन्न कराने के लिये जारी की जाती है। इसमें व्यासीलीय-स्थापालय का कार्य नहीं होता। 11 इसमें न्यायालय किसी प्रादेश को सशीधित नहीं करते, वरन् उसे बलत या घनिकार पूर्ण होने से समाप्त कर देते है। इसमे दो बात देखी जाती हैं- (१) निम्न म्यायालय ना होतापिनार, योग्यता व प्रविकार के प्रयोग की परिस्थिति, (२) प्रधिकार प्रयोग से कानून की पालना । यह एक प्रवार का संयोधन करने वाला धसाधारण लेख माना गया है। अब एक प्रार्थी नीचे के न्याबालय में दीनाविकार का प्रश्न मही उठा सना भीर भव वह जब तक यह नहीं बता सके रि-उसे उन समय इस भाषार ना शान नहीं या, सो उत्प्रेयण नेख जारी नहीं किया जा सकता। 15

दसरा उपाय होने पर भी लेख-पाचिका उचित Alternative remedy and writ)

नागरिक प्रविकारों का इनत होने पर इसरा उपाय होते हुए हुए भी लेख याचिका प्रस्तुत की वा सकती है। धन्य मामलों मे निम्न न्यायालय की जिट को सही करने लिये उचित भामलों मे सरग्रेपछा लेस जारी करता उच्च न्यायालय का कर्तन्य है, चार्ड बन्य उपाय विद्यमान हों। 15 जब क्षेत्राधिकार की कमी रिकाई पर प्रत्यक्ष है, तो दनरा त्याय होने पर भी प्रतिवेध-लेख जारी करना एक प्रधिकार है, दिवेक नहीं 14 लेल में उच्च न्यायालय ग्रांसीय प्राधिकारी नहीं होता ग्रीर वह जांच मण्डम के निर्हों की उचितता का मुरुयांकन नहीं करता । उच्च न्यायालय जानवृक्त कर या भूत से कानक से प्रविक क्षेत्राधिकार के प्रयोग या प्रयोग करने से मना करने या बाहरी विचारों (external considerations) को भारताने की दशा में लेख जारी करता है 125 एक विवादास्पद प्रकर्ते कर मामला नियमित बाद (दावे) द्वारा म तिम निर्णय देशर सलमाया जा सकता है, लेखशाचिका द्वरानही।25

भन्न-छेद २२६ के प्रतिकार समाधारण है, सत: जहां दूसरा प्रतिकार हो, इनकी शहल नहीं सेनी चाहिये । 11 परन्त केवल इसी कारण से कि इसना प्रतिकार उपलब्ध था, सेसन्याधिका को पस्कीकार नहीं किया जा सकता ।18

¹¹ Thakur Bhanupratap Singh Vs State of Ray ILR (1964) 14 Raj 90 - 1964 RLW 83, ILR (1956) 6 Raj 887. (1959) 9 Rat 821.

¹² AIR 1958 Kerala 341, 1953 All 624

¹³ AIR 1951 SC 217 (B)

¹⁴ AIR 1954 T & C 137.

¹⁵ AIR 1951 Rat 51.

¹⁶ AIR 1963 All, 415.

¹⁷ AIR 1963 Raj 109, 1959 J & K 136, 1957 SC 88.

AIR 1961 SC 725, ILR (1957) 7 Raj 177 1963 RLW 339,
 AIR 1941 SC 1506, 1954 Raj 5, 1963 RLW 512, 1959 SC 308,
 1960 SC 321, 1960 SC 468, 1968 RLW 523, AIR 1961 Raj 130,

न्यायिक या प्रशामनिक कार्यशही और लेख

विभागीय खीन (घरेनु बांच) के मान्सों में उच्च न्यावानय में लेल बार्किश प्रस्तुत करने पर वह मपीलीय म्यायालय नहीं होता, घत. वह निगय के गुणावगुण पर विवार नहीं करता। लेख-पाचिका द्वारा जिन प्रकों का निगंग किया वासकता है जनका लागोग इस प्रकार है---

- १ बया जांच सक्षम प्राविकारी द्वारा की गई या प्राक्षा सक्षम प्राविकारी द्वारा दी गई ?
- २ क्या जांच नियमानुसार प्रतिया से या गहत त्याय के सिद्धान्तों के धनुमार की गई?
- ३ स्था जांच के साक्ष्य में बाहर के प्रमाव के कारए न्यायपूर्ण निर्णय नहीं किया गया या धामगत तथ्यों से प्रमावित होकर निर्णय दिया गया ?
 - भ, स्वा निष्मर्षे (Conclusions) पूर्णतः व स्पष्टतः ठीक सामने ही प्रनियमित या प्रत्याय पूर्णे हैं ?
 - १. या ऐसे ही कोई घन्य कारए।

महत्वपूर्ण निर्णय

ने सत्याचिका पेता काने में जिनत समय से धिकि देर करना धानक वाना गया है। 19 दिर देरों के कारण नहीं बताये जा सके, तो याचिका वासीनार कर दी गई। 10 वस्तु जीवन कारण (अंदो सतीन सादि) बताये जाने पर याचिका को केवन देरी के कारण से सब्दोकार नहीं दिया जा करना 19 में विद्यार्थी वाचिका में तारमून तस्त्रों को सियाने का दोवी पाया गया, तो जो कोई प्रतिकार नहीं विज्ञ सरता 19

लेख याचिकाओं के कुछ उदाहरण (क) निम्न मामलो मे लेख स्वीकार किये गये। (Writs issued)

१. सहज स्थाय के नियमों व निष्पशता का हनन होने पर-

AIR 1959 Funjal 402, 1955 Patna 372, 1961 SC 1623 ILR 1951 Raj 82, AIR 1965 Raj 108 1958 SC 300, 1955 Pepsu 127, 1958 Punjab 377, 1957 AP 414, 1952 Pepsu 69 1958 AP 636, 1961 All 45, 1955 Patna 131, 1955 SC 425, ILR 1957 Raj 827

Patna 151, 1915 SC 425, ILR 1957 Rat 8. २ बाह्य पूर्णन प्रत्याय पूर्ण—

AIR 1954 Assam 18

३ धनुवित व भपर्याप्त जोच⊷

AlR 1961 All 45, 1961 Cal 40, 1954 Bom 351, 1956 Cal 662 1953 All 532, 1955 Nag 160

- 19. AIR 1963 Cal 421
- 20 AIR 1958 Punjab 16 (17)
- 21 AIR 1958 J & K 11 (13)
- 22. AIR 1954 Papsu 98 (102)

४. बचात का झबसर देने भ पक्षपात-

AIR 1957 Nag 18.

होषों की पीठ पीछे बयान लेना---

AIR 1961 Gunat 64

६ धारोपों का बाधार या मामग्री नहीं बताना---

AIR 1961 All 276, 1957 SC 232, 1961 Cal. 1, 1955 Patna 372, 1961 SC 1623, 1955 Cal 276, 1963 Guirat 244.

७. बिना साध्य के ब्राधार पर दी गई ब्राजा-एक स्पष्ट दीय--

AIR 1964 SC 364 1956 Cal. 662, 1958 All 53

व्यं व में सारमून प्रनियमिततायें----

AIR 1957 Cal 4.

६ धान्यध्द व मदेहारमक स्वोकारोक्ति पर दश्द देना---

AIR 1957 M B 15, 1961 SC 1070, 1960 All 323, 1957 Madras 356, ILR (1955) Raj 288, ILR (1953) Raj-28, AIR 1962 SC 1344.

तिश्वित स्वष्टीकरण के लिये समय नहीं बढाना —

AIR 1957 J & K. II, 1958 Raj 1.

- शोगी में वयान पहने नेना—यगोषित ध्रवसर व सहज न्याय का हनन— (1963) 2 LLJ 78, (1961) 1 SCJ 334, (1964) I SCJ 98, (1964) SCR 652, AIR 1º64 SC 708
- १२. शिनार बनाने की माधना (Victimisation) से सहज क्याप का इतन हुमा— AIR 1964 SC 486-

१३. प्रस्पेट प्रारोप-- प्रारोपपत्र में बल्लेख नहीं--

ILR 1962 Raj 302, AIR 1957 All 274, AIR 1963 Tripura 20. AIR 1957 SC 7, 1957 SC 38, 1960 SC 914.

(ख) तेल ग्रस्वीकार किये गये (Writs refused)

रे साहब की पर्याप्तता या मन्य कारण-AIR 1958 Kerala 72

रे. साहय की मुसगतता या ग्राह्मता— AIR 1956 Punjab 58.

विमानीय जांच में दी जाने वाली माजा को रोकना—
 AIR 1958 M P. 135.

प्रजिया में साधारण मनियमितनायें, जिनम कोई परावानपूर्ण हानि कहीं हुई हो, वैवे

-

गत्राह पेश नहीं करने देना---AIR 1954 Cal 335 1954 All 629

र सन्वाय पूरा निव्हासन के विए श्लींव पूरित (Damages) की मांग करना— इसके निवे

बाद (दावा) करना चाहिये या— AIR 1958 Cal 654

भारतीय सास्य प्राप⁴नवम के प्रावधान लागू नहीं होते— AIR 1957 SC 882 1957 SC 232 1962 SC 1344

पहने दोगी के बयान लेना—स्पष्ट मामले में मर्वब नहीं—
AIR 1968 SC 266 (1968) II SCJ 83 (86)
AIR 1963 SC 375 1964 SC 719

परिशिष्ट (१)

राजस्यान भौद्योगिक नियोजन (स्वाई मादेश) नियम १६६३

†[Rajosthan Industrial Empolyment (Standing Orders) Rules, 1963]

विज्ञप्ति

क्रमोक--एक ३ (१०) श्रम । ६३ दिनांक २-१-१९६४ ।

योशीहरू निवोजन (स्वाई प्राज्ञायें) प्राथितियम १९४६ (केन्द्रोव य. ति. २०/६९४) की वारा १६ द्वारा प्रस्त प्रविकारों वा प्रयोग करते हुए शाय सरकार राज्ञ-वान में घोशीनक निवोजनों तुल्यामी घारेशी (स्टेडिंग घारेडी) को नियमित करने के तिये निवन नियम जनानी है, जो कि उन्त वारा की उपाया (१) द्वारा वाहित प्रकार के पूर्व प्रकाशित किसे आ चुले हैं .---

- * राजस्थान घौद्योगिक नियोजन (स्थायी घावेगा) नियम १९६३
- १. सक्षिप्त नाम व क्षेत्र—(१) वे नियम "राजस्थान फोछोगिक नियोजन" (स्यायी पारेग) नियम १९६३ व्हलायेगे ।
 - (२) ये समस्त राजस्यान राज्य में स्थित नमस्त भीशोगिक प्रतिष्ठानो पर साबू होने, जिन पर यह भवितियम साग होता है।
- २ निर्वेचन (Interpretation च्याल्या) इन नियमी मे किसी विषय या प्रसंत के मेरिकुत कोई बात नही हो, तो-(निम्न सर्प होगा) —
 - (क) अधिनियम—से तासर्व भौदोगिक नियोजन (स्वायो पादेश) प्रधिनियम १९४६ (केन्द्रीय प्रविनियम स० २०/१९४६) से है।
 - (स) 'प्रपत्र' (Form) से साल्पर्य इत नियमों की अनुसूची (२) में समन्त प्रपत्नों से हैं।
- रै मोडल स्पाई प्रादेश—इत प्रधितियम के प्रयोजन के लिये मॉडल स्पाई तियम वे होंगे, वो पतुत्रुयो (१) में दिये गये हैं।
- ४. मतिरिक्त मामले (Additional matters)—प्रथितियम की प्रतुत्वी (१) में निम्न प्रतिरिक्त मामले सम्मित्त किये ज्ञामें
 - (१) घटली को निमुक्ति का उरोका। (२) पदो की समाध्ति की सर्ते।

[†] राजस्थान राज-पत्र माग ४ (ग) दिनाक १-७-११६४ पृष्ठ १८६ में संसेखी में प्रकाशित * प्रतापित्र हिन्दी धनवाद

नार्थातय की मीहर से घन्ति करके उस धिवनारी द्वारा प्रमाश्यक्ति के एक सत्याह में राज्यक्ष इ.क.से मालिकों, प्रनसर्थों दा श्रीमकों के प्रतिनिधियों, जो नियम १० (स) के प्रधीन चुने गए पे को मेजे बार्डेंगे।

१४ स्थायो आदोशों का रिजिस्टर—इस यथिनियम की थारा ५ के मधीन रसे वाले काला रिजिस्ट अपन (१) में होगा चीर पचन्त्री तरह से सम्बन्ध होगा भीर अमाणांकन-सर्थिकारी एक रुप्ता प्रति काली चीला के जास कराले पर किसी भी स्थान की किसी भौरोशिक अतिष्ठान के निष् अनुमोदित क्यायो मारोगों की एक प्रति अराल करेगा ।

अनुसूची (१)

श्रादर्श (मॉडल) स्थायी श्रादेश

- १ स्नारम्म----प्रथितियम की यारा ७ में विख्त ग्रविव की समाप्ति के दिन से में मार्टन लगूहोंगे।
 - २ कामपारों का वर्गीकरएए---
 - (क) कामवारों का वर्गीकरण इस प्रकार होगा-
 - (१) स्वार्ड, (२) परिवोदायोन (प्रावेतनर), (३) बदली (३) प्रस्यार्ड (४) सामयिक (Casual) भीर (६) नवा या प्राविक्षणायीन(Apprentices)
- (स) एक स्थायो' कान्यार बहु है जो स्वाई क्य से काम पर सनाया नया है घीर समें कह व्यक्ति घी शामिस है, क्षित्रने बस्तीयक्षनक रूप से तीत्र माह कर परिवीकाशास स्वी धा न्य कार्य से यह बोबीयिक साक्षात में पूरा कर निवा हो, दिवसे बोमारी, दुघटना, पहकास, नानाकरो, हटवास (पर्वथ नहीं) या स्वेबज्ञ स सस्यान का बुद करने का समय शामिस है।
- (ग) एक 'परियोशायीन' वह नावगार है, जो निशी स्वाई पद नो मरने के लिए परवाई रूप के सभावा जाता है चोर प्रिक्ते लीन माह को देवा पूरी नहीं की हो। उच्च यह देव स्वार्थों में परियोशा के समय को स्वाद के बढ़ावा जा सहता है यदि हम वागार में सम्बन्ध प्रचारी स्वाद स्वार्थों में स्वाद है परवाद स्वाद स्वाद है। कहीं दिना करे। यदि कोई स्वाई स्वाद है। स्वाद कर पर परियोशायीन समाया करे, ती उसें चक्के पुराने स्वाई पद पर तीन माह के परियोगा-नान में कमी भी वाध्यत भेता आ समझा है।
- (ध) बढ़िसी वह नामगार है, जो किसी स्वाई या परिवीशायीन नामगार के पद पर सवाया सवा है, जो बस्वाई रूप से बनुपरिवत है।
- (क) बस्याई—कामगर वह है, को किसी ऐने काम पर संग्रांता गया है; को कि धावश्यक कर से भ्रायाई प्रकार का है भीर सीमित समय में पुरा होने वाला है।
 - (ध) सामियक नामगार वह है, जो सामियन प्रकार के काम पर लगावा गया है।
- (छ) नया (नवसिख्या) या प्रशिदासमधीन (Apprentice) बाम सीसन बाता है, बिडे विद्यास बाग में कहि मता दिया बाता है या नहीं दिया जाता है।

- है. टिकिट—(१) प्रत्येक वासमार को एक स्वाई टिविट दिवा जावेगा, यदि वह बदती, प्रत्याई या सामयिक या नवसिश्रमा नहीं हो ।
- (२) प्रायेक स्वाई कामगार व वांस्त्रोशाणीन की विनाग का टिनिट दिया जावेगा, निस पर संक्या होगी धोर मैनेजर हारा प्राधिकत क्यांक को यह टिकिट पूचने पर दिलाना होगा। परियोदा-धीन के टिकिट पर 'P' सदार सिवा होगा, जिससे उसकी स्वाबी कामगार से ससन किया जा सके।
- (३) प्रत्येक बदली की एक बदली-चार्ड दिया जावेगा जिस पर उन दिनों की निका जावेगा, जब उसने काम किया भीर उसे स्वार्ट काम भिलने पर यह बार्ड वापिस करना होगा ।
- (४) प्रत्येक मत्याई कामगार को एक मत्याई टिकिट दिया जावेगा, जिसे यह काम छोडने पर वायस कर देशा ।
- (१) प्रत्येक सामितिक कानगार को एक सामितिक कार्ड दिया जावेगा, जिस पर वे दिन लिये जावेंगे, जब उल्लेकाम नियासी।
- (६) प्रत्येक नवसित्रुमा को एक 'नवसित्रुमा काड' दिमा जावेगा, जिले सदि वह स्पाई काम पर सन जाता है तो सायस कर देगा।

४ ग्रहतियों की निवक्ति---

(र) मालिक इतरा एक सलग रिकाटर रक्ता जावेगा, जो बदनी कावगारों के नाम, घेड विमान और तैवा की बीच्छना के सनुनार होगा। इस मुखी में कुल कामगारों की सकस प्रायेक श्रेतों (घेड) व विमान से काम को श्रेशी की सत्ता के १५% के बरावर होगी।

स्पार्टीकर्म् —विश्वना प्रथम बार सदसी के रूप में काम गुरू करने के दिनांक से गित्री बावेगी धीर बार में उप दिनांक में धारम्म होगी, जिससे उसने नियमित रूप से बदनों के रूप में नियुक्ति के लिए उपस्थित होना गुरू किया।

- (क्ष) बदली कामगारों को इस सूची मेदी गई विष्ठिता के मनुगार सम्बन्धित विसास में काम दिया जावेगा।
- ५. पदों को समाप्त करने की शर्त —कोई स्वाई पर समाप्त नहीं किया जावेगा, जब तक कि उत पर कान करने वाले व्यक्ति को कोई समान काम नहीं दे दिया गया हो या पौद्योगिक परि-वाद प्रियिवय १९४७ की बारा २५ मिं के मुनार उसकी छटनी न कर दी गई हो।
 - ६. स्यामी या श्रस्याई प्राधार पर कामवारों की पदोन्नति की शर्ते —
- (क) परोषान, बाहे कार्यवाहरू या स्थाई हो, बिना विशी भेद माद के तथा कावगारों की करिस्टता के माधार वर दी जावेगी।
- (त) अगर के उपवार (क) में बाहित कुछ भी होने पर कपदा (देवतराइन) मिलों मीर विगोप कर में उनके कताई विमान में निमन तरीका काम में निमा वादेगा—(1) बोकर बांव (Doffer boys) को बारों बारी से बदलकर (by rotation) हाक विवास के रूप से पदी-मार्ज दी बादेगी। हाच निवास के समार्थी को बीस्टजा से मारा बादेगा।
 - (11) वियर्स को इवलर्स के रूप में वरिष्ठता के प्रमुक्षार पदोल्गति दी आयेगी।

- (२) समस्त नाम्यार्थि को नाम के दिन मबदूरी का मुनतान मबदूरी की धविष के प्रतिवर दिन के बाद साववें या दसवें दिन को सत्यान के कुन कामगारों को सक्या के प्रनुसाद किया बारेसा, यदि यह सक्या एक हवार हो या नहीं।
 - १६ काम को रोकना (Stoppage of work)-
- (१) मालिक निवी मी समय माग लगने पर, मगीनें बर होने पर सा किसती मादि बर होने पर, बत्ताक रोग फेलने पर, मगरिक प्रम्यदक्त सा प्रक्रम के निक्ष्य के बाहर के कारण पर सरसान की लिनी साव्या सा गानामी का लाम पूर्णन या सांगिक कर से किसी मविष्या मदिक्यों के लिए पिना मोटिस के बन्द पर सकता है।
- (२) इस प्रशार से काम बन्द होने की घटना पर वाम के घन्टों ने प्रशाबित होने वाले वान-गारों को सम्विग्य विवासों में या मैनेवर के नार्वालय में नीटिय कोर्ड पर सुपना स्तावर सुवित विचा कारेगा, निवसे यह तथाना बालेगा कि जीप्रतिलयों का स्वाय कुत कहाना और वे (कालगार) वाम के स्वान पर रहेंगे या नहीं। काम बन्द होने के दो घन्टे बाद कियों का समाप की स्वास्त पर पर सामराख्या नहीं रोका जावेगा। यदि रोकने का समय एक घन्टे से प्राथक न हो, तो इस प्रकार रहे का एक सामगारी को उस समय की अबदूरी नहीं सिक्सी। यदि दोक का समय एक घन्टे के प्रोयक हो, तो उस समय की अबदूरी नहीं सिक्सी। दो दिरो के का समय एक घन्टे के बात्रक हो, तो उस समय की अबदूरी को सम्मार को दी बादेश। छोटी दर पर काम करने वाने बात्रमारों (Piece Rate workers) के मानकों में स्थित माह की धीसद दिनक बनाई (carning) के पायार पर उन्हें सुमायत (परा कावेगा। बहा सम्मद हो, बापल नियमित काम के बाजू होने नी उत्तित सुपना दी जावेगी।
- (२) वन मायतो में नहा मतीन सादि के प्लान्ट के पील हो जाने या चरणहर में सम्मार्ट इंटीवी लाने के बारण घोटे समय के लिए कालगारों के मारा न मिले, यह कालवर्षी (Layoff) श्लास्त पोसीगिक पीलति समितिया रिश्व को भारा १५ ८ वे म्यातित होता गर, येव केंगे, बातगारी को सर्विश्वत नाल के लिए दिना काम (या काम बन्द) रखा बाबे, तो वनकी सेलाई सोशीगिक एरियाद स्थितिया १६०० के सम्माय (५-क) के प्रावधानों के सभीन कोटित के बन्दि केन देश स्थापन को जा नकती है।
- (४) हरतात नी घटना चाहे पूर्णकर में या श्रीमक रूप से सस्यान की माला या किमान में हो, तो म निक बस सम्या या किमान को पूर्णन. या समृत: कर कर सरकार है। बोहमतिसीम एस काम करने की मूक्त्रा सम्बन्धित साका या विमान के भीटिस को देश सम्बन्धानक के भीटिस संस्थान स्था सी सोवी। सम्बन्धित कामवारों को काम मुक्त होने से पहने काम कह से मुक्त होना इसको सुक्ता देश माली।
 - १७ नियोजन का प्रत्यायतंन (नौकरी से वापसी)
- (१) किही वर्षवाधियों (वानवाधि) को, बाहे वे स्वायो हो या प्रस्थाई नीक्सी से बावव हुनाव के लिए वर्षात वारण विवे बावेंगे किन्जन वासवाधि ही सेनायें बनों नवाला की का रही है। दिसी एक मन्दिक के प्रयोग एक वर्ष से कम की लगातार नीक्सी करने वाले वासवाधि की खटनी के म्यामानें में पोशीयक परिवाद प्रधिनयम में बिंदुन हाकि तथा तम्बानोक प्रचलित विधि (वाहुन) के मध्येन वार्यवाही करनी होगी।

- (२) यदि विसी मस्याई कार्य के समय के लिए सामयिक (Casual) तथा पूर्णत: मस्याई प्रशास के स्टाफ को सवाया गया हो, तो सेनकेन, जनवी सेवार्य ऐसे कार्य के पूर्ण होने पर समाद की बासकड़ी है। इस प्रशास कराए गय कर्मचारी को कोई नोटिस मा नोटिस के यदसे में कोई तेन वाने का परिकार नहीं होगा। ऐसे कामयारे वी सेवार्य टरक के रूप में समाद्य नहीं की जा कर्मची, जब तक कि उन्हें सारोरित दुरावरण के मारोरी का स्वम्योकरण करने का सबसर नहीं दिया गया है।
- (३) जहां किसी कर्मचारी को नौकरी समान्त की जाने, तो उस झारा भाजित बेदन तथा धन्य कहाया, यदि कोई हो तो, का भूगतान हटाने के दिन के दूसरे कार्य दिवस की समान्ति से पहले कर दिशा 4िश्रिता।

🏋 = दुराधरण के लिए प्रनुशासनिक कार्यवाही -

- (१) किसी कामगर को किसी धनुषित काय या भूत के लिए मजदूरी मृगदान प्रधिनियम १९३६ (केन्द्रीय प्रधिनियम ४/१६३६) को बारा (८) को उपधार। (२, के प्रधीन नोटिस देकर मुनीने के बेतन के दो प्रतिकात तक जमीना क्या जा सकेगा।
- (२) एक कामगार भी दिह यह किसी दुरावरण का दोषी पाता बावे, तो एक बार में चार दिन तक की सर्वाप के लिए निताय्वत (बोमितिव) किया जा सकता है –या-बिना गोदिस या गोदिस के बरले में कोई सतिवृति (सुधाववा) दिए उसे नोकरी से निकाला या सकेगा।

निम्ननिश्चित कार्य या भूठें दुराचरल माने जायेंगे ---

- (क) चोरी, क्पट या मालिक के घन्छो या सम्पत्ति से सम्बन्धित बेईनानी ।
- (स) किसो उच्चापिकारी की निभी कानूनी या यभीवित माझा के लिए जानबुक्त कर की गई बदता (insubordination) या मबहैलना (न नावना), बाहे मकेले द्वारा या दूसरी के साथ मिलकर की गई हो।
 - (ग) मातिक के सामान या सम्पत्ति को जान जुम कर छोड़ना या हानि पहुचाना ।
 - (घ) ग्रवैय सालच था घूस लेन। या देनः।
 - (ह) बिना खुड़ी भादतन मेर हाजरी वा दिना खुड़ी १० दिन से प्रविक की गैर हाजरी ।
 - (च) पादतन देरी से पाना ।
 - (छ) सस्थान पर लागू कियी कानून की बान बूक्त कर दोडना।
- (त्र) संस्थान के स्थम के समय में उत्र (फाण्डालू) या सध्यवस्थित ध्यवाहर या समुतासन विरोधी नार्ये करना (Riotous or disorderly behaviour)
 - (क) बादतन लापरबाही या काम की मुला देना।
- (अ.) माह ने प्रथिक से प्रथिक २ प्रतिशत जुमाना हो सके, ऐसा कार्य या भूल को बार कार करना।
- (ट) अत्रयूफकर काम को शिषल (दीला) करना (कम काम करना) या उसके लिए जान-दूफकर दूसरो को अहकाना या तैयार करना।

- (ठ) कामगोर द्वारा मस्यान में काम के दोहरान सीली हुई किसी प्रक्रिया की बातें किसी सर्नागृहत व्यक्ति को बता देता।
 - (इ) सस्थान की सीमा में जुद्रा सेनता ।
 - (द) वहा पूर्णेत मना हो, वहा घुछनात करना।
- (ए) कानून या कानूनो नियमों को लोडते हुवे काम पर हदताल काना या दूसरों की हहलाल करने के लिए उकसाना।
- (३) निष्कामन (नोहती से निष्ठानने) वो बाता तब तब नहीं दो जा सहेगी, जब तह हि त्वास्तर के सारीकित दुरावन के तमें हैं निर्मित से मुक्तिन मुही वर दिया जया है। धेर पाने विद्युप्तिमित्री का क्यादीकरण करने का एक प्रवादन नहीं दे दिया नाता हो। निकानन के प्रत्येक मानते में अवस्थापक या मानिक की अनुभति हानी धावस्थक है। किमी कामगार के विद्यु लगाये गए प्राण्ती के सावस्था के अध्यक्षणक या मानिक स्वतन्त जांच (Independent Enquiries) स्वाधित कर सक्ता है।
- (५) जिलन्दन को प्रााग निमित्र में होगी धीर बायगार को उपकी तामी होते ही मानू मान्त्र वित्ते । इसम धारीशित दूषकरण का प्रगा विवास होगा धीर कामपार को उन परिस्थित्यों का स्वय्येकरण करने का एक सम्बन्ध रिया जाविया। मित्र वाक के वाद साता को पुरिट हो बढ़े, हो बायगांक को निवयस्तरात में बाय में उनुश्चित समझ जाकर कोई पारिस्थित कहीं विचेता, परन्तु वरिस्नामा निस्तद करही (वावन ले तो) जाने, ता उने पूरा बेदन मित्रमा, मानो उनका वित्तवन नहीं विश्व मान्त्र पा
- (थ) इस स्वायो धारेल के मनीन दश्य देने समय नैनवर दुरावरण की गम्मीरता, पुराना रिकार्ड (पर्दि हो तो' भोर ऐनी कोई पर्निस्थतियां हो जिनम जनका रोप सम्मीर या तम होता हो, इह तब की ध्यान में रखते हुए माना देगा। मैनेवर हारा जम बाला की एक प्रति सम्बन्धिन कावारा को की जीतों।
- १६ शिकावर्ते—(Complaints)—ममन्त मिहावर्ते की नियोजन (गीहरी) है। जलान हुई हों, नियमे सुर्वित क्षत्रहार या मानिक था उनके प्रतिनित्त होरा चतुन्तिन कर्ये नेना मो सिम्मिनित है, मैनेकर या इस सम्बन्ध म मिहात होरा चतुन्ति को मो नो मो मानित है।
- २० सेवा समाप्ति का प्रमास पत्र (Cettificate of termination of 'Service)—प्रत्येक स्वाचना को उनके निक्तान सवा समाप्ति म देवा निवृत्ति के समय एक सवा प्रमास पत्र प्रमास के उनके निक्तान स्वाचित्र म
 - रेहे टावस्थापक का उरारवाधित्व-इन स्थायो आदेशों के बींबत व विकास पानन के लिए उस सरवान को मैनकर व्यक्तिगन कप से बलादशायी माना वात्रेण।
 - २२ स्थायी घादेशों का प्रदशन--एन स्वाई शादेशों की प्रति हिटी या सर्वेत्री भीर कामगारों की मुख्य प्राया में मैनेबर के कार्यात्व पर तथा प्रस्य द्वार पर रने जाने वाले नीटिस कोई पर सगार आयेगी धीर तथे साफ दक्षा में रक्षा भागेगा।

श्रनुसूची (२)

प्रपत्र (१)

(नियम ६ के घनार्यत)

ajs ---. -- .

सेवामे--प्रमाशांकन प्रधिकारी

एव

थमायुक्त, राजस्थान, जयपुर

धीमान्,

धीलोगिक नियोशन (स्वापी मादेश) स्विभित्यम १९४६ नो बारा है के प्रावणमों के मंधीन मे प्राव्य स्वायो धारेशों को वाज प्रतिवां सत्यन कर राहें (सरवान का नाम व पूरा जाते में साणू करते के सिर् प्रस्तावित करता हूं। यह भौशोगिक सस्यान मेरे द्वारा नियम्तित मेरा निजी है। विरेटन है कि नान मादेशों को स्विभित्यम के प्रार्थमों के मधीन प्रमाणित करायें। में राजस्वान मोद्योगिक नियोजन (स्वार्ष मारेश) नियम १९६३ के नियम ७ के मधीन बण्डित विवरण, यत्र नाम कर रहा है।

प्रपत्र (२)

(नियम = के अन्तर्गत)

भौबोगिक निवोजन (स्यायो प्रादेश) प्रविनियम १६४६ की धारा ५ के प्रयोग सूचना कार्यालय प्रभारगांकन प्रविकारो, राजस्थान, जयपुर

 (स्मार्ड मारेल) मामिन्यन १९४६ के समैन प्रमाणित काने हेंचु प्रमृत किए गए है। बोर्ड ऐतरान जो कानगार रत प्रमाण स्वार्ड मारेलों के दिस्ता पेत करना चाहे, व दव सूचना को प्रान्त के १६ दिन में मेरे सम्पर्न पेत दिए बारे सादित।

(सनम्ब-१) (प्रमाणीकन प्रविकारी) मोहर

माहर सेवामें--

रै. यो मस्ति ------

२ नियम ६ क सर्वीत चुन गर प्रतिनिधि—

धो--- (नाम)

प्रपन्न [३] (जियम १६ के बन्तरा) राजस्टर-माग (१) स्रोटोगिक मंम्यान

प्रवय बार स्वाई प्रारेशों को प्रगाणाव्या के शब शेजों ना विशेष	प्राप्ति पेत करन का दिनाक	न्तिर्गुट की तिथि व प्रकार	दरीन कर हिये रूप स्टाबन, कोई हा तो	प्रशासिक	हिमी महीवन के लिये बाद म प्राप्त कोड मुख्ता	र्गस्तुत
_					_	

साग (२) (इयमे प्रमाणित स्वया घाटन की प्रतिनिधि हानी)

प्रपत्र [४]

(नियम ३ के बन्दरत)

. स्त्री प्रमाणकिन सविद्यारी,

राजस्वान, वयदुर

सीसारिक नियोजन (स्वारी सारित) सामित्यम १६४६ को वास्त के शाकाश (४) दे प्रावकारों के सामेन हम समान (क) में कांग्रित कोमोर्गिक सहयारी झारा स्तुत्र कर से प्रत्याहर प्राप्तर स्थारी बारेगों की प्रतिशी मत्रम्त कर निवेदन है हि—इन स्थाई ब्रारेगों की ब्रांचिनयम तथा उन्नके ब्राचीन बने नियमों के प्रावधानों के ब्रनुमां/ प्रमाशित कराने की कुता करें।

(२) राजस्यान योज्यान हिमोना (स्वाधी सादेगा) नियम १९६२ के नियम ७ में बाँउड विदास पत्र होता स्वाधी सादेगा। नियम १९६२ के नियम ७ में बाँउड विदास पत्र हम सत्तन (ख) में पैर कर रहे हैं।

विवररा पत्र हम सन्तन (द्य) से पेश वर रहे हैं । (३) समान (ग) में उस प्रस्ताव की प्रतिनिधित है, विसके द्वारा हमें समुक्त प्र रूप स्पायी नियम पेश करने की सचित्रन किया गया है ।

स्य पत्र करन का सावहन हिमा गया हु । स्वतीय केम सः हस्ताशर पानिक/सैनेवर है-२ २ १

ससान (क)

क्त स•	घोद्योगिक महदानों के नाम	स्यान	दाह का पता	म निक्र के हस्ताक्षर
	٦ .	3	<u> </u>	<u> </u>
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	<u></u>	<u></u>	<u> </u>

सलग्न (स)

भगांह	घोदोिक सस्वान का नाम	कुल कामगारी की सस्या	न्याची कामगारी को संख्या	बस्याई कामगारी की संस्था	बदनी कामपारी की संक्रम
	9	3	Y	١	,
					<u></u>

परिवोभाषीन को सस्या	नद सिखुर्वी की सस्ता	यमवर्षों की सहरा, यदि हो तो, विनते कामगार सम्बद्ध है	विदेश विवरस्
		्र १	₹•

सनम (ग) (प्रस्ताव की प्रतिलिपि)

APPENDIX II

THE INDUSTRIL EMPLOYMENT (STANDING ORDERS) ACT, 1946 (XX of 1946)

(As amended up to date)

[23rd April, 1946]

An Act to require employers in industrial establishments formally

Whereas it is expedient to require employers in industrial establishments to define with sufficient precisions the conditions of employment under them and to make the said conditions known to workmen employed by them, It is here-bye enacted as follows

- Short title, extent and application—(1) This Act may be called the Industrial Employment (Standing Orders) Act, 1946
 It extends to althe whole of India alexcept the State of Jammu and
- (2) It extends to "Ithe whole of India "[except the State of Jammu an Kashmar]]
- 4[3] It applies to every industrial establishment wherein one hundred or more workmen are employed, or were, employed in any day of the preceding twelve months
- Provided that the appropriate Government may after giving nor, less than two months notice of its intentions so to do, by notification in the official Gazette apply the provisions of this act to any industrial establishment employing such number of persons less than one hundred as may be specified in the notification.
 - o[(4) Nothing in this Act shall apply to-

(i) any industry to which the provisions of Chapter VII of the Bombay Industrial Relations Act 1946 (11 of 1947) apply, or

(ii) any industrial establishment to which the provisions of the Madbya Pradesh Industrial Employment (Standing Orders) Act. 1961 (26 of 1961) apply

Provided that notwithstanding anything contained in the Madhya Pradesh Industrial Employment (Standing Orders) Act 1961 (26 of 1961), the provisions of this Act shall apply to all industrial establishments under the control of the Central Government 1

2 Interpretation -In this Act, unless there is anything repugnant in the subject or context -

7((a) appellate authority" means an authority appointed by the

- 1 For Statement of Objects and Reasons, see Gazette of India, 1946 Pt. V. pp 179 and 180

 R States

 A Subs by Act. (No. 16 of 1961), See 2

 See 2
- 2 Subs by the Adaptation of Laws
 Older, 1950 for all the provinces of
 India?

 Second proviso omitted by Act
 (No. 39 of 1963) Sec 2.
- 3 Subs by the Part B States (Laus) Act. 6 Ins by ibid 1951 (III of 1951) for 'except Part 7 Subs by ibid

appropriate Government by notification in the Official Gazette to exercise in such area as may be specified in the notification the functions of appellate authority under this Act

Provided that in relation to an appeal pending before an industrial court or other authority immediately before the commencement of the Industrial Employment (Standing Orders) Amendment Act. 1963 that Lourt or authority shall be deemed to be the appellate authority!

(b) 'appropriate Government means in respect of industrial establishments under the control of the Central Government or a ²[Railway Administration] or in a major port mine or oilfield the Central Government, and in all other cases the ⁴[State] Government

³[ic) Certifying Officer means a Labour Commissioner or a Regional Labour Commissioner and includes any other officer appointed by the appropriate Government by notification in the Official Gazette, to perform all or any of the functions of a certifying officer under this Act]

(d) employer means the owner of an industrial establishment to which this Act for the time being applies and includes—

(i) in a factory, any terson named under a[Cl (f) of subsection (l) of Sec 7 of the Factor es Act 1948] as manager of the factory

(ii) in any industrial estal lishment under the control of any department of any Government in India the authority appointed by such Government in this behalf or where no authority is so appointed the head of the department

(iii) in any other industrial establishment any person responsible to the owner for the supervision and control of the industrial establishment

(e) and astrol establishment means-

(i) an industrial estal lishment as defined in Cl. (ii) of Sec. 2 of the Payment of Wages Act. 1936 (IV of 1936) or

"[in] a factory as defined in Cl (m) of Sec 2 of the Factories Act, 1948 or

(iii) a railway as defined in sub-section (4) of Sec 2 of the Indian Railways Act 1890 (IX of 1890) or

(iv) the establishment of a person who, for the purpose of fulfilling a contract with the owner of any industrial estal lishment, employs workmen.

(f) prescribed means prescribed by rules made by the appropriate Government under this Act

le) "standing arders" means sules relating to matters set out in the Schedule

(h) trade union" means a trade union for the time being registered under the Indian Trade Unions Act, 1926 (XVI of 1926),

4[(i) 'workmen' means any person (including an apprentice)

4 Suls by Industrial Disputes (Amendment) Act (36 of 1956), Sec 2

¹ Subs by the Adaptation of Laws Order 1950 for Federal Railway' 2 Subs bod, for Fromenal 4 Sucs by Act (No 16 of 1951).

employed in any industrial establishment to do any skilled or unskilled manual supervisory, technical or clerical work for hire or reward, whether the terms of employment be express or implied, but does not include any such person-

(I) who is subject to the Army Act 1950, or the An Force Act, 1950, or the * Navy Act. 1957], or

(2) who is employed in the police service or as an officer or other employee of a prison, or

(3) who is employed mainly in a managerial or administrative capacity, of

(4) who, bein; employed in a supervisory capacity, draws wages exceeding five hundred rupees per menem or exercises, either by the nature of the duties attached to the office or by reason of the powers vested in him, functions mainly of a managerial partire!

3 Submission of draft standing orders -(I) Within six months from the date on which this Act becomes applicable to an industrial establishment, the employer shall submit to the certifying officer five copies of the draft standing orders proposed by him for adoption in his industrial establishment

(2) Provision shall be made in such draft for evry matter set out in the Schedule which may be applicable to the industrial establishment and where model standing orders have been prescribed, shall be, so far as is practicable. in conformity with such model

(3) The draft standing orders submitted under this section shall be accompanied by a statment giving pre-cibed particulars of the workmen employed in the industrial establishments including the name of the trade union, if any, to which they belong.

(4) Subject to such conditions as may be prescribed, a group of employers an similar industrial establishment may submit a joint draft of standing orders under this section -

4 Conditions for certification of standing orders -Standing orders shall be certifiable under this Act if -

(a) provision is made therein for every matter set out in the Schedule which is applicable to the industrial establishment, and

(b) the standing orders are otherwise in conformity with the provisions of this Act

and it '[shall be the function] of the certifying officer or appellate authority to adjudicate upon the the fairness or reasonbleness of the provisions of any standing orders

5 Certification of standing orders -(1) On receipt of the draft under Sec 3 the certifying officer shall forward a copy thereof to the trade union, if any, of the workmen, or where is no such trade union, to the workmen in such manner as may be prescribed together with a notice in the prescribed form requiring objections, if any which the workmen may desire to make to the draft standing orders to be submitted to him within ufteen days from the receipt of the notice

(2) After giving the employer and the trade union or such other representatives of the workmen as map be prescribed an opportunity of being heard the certifying officer shall decide whether or not any modificating of or addition to

the draft submitted by the employer is necessary to reader the draft standing orders certifiable under this Act, and shall make an order in we ting accordingly

(3) The certifying officer shall there upon certify the draft standing orcers, after making any modification therein which his order unden sub-section (2) may require, and shall within seven days thereaf er send copies of the certified standing orders authenticated in the prescribed manner and of his order under sub-section (2) the emplyer and to the trade union or other prescribed reperesentities of the workmen.

[Notes,—The whole puprose of making the stading orders and getting themcertified from the Labour Commissioner is that conditions of service of the employment must be regulated by the same. The manner in which the standing orders are made and certified suggests that the stating orders when certified, will be binding on the employees who are at the time in service of the employers [1(39)] I. L. J. (39).

On certification there is a presumption that the standing orders were certified after complying with the provisions of the Act From the date of certification the standing orders are bunding on all workmen of the company whether originally employed before after the standing orders were certified ([1959, 1], L. L. J. 243 1]

6 Appeala—(I) Any person aggreesed by the order of the certifying officer under sub-section (2) of See 5 may within 1 [thirty days] from the date on which copies are sent under sub-section (3) of that Section, appeal to the appellate authority, and that appellate authority, and have deciving shall be final, shall by order in writing confirm the stranding orders either in the form certified by the certifying officer or after amending the said standing orders by making such modification thereof or additions there to as it thinks necessary to render the standing orders ecritiable under this Act.

(2) The appellate authority shall within seven days of its order under unbrection (1) send copies thereof to the centrising foliacit, to the imployer and to the trade union or other prescribed representatives of the workmen, accompaned unless it has confirmed without amendment the standing orders as certified by the certifying officer by copies of the standing orders as certified by the certifying officer by copies of the standing order as a certified by it.

7 Date of operation of standing orders—Standing orders shall unless as pipeal is preferred under Sec. 6. come into operation on it he expiry of thirty days from the date on which authenticated copies thefrof are sent under subsection (3) of Sec. 5 or where an appeal as affected and is preferred on the expiry of seven days from the dree on which copies of the appellate authority are sent under subsection (3) of Sec. 6.

8. Register of atandang orders—A copy of all standang orders as finally estitude ul der this Act shall be filed by the occrifying officer in a register in the prescribed form maintained for the purpose, and the certifying officer in a register in the prescribed from maintained for the purpose, and the certifying officer in a officer shall furnish a copy thereof to any person applying thereof on payment of the pre-cribed free

9 Postiong of standing orders—The text of the standing orders as finally certified under this Act shall be prominently posted by the employer in English and in the language understood by the majority of his workmen of special boards to be maintained for the purpose at or near the entrance though which the majority of the workmen enter the industrial establisment and all department thereof where the workmen are employed.

¹ Subs by Act (No 16 of 1961), Sec 4

110 Duration and modification of standing orders — 1 Standing orders find portfield under this Act shall not, except on agreement between the employer and the workness be liable to modification until the expiry of six months from the date on which the standing orders or the last modifications with thereof came into operation

(12) Subject to the provision of sub-section (1) an employer or workman may apply to the certrain geffect to have the standing orders modelied and such application shall be accompanied by five copies of [4] and the modifications proposed to be made and where such modification sare proposed to be made by agreement herween the employer and the workmen a certified copy of the accessment shall be flied along with the application sare

(3) The foregoing provisions of this Act shall apply in respect of an application under sub-section (2) as they apply to the certification of the first standing orders

³[(4) Nothing contained in sub-section (2) shall apply to an industrial establishment in respect of which the appropriate Government is the Government of the State of Gujarat or the Government of the State of Maharashira 1

- 11 Cerufying officers and appellate authorities to have powers of Cirl Court—(1) Every cerufying officer and appellate authority shall have all the powers of a civil court for the purposs of receiving enderer administering outers enforcing the attendance of witnesses and compelant the discovery and production of documents and shall be demed to be a civil court within the meaning of Secs. 489 and 482 of the Code of Criminal Procedure 1898 (Vol 18-8)
- "[[') Clerica' or arithmetical mirtakes in any crider passed by a cettifying officer or appellate authority or errors ari 1 g therein from any accidental slip or ormission may at any time be corrected by that officer or authority or the succe sor 10 office of such officer or auth rity as the case may be]
- 12 Oral evidence in contradiction of standing orders not admissible—No oral evidence having the effect of adding to or otherwise ventying or cantradicting standing orders as finally certified under this Act shall be admitted it any Court
- *[12 A Temporary application of model standing orders—(1) Norwithstanding anyin ing contained in Sec. 3 to 12 for the period commencing or the date on which this Act becomes applicable to an irduitrial establishment and endig with the date on which the startoing screams at imally ceitified under this Act come into operation under Sec. 7 in that establishment the presembed model standing orders shall be deemed to be adopted in that establishment. The provisions of Sec. 9 sub-section (3) cf Sec. 13 and Sec. 13-A shall apply to almost handle including orders as they apply to the standing orders as they certified.
 - (2) Nothing contained in sub-section (1)s all apply to an industrial establishment in respect of which the appropriate Government is the Government of the State of Gujitat or the Government of the State of Mahazashtra.
 - 13 Penalties and procedure -(1) An employer who fails to submit draft standing orders as required by Sec 3 or who modifies his standing orders

Act (No 39 of 1903) Sec. 4

Subs. by Indu. trial Dupu er (Amend men.) Act (30 of 1956). Sec. 2

^{2.} The words The standing orders in 4 I. which shall be indicated omitted by 5 I

³ Ins. by thid S 5.
4 Ins by thid Sec 6.
5 Ins by thid, Sec 7

otherwise than in accordance with Sec. 10, shall be punishable with fine which may extend to five thousand rupees, and in the case of a continuing officine with a further time which may extend to two hundred rupees for every day after the first during which the officine continues

(2) An employer who doer any act in contravention of the standing orders (dependently described under this Act for his industrial establishment shall be punishable with fine which may extend to one bundred rupees, and in the case of a continuing offerce with a turther fine which may extend to twenty-five rupees for every day after the first during which the offence continues

(3) No prosecution for an offerce punishable under the section shall be instituted except with the previous sanction of the appropriat. Government

(4) No Court inferior to that of a Presidency Magistrate or Magistrate of the second class shall try an offence under this section

1/13-A. Interpretation, etc of standing orders—If any question arises at the application or interpretation of a standing order certified under this Act any employer or workmen may refer the question to any, one of the Labour Cours: constitued under the Industrial Disputes Act, 19-7, and specified for the disposal of such proceding by the appropriate Government by notification in the Olficial Gaester, and the Labour Court to which the question is so referred shall, after giving the parties an opportunity of being heard decide the question and such decision shall be final and binding on the parties.

13-B. Act not to apply to certain industrial establishments —Nothing in this Act shall apply to an industrial eviablishment in so far as the working multiplied therein are persons to whom the Fundamental and Supplementary Rules, Grul Services Classification. Control and Appeal) Rules, Unil Services (Temporary Service) -Rules, Revised Leave Rules, Grul Services (Edulations, Grinlans in Delence Service (Classification, Control and Appeal) Rules or the laian Railway Evtelbishment. Code or any other rules or regulations that may be notified in this behalf by the appropriate Government in the official Gaette, apply 1

14 Power to exempt —The appropriate Government may be notification in the Official Gazette exempt conditionally or unconditionally any industrial establishment or class of industrial establishments from all or any of the provisions of this Act

1/14-A. Delegation of powers —The appropriate Government may, by notification in the official Gazette, direct that any power exercisable by it that this Act or any rules made thereunder shall in relation to such matters and subject to such coditions, if any, as may be specified in the direction, be exercisable also—

(a) where the appropriate Government is the Central Government, by such officer or authority subordinate to the Central Government or by the State Government or by such officer or authority subordinate to the State Government as may be specified in the nonfication,

(b) where the appropriate Government is a State Government, by such officer or authority subordinate to the State Government as may be specified in the notification]

15. Power to make rules —(1) The appropriate Government may after brevious publication, by n. utication in the official Gazette, make rules to carry out the purposes of this Act

¹ The two sections subs by Industrial Dreputes (Amendmert) Act (36 of 1961), Sec. 5 and subs by Act (No. 16 of 1961), Sec. 5 Sec. 7.

(2) In particular and without prejudice to the generality of the foregoing powers, such rules may-

(a) prescribe addition matters to be included in the Schedule, and the procedure to be followed in modifying standing orders certified under this Act in accordance with any such authorities.

(b) set out model standing orders for the purposoes of this Act,

(c) prescribe the procedure of certifying officers and appellate authorities,

(d) prescribe the fee which may be tha ged for copies of standing order entered in the register of standing orders.

order entered in the register of standing orders,

(e) provide for any other matter which is to be or may be prescribed.

Provide that before any rules are made under Cl. (a) representatives of

both employers and warkmen shall be consulted by the appropriate Government:

1(3) Every sule made by the Central Government under this section shall be laid as soon as may be after it is made briore each House of Parliament while it is in session for a total period of thirty days which may be comprised in one session or in two successive sessions and if before the expiry of the session or which it is so laid or the session immediately following both. House agree in making any modification in the rule shall hereafter have effect only in such modified from or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done under thir rule.

THE SCHDULE [See Secs 2 (g) and 3 (2)]

Matters to be provided in Standi g Order under this Act

Classification of workmen e.g. whether permanent, temporary, apprentices, probationers, or badiis
 Manner of intringating to workmen periods and hours of work, holidays,

pay days and wige rates

3 Shift work ng

4 Attendance and late coming

5 Conditions of procedure in applying for and the authority which may grant leave and holidays
6 Requirement to enter premisas by certain gates, and liability to search

7 Closing and re-opening of sections of the industrial establishment, and temporary stoppages of work and the rights and liabilities of the employer and workmen animst therefrom.

8 Terminantion of employment, and the notice thereof be to given by employer and workmen

9 Suspension or dimissial for misconduct and acts or omissions which constitute misconduct

10 Means of rederss for workmen against unfair treatment or wrongful exactions by the employer or his agent or servants

It Any other matter which may be prescribed

Notification

S O 3594 dated 23rd December, 1963—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Sec 1 of the Industrial Employment (Standing Orders) Amendment Act 1963 (3) of 0 1963), the Central Government hereby appoints the 23rd day of December, 1963, as the date on which the said Act shall come unto force

I Ins. by Act (No 16 of 1961), Sec. 6

2 Published in the Gazette of India, Extraordinary, Pt 11, Sec 3, (ii), No. 263 dated 23rd December 1963

THE INDUSTRAIAL EMPLOYMENT (STANDING ORDERS) CENTRAL RULES, 1946

- No LR 11 (37)—In exercise of the powers conterred by Sec 15 read with Cl (b) of Sec 2 of the Industrial Employment (Standing Orders) Act. 1946 (XX of 1946) the Central Government is pleased to make the following rules, the same having been previously published as required by sub-section (1) of said Sec 15 analy.
- I (1) These rules may be called the Industrial Employment (Standing Orders) Central Rules 1946.
- 1[(2) They extend to all Union territories and shall also apply in any State (other than a Union territory) to industrial establishment under the control of the Central Government or a railway administration or in a major port mine or notifields.
- 2. In these rules, unless there is anything repugiant in the subject or contert -
 - (a) "Act" means the Industrial Employment (Standing Orders) Act, 1946 (XX of 1946)
 - (b) 'Form' means a form set out n Schedule II appended to these
 - rules

 S The model standing orders for the purposes of the Act shall be those
 that is Schooling Large and to these rules
- set out in Schedule I appended to these rules

 4 An application for certification of standing orders shall be made in
- Form I

 The prescribed particulars of workmen, for the purpose of sub section
 (3) of Sec 3 of the Acraball be-
 - (1) total numl er employed,
 - (2) number of permanent workmen,
 - (i) number of temperary workmen,
 - (4) number of badlis or substitutes,
 - (5) number of probationers
 - (6) number of apprentices,
 - (7) name of the trade union or trade unions if any, to which the workmen belong,
 - (8) remarks.
- 6 As soon as may be after he receives an application under rule 4 in respect of an industrial establishment the certifying officer shall—
 - (a) where there is a trade unian of the workmen, forward a copy of the draft standing orders to the trade union together with a notice in Form II.
 - (b) where there is no such trade union, call a meeting of the workmen to elect three representatives, to whom he shall, upon their election, forward a copy of the draft standing orders together with a notice in Form 1
 - 1 Subs. by G S R, 208, dated 13th January, 1964, published in the Gazette of India, Pt II, Sec. 3 (i), dated 8th February, 1964

7 Standing orders certified in pursuance of sub-rection (3) of Src 5 or sub-section (2) of Sec 6 of the Act shall be authenticated by the signature and seal of office or the certifings officer or the appellate authenty, as the case may be, and shall be forwarded by such officer or authority within a week of authentication by registered letter post to the emilyoer and to the trade union, on the case may be, the representatives of the workmen elected in pursuance of rule 6.

8 The register required to be maintained by Sec 8 of the Act shall be in From III and shall be properly bound and the cettifying officer shall furnish a copy of standing orders approved for an industrial establishment to any person applying therefor on payment of a fee of tupee one a copy

SCHEDULE I

Model Standing Orders

- 1 These orders shall come into force on
- 2 Claseification of workmen -(a) Workmen whall be classified as-
 - (1) permanent.
 - (2) probationers,
 - (3) badlıs.
 (4) temporary.
 - (5) casual.
 - (6) apprentices
- prished has an illegal strike) or involuntary closure of the evablishment ment of the evablishment melindip between the same can be some complete probationary period of three months in the same or another occupation in the nodurtal establishment melinding breaks due to stokness, sociedan, leave, lock-out strike (not being an illegal strike) or involuntary closure of the evablishment.
- (c) A "probationer" is a workman who is provisionally employed to fill a permanent vacancy in a post and has not completed three months' service there in If a permanent employee is employed as a probationer in a new post he may, at any time during the probationary period of three months, he revetted to he fold permanent post.
- (d) A badli is a workman who is appointed in the post of a permanent workman or probationer who is temporarily absent
- (e) A "temporary" workman is a workman who has been engaged for work which is of an essentially temporary nature likely to be finished within a limited period
- (f) A "casual" workman is a workman whose employment is of a casual nature.
- (g) An "apprentice" is a learner who is paid an allowance during the period of his training
- 3 Titlets (1) Every workman shall be given a permanent ticket unless be is a probationer, badii, temporary worker or apprennee
- 2) Every permanent workman shall be provided with a departmental ticket showing his number, and shall, on being required to do *o, show it to any person authorised by the Manager to inspect st
- (3) Every hadli shall be provided with a badli card, on which shall be entered the days on which he has worked in the establishment, and which shall be surrendered if he obtains permanent employment.

- (4) Every temporary workman shall be provided with a temporary" ticket which he shall surrender on his discharge
- (5) Every casual worker shall be provided with a casual" card on which shall be entered the days on which he has worked in the establi hment
- (6) Every apprentice shall be provided with an app entice card which shall be surrendered if he obtains permanent employment
- P blication of working time The periods and hours of work for all classes of workers in each shift shall be exhibited in English and in the principal languages of workmen employed in the establishment on notice boards maintained at or near the main entrance of the establishment and at the time-keeper s office if any
- Publication of holidays and pay days -Notices specifying (a) the days observed by the establishment as holidays, and (b) pay days shall be posted on the said notice boards
- 6 Publication of wage rates Notices specifying the rates of wages payable to all classes of workmen and for all classes of work shall be displayed on the said notice boards
- hift working More than one shift may be worked in a department 1 [7 or departments or any section of a department of the establishment at the dis stetton of the employer If more than one shift is worked, the workmen shall be liable to be transferred from one shift to another. No shift working shall be discontinued without two months notice being given in writing to the workmen Prior to such discontinuance provided that no such notice shall be necessary if the closing of the shift is under an agreement with the workmen affected If as a result of the discontinuance of the shift working and workmen are to be retrenched such retrenchment shall be effected in accordance with the provisions of the Industrial Disputes Act 1947 (14 of 1947) and the rules made thereunder If shift working is restained the workmen shall be given notice and re-employed in accordance with the provisions of the said Act and the said rules 1
- 2[7 A (1) Any person desiring to prefer an appeal in pursuance of subsection (1) of Sec 6 of the Act shall draw up a memorandum of appeal setting out the grounds of appeal and forward it in quintuplicate to the appellate authonty accompanied by a certified copy of the standing orders, amendments or modifications as the case may be
- (2) The appellate an horsty shall, after giving the appellant an opportunity of b ing heard confirm the standing orders amendments or modifications as certified by the certifiying officer un e s it considers that there are reason for fiving the other parties to the proceedings a hearing before a final decision is made in the appeal
- (3) Where the appellate authority does not confirm the standing orders amendments or modifications it shall fix a date for the hearing of the appeal and durer notice thereof to be given-
- (a) where the appeal is filed by the employer or a workman, to trade unions of the workmen of the industrial establishments and where there are no such trade unions to the representatives of workmen elected under CI (b) of rule 6, or as the case may be, to the employer,
 - (b) where the appeal is filed by a trade union to the employer and all other trade un ons of the workman of the industrial establishment.

¹ Subs by G S R 557, dated 30th April 1459

^{2.} Ins by G S R 1166 dated 28 June 1963 published in the Gazette of India Pt II Sec. 3 (1), dated 6th July, 1963

- (c) where the appeal is filed by the representatives of the work, to the employer and any other workman whom the appeallate authority joins as a party to the appeal
- (4) The appeallant shall furnish each of the respondents with a copy of the memorandum of appeal.
- (5) The appeallante authority may at any stage call for any evidence it codsiders necessary for the disposal of the appeal
- (6) On the date fixed under sub-rule (3) for the hearing of the appeal, the appealare authority shall take such evidence as it may have called for or consider to be relevant 1.
- 8 Attandence and late coming All workmen shall be at work at the establishment at the times fixed and northed under paragraph 4 Workmen attendting late will be liable to the deduction provided for of the Payment of Wages Act, 1936
- 9 Leave—(1) Holidays with pay will be allowed as provided for in Chapter IV-A of the Factories Act 1934, and other holidays in accordance with law, contract custom and usage
- (2) A workman who desires no obtain leave of absence spall apply to the Manager, who shall sizes orders on the application within a week of its submission or two days piect to the commencement of the leave applied for six to commence on the date of the application or within three days thereof, the order shall be given on the same day. If the leave asked for its granted, a leave pass shall be rissed to the worker. If the leave saked for its granted, a leave pass shall be rissed to the worker. If the leave its refused or postponed the fact of such refusal or portionement and the reasons therefor shall be recorded in writing ma rigister to be maintained for the purpose, and if the worker so desires, a copy of the entry in the register shall be supplied to him. If the workman after proceeding on leave desires an extension there is the shall apply to the manager who shall send a writtn reply either granting to refusing actions on cleave to the workman it his addicess is available at di such reply is likely to reach him before the eapiry of the leave originally granted to him.
- (3) If the workman remains absent be sond the period of leave originally granted or unbroquently extended, be shall lose be lien on a his appointment unless he (a) returns within 8 days of the espiry of the leave and (b) explains to the statisfaction of the Manager his inability to return before the expiry of the leave in case the workman loses his hen on his appointment, he shall be entitled to be keep on the bedd! list
- 10 Gassal leave A workman may be granted cassal leave of absence with or without pay not exceeding 10 days in the aggregate in the calendar year Such leave shall not be for more than three days at a time except in case of sixchess. Such leave is intended to meet special crucinistances which cannot be foreseen Ordinarily the previous premission of the head of the department in the retablishment shall be channed before such leave is taken, but when this is not possible the head of the department shall as soon as may be practicable, be the continued of the probable duration of such absence.
- 11 Pament of wages—(1) ny wages, due to the workman but not paid on the usual pay day on account of their being unclaimed shall be paid by the employer on an unclaimed wage pay day in each week which shall be notified on the notice boards as a doresaid
- (2) All workmen shall be paid wages on a working day before the expiry of the seventh or the tenth day after the last day of the wage period in respect

of which the wages are payable, according as the total number of workmen employed in the establishment does not or does exceed one thousand

- 12 Stoppoge of novê = (1) The employer may, at any time, in the event fire, catastrophe, breakdown of machinery or stoppage of power supply, epdemics civil committon or other cause beyond his control stop any section or sections of the establishment whosly or partially for any period or periods suffound notice.
- (3) In the event of such stoppage during working hours, the workmen interedshall be notified by a little part upon the notice-board in the departments concerned, or at the sifice of the Manager as soon as practicable, when was will be resumed and whether they are to remain or leave their place of work. The workmen shall not ordinarily be required to remain for more than two hours after the commencement of the stoppage if the period of detention days not exceed one hour the workmen to detained shall not be paid for the pend of detention. It the period of detention exceeds one hour, the workmen obstained shall be entired to receive wags sfor the whole of the time during which they are detained as result of the stoppage. In the c. set of piece rate workers the average daily earning for the previous shall be taken to be the daily wages. No other compensation will be admissible in case of suchstoppages. Whenever practicable, reasonable notice shall be given of resumption of normal work.
- (3) In case where workmen are laid off for short periods on account of railure of plant or a temp rary cuttailment of production, the period of unemployment shall be treated as compulsary leave either with or without pay, as the case may be When however workken have to be laid off for an indefinitely long period, their service may be terminated after going them due notice or pay mless thread the production of the produc
- (4) The emplayer may in the evant of strike affecting either wholly or partially any section or department of the establishment close down either wholly or partially such section or department and any other section or department sitered by such closure shall be norified by notices put on the notice board in the section or department concerned and in the time keeper's office, if any as soon as practicable The worknen concerned shall also be notified by a general notice, prior to resumption of work, as to when work will be resumed.
- 13 Termination of employment—(1) For terminating employment of a personnent workman, notice in writing shall be given either by the employer of the workman, note month's notice in the case of monthly-rated workmen and two weeks' notice in the case of other workmen' one month's or two weeks' plays as the case may be, may be paid in fleu of notice
- (2) No temporary workman why their monthly rated weekly-rated, or piecerated and no probatione or obtains all is all the intributed to any notice or pay in lieu thereof if his services are terminated, but the services of a temporary workmin shall not be terminated as a punishment unless he has been given an optortunity of explaining the charges of misconduct alleged against him in the manner Presented in parafraph 14
- (3) Where the employment of any workmen is terminated the wages earned by him and other dues it any, shall be paid before the expiry of the second working day from the day on which his employment is terminated
- 14 Disciplinary action for misconduct—(1) A workman may be fined up to two per cent of his wages in a month for any of the following acts and omission, namely—

.....

NOTE.—Specify the acts and omissions which the employer may notify with the pervious approval of the ... Government or of the prescribed authority in pursuance of Sec. 8 of the Payment of Wages. Act, 1936

- (2) A workman may be supended for a period not exceeding four days at a time, or dismissed without notice or any compensation in lieu of notice, if he is found to be faulty of miscenduct.
 - (3) The following acts and omissions shall be treated as misconduct
 - (a) wilful insubordination or disobedience, whether alone or in combination with others to any lawful and reasonable order of a superior,
 - (b) theft, fraud, or dishonesty in connection with the employers' business or property,
 - (c) wilful damage to or loss of employers' goods or property.
 - (d) taking or giving bribes or any illegal gratification,
 - (e) habitual absence without leave or absence without leave for more than 10 days,
 - (i) habitual late attendance,

- (g) habitual breach of any law applicable to the establishment,
- (h) riotous or disorderly behaviour during working hours at the establishment or any act subversive of discipline,
 - (i) habitual negligence or neglect of work.
- (j) frequent repetition of any act or omission for which a fine may be imposed to a maximum of 2 per cent of the wages in a month.
- (k) atriking work o inciting others to strike work in contravention of the provisions of any law or rule having the force of law

 (4) No order of dismissal shall be made unless the workman concerned is
- informed in writing of the alleged misconduct and is given an opportunity to explain the circumstances alleged against him. The approval of the Manster of the establishment or where there is no Manager, of the employer is required in every case of distinuist and, when circumstance appear to warrant is the Manager or the employer may institute indepedent enquiries before dealing with charges against a workman.
- ⁴Provided that in the case of workman to whom the provisions of Art 31. of Ci (2) of the Constitution of India apply, the provision of that Article shall be complied with]
- (5) An order of surpension shall be in writing and may take effect immediately on delivery to the workman. Such order shall set out in detail the alleged misconduct and the workman shall be given an opportunity of explaining the circumstances alleged against him if one enquiry the order is confirmed, the workman shall be deemed to have been absent from duty for the period of surveying the control of the property of the period of surveying the control of the property of the period of surveying the control of the period of surveying the control of the property of the period of surveying the control of the period of surveying the control of the period of the period of the property of the period of the perio

¹ Added by Norification No S R O 861 dated 26th Cerober, 1950, published in the Gazett, of India, Pr 11, Sec 3 v 899, dated 4th November, 1950,

duty during the period of suspension and shall be entitled to have been on dury during the period of supension and shall be entitled to the same wages as he would have received it he had not been suspended

- (6) In awarding punishment under this standing order the Manager shall take into account ting travely of the misconduct the previous record if any, of the workmen and any other extenuating or afgreating circumstances, that may exist, copy of the order passed by the Manager shall be supplied to the workman concented.
- 15 Complaints—All complaints arising out of employment including those relating to unfair treatment or wrongful exaction on the part of the employer of his agent shall be submitted to the Manger or other person specified in this behalf with the right of appeal to the employer.
- 16 Certificate on temination of service Every permanent workman shall be entitled to a service certificate at the time of his dismissal discharge or tetrement from service.
- 17. Liability of wanager—The Manager of the establishment shall personally be held responsible for the the proper and faithful observance of the standing orders
- 18. Exhibit nof starding orders—A copy of these orders in English and in Hindi shall be posted at the Manager's office and on a notice-board maintained at or near the main entrance to the establishment and shall be keep in a hegible condition

SCHEDULE II

FORM I

[Industrial Emplopment (Standing Orders) Act, 1964-Section3]

Dated--19

Τo

The Certifying Officer Ivide Notification No. L. P. 11 (98) dated 25th

(Place)

Sır,

Under the provisions of See 3 of the Industrial Employment (Standing Orders) Acr. 1996 I enclose five copies of the draft standing orders proposed by me for adoption in

(rame)

(Place)

(Postal address)

an industrial establishment owned/controlled by me with the request that these orders may be certified under the terms of the Act I also enclose a statement

giving the particulars prescribed in rule 5 of the Industrial Employment (Standing Orders) Central Rules, 1946

I am, etc (Signature) Employer

-- Certifying Officer .-- -- area.

FORM II

[Notice under Sec 5 of the Industrial Embloyment (Standing Orders)
Act. 1946]

Office of the Certifying Officer for area

place Dated the 19 .

forward herewith a copy of the draft standing orders proposed by the employer for adoption in the modern and submitted to me for cettif cation under the Industrial Employment (Standing Orders) Acts 1946 Any objections which the workmen may desire to make to the receipt of this notice.

Seal

To The Secretary. (Certifying Officer)

Union

Representative elected under rule 6 { Name Occupation | Industrial establishment

FORM III

[Industrial Employment (Standing Orders) Act, 1946-Section]

Register-PART I

Industrial Establishment

Date of the dea-Date Tast Amend-Date of the Any notice patch of the copy of and ment despatch of the subsequently of standing filing nature of made on copy of the given or orders authenappeal decision appeal if standing orders received of ticated under as settled on any amendanv Sec. 5 for the appeal ment first time

PART II

(Should contain the authenticat ((copy of the standing orders)

परिशिष्ट (३)

नियुक्ति पत्र (एक नमूना)

कार्योत्तव(श्रोदोगिक संस्थान का नाम)

He		15416
		
	·	
तिए नियक्त किया बात	ा है। बन्हें बेडन स• S	दित माह/प्रति दिन मिनेया । इन
धवधि में बिना कारण	बडाए व कोई नोटिस दिए उन्हें काम से हर	लया वासकेता।
		₹•
		नानिक/दैनेबर
মরিনিবি—		
	१. इचावं शासा विमाप	•
	२. थी(नए ध्रक्ति)	हो
		ह• मानिक/मैनेबर

परिशिष्ट [४]

राजस्यान में निम्न धम कानूनों के प्रयोग शक्तियों का प्रश्यायोजन (Delegation of Powers under Labour Laws in Rajasthan)

(क) भौद्योगिक नियोजन (स्याई भादेश) भविनियम के भन्नीन -

 मतेत प्रापिकारों के मांगकार विज्ञान कं॰ एक 4 (२) Ind. (C) 59/2767 दिलांक १६-४-१६ (एउस्कान एउरावर में दिलांक 16.4-65 को प्रकाशित) में विज्ञ माम म्हामाननों को विष्य गए हैं।

[No. F. 3 (57) Lab/59 dated 27-8-59; published in Gazette on 15 10 59 page 774]

र धारा १३-क के प्रविकार श्रम श्यायालयों को जो जिलान्ति स॰ D 2585। F 4 (२१ Ind (C) /59/2770 दि 16-4 59 द्वारा गरित किए गए हैं दिवे गये।

[No F 3 (57) Lab / 59 dated 36 1959, published in Rajathan Rajatra Part IV (C) dated 15 10 59, page 774]

३ श्रमुक्त श्रम घोषुक्त को प्रमाणाकन प्रविकाश (Cetifying officer)के घविकार िए वए हैं। [No F I (1) (1) L & E/67dated 18 6 1966 published in Raj-

asthan Rajpatra on 31 10 67, page 682

(ख) भ्रोद्योगिक परिवाद भ्रविनियम क स्रघीन।

१ चय सम सामुक्त (1) राजस्यान जमपुर को Registar of Unions नियुक्त किया सद्या है।

[No F (1) (1) L & E published in Rajasthan Rajpatra 31 10 67 page 682]

सम्पक् प्रधिकारी (Conciliation officers)

२ श्रम प्रायुक्त राजस्थान को पटेन सम्पक्त प्रविकारी (Conciliation officer) नियुक्त किया गया है।

[No 1514/Lab/(11) dated 4 8 1950 published in Rajpatra Vol 2 No 43, part I dated 12 8 50]

३ निम्न प्रथिकारियों को उनके सामने तिखे दात्र के लिए सम्पर्के प्रथिकारी नियुक्त किया गया है—

१ श्रम भायुक्त राजस्थान जयपुर — समस्त राजस्थान के शिए

२ उप श्रम भायुक्त (कानून) राज जयपुर — ,

३ चप श्रम पायुक्त (प्रशासन) — ", ४ चप श्रम पायुक्त (क्ल्यास) — ,

१ धम प्रविकारी (मुस्यावास) --

जयपुर व धजमेर मण्डल

मण्डलीय (रीजनत) सहायक श्रम वयपुर सतवर, धनमेर सोकर प्रमुन्
 साधुन्त वयपुर सवाई माथोपुर, टॉक द भरतपुर जिलों
 के लिए।

स्य प्रविकारी धनेर
 स्राप्तिः, सीक्त्रत मुस्तृ दिलों के निष्
 स्य प्रविकारी परतपुर
 स्था प्रविकारी परतपुर

के निये। ९. अम निरीक्षक I अपपुर अपनुर नगर के निये।

१० सम निरीक्षक II, वयपुर वस्तुर विसा (नगरको छोड़कर) के लिए।

टॉड जिले के लिये। ११. श्रम निरीक्षक, टॉक धजमेर जिला (स्यावर श्रव डिवीजन की १२. थम निरीक्षक, धनमेर कोडकर) ब्यादर उप जिले के लिये। १३. श्रम निरीक्षक, स्थाबर सोकर फ फनुजिलों में १४. यम निरोक्षक, सीकर मरतपुर जिले में १५. श्रम निरीक्षक, मन्तर सवाई माथोपर जिले में ł٤. सवाई माधी र ग्रलवर जिले में द्यलव र 10. जोधपुर व बोकानेर मण्डल जोधपुर, जैसलमेर, नागौर पाती, बाहमेर, १८ रीजनल सहायक श्रम श्रापुरत, सिरोही जालोर, बीकानेर चरू भीर जोधपूर शीगगानगर जिलों के लिये । बीकानेर, चरू, शीगगानगर जिली के १६ श्रम प्रधिकारी, बीकानेर तिए । जोबनर नगर के लिए २०. थम निरीक्षक [जोवपर कोषपुर व जैमलमेर जिले (बोषपुर चहर II. बोधार ₹₹. को छोडकर) पाली बाहपेर जिलों में २२. पाली ., जालोर व सिरोही जिनों में ₹\$ जालोर .. ₹¥. बीकानेर बोकानेर व परू जिलों मे । .. ₹. श्रीगगानगर जिला धीरवातगर *कोटाम इस कोटा, बन्दी व मजनावाह बिलों के लिये ! २७. मण्डलीय सहा थम झायुवत कीटा २८. थम निरोक्षक I कोटा कोटा नगर के लिये कोटा जिले के लिए (कोटा नगर के ₹€. 11. .. धतावा) ₹•. बन्दी जिले में ब्दो भाताबाद जिले में ۹ŧ. मालावाड *उदपपुर मण्डल ३२. मण्डलीय सहा, श्रम झायुनत उदयपुर चदयपुर, बोसवाडा व हुंगरपुर जिली के तिये। ११. व्यम प्रधिकारी, मीलवाडा भीसवाडा व चित्तीडगढ जिली से १४. धम निरोक्षक, वंदयपुर चदयपुर जिले में भोलवाडा जिले में ₹Ş मीलवादा 31. वित्तीदर्गंद जिले में वित्तीदगद [No. F 1 (1) (10) L & E /65 dated 17'9 65; Pablished in Rajpatra dated 4 11.65 Page 632 (1) & (2) and *amended vide Noti, No. even & published in Rajpatra dated 25 7 1966 page 801-217

¥. घारा ३३ C (1) के मधीन मधिकार विश्वति स. D 2585/F 4 (2) Ind (C) 159 dated 16 4 59 हास पठित थम न्यायानयो को दिये गये हैं।

[No. D. 3171/F. 9 (93) Lab /57 dated 3 5 1959, published in Rajpatra dated 2 7 59, page 1961

वे ब्रविकार खब बादनत, रावस्यात को मी है ।

[No F 9 (93) Lab /53 dated 30 9 1958 published in Rajpatra dated 16 10:58 page 831]

थ. कार्य-समिति (Works Committee) हे गठन के प्रविकार निम्न प्रविकारियों को सनके क्षेत्र में दिए गए हैं--

१. सम प्रायुक्त, रावस्थान

२ थम प्रविकारी, वयपुर

श्रम प्रविकारी, मजमेर

बोचपुर Y. ,,

बोटा दिवीयन मय ग्नेलटप्पा. पर सिर्धेंड ٧. €ोटा को छोडकर

दीशनेर ٤ .. भीववाडा

[No. F 25 (5) Lab 150/885 dated 421957 published Ramatra dated 21 2 57, page 807]

इ. बारा 33-C(2) के सबीन सविकार अम स्यायानयों को दिए क्ए हैं।

TNo D 5490/F 5 (62) Ind (C) 60 cated 19 7 60, published in Raipatra dated 25 8 60, page 2761

७. तानारन्दी या हडताम की सूचना धारा २२ (१) के सधीत जिल्ला सधिशारियों को दी कावेगी---

धिकारी

१ रीजनसंसदा धनायुक्त, वयपुर

२ अम प्रविकारी, प्रवेमर मीमवाहा

४. रीजनस सहा, खमायुक्त, जोबपुर

इ. धम ब्राधिकारी, बीकानेर

६ रीजनल हहा धरायुक्त, कीटा

७ रीज• , ,, चदयपुर

८. धम चोषकारी, मीनवारा

वयपर व टॉक

धजमेर, सीकर व भू मुन्

मरतपुर, धलवर, सवाई माधोपुर बोधपुर, वंतलमेर, नागीर, वाली, बाहमेर

सिरोही वालोर । बीबानेर, कृत, धीयगानगर,

कोटा बुन्दो माताबाह बदयपुर, बांसवारा, दू वरपुर मीलशहा, चित्तोइगइ

[No. 1 (12) L & E/65 dated 4 11 66]

समस्य शाजस्यान

भजमेर दिवीयन (सजमेर जिले की धोडकर)

ध्रवमेर जिला

जोधपुर क्रियोजन सम ब्रावुरोड से प्र

बीवानेर दिवीयन उदगपुर डिवीजन

ब्रिले

वरिकिटर ४)

श्रोद्योगिक परिवाद श्रिधिनयम, १६४७

THE INDUSTRIAL DISPUTES ACT, 1947

1 (ACT XIV OF 1947)

[As amended by the Industrial Disputas (Raj Amendt) Act 1958]

An Act to make provision fo the investigation and settlement of industrial disputes and for certain other purposes (As modified up to date)

Whereas it is expedient to make provision for the investigation and settlement of industrial disputes and for certain other purposes hereinafter appearing it is brirby enacted as follows —

CHAPTER I

PRELIMINARY

- * 1 Short itle extent and commencement—(1) This Act may be called the industrial Disputes Act. 1947
 - 2 f (2) It extends to the whole of India

Provided that it shall not apply to the State of Jammu and Kashmir except to the extent to which the provisions of this Act relate to industrial disputes concerning workmen employed under the Government of India]

(3) It shall come into force on the first day of April, 1947

Rajasthan Amendment

- *I Short title & Commencement—(I) This Act may be called the Industrial Disputes (Rajasthan Amendment) Act 1958
- (2) It shall come into force on such date as the State Govt, by notification in the official Gazette appaint,

[Note Vide Noti No D 816/F 3(21) Lab/59 dated 24-4-60, published in Rajasthan Rajptra dated 27-7-60 and came into force w e f 1-7-1960 1

Published in Gazette of India dated 11th March 1947

For Statement of Objects and Reasons see Gazette of Indra 1946 Pt V pp 239-220, for Report of Sciett Committee see 1bd 1947 Pt V pp 35 17his Act has been amended in the State of Madras by Madras Act 12 of 1945 and in Ultar Pradesh by U P, Act 25 of 1951 (with effect from 26th June 1941).

Laws relating to Industrial Disputes have also enacted by certain states e.g. The Bombay Trade Disputes Conciliation. Act. 1934 (Bom. Act. 9 of 1934). The Bombay Industrial Disputes. Act. 1938 (Bom. Act. 25 of 1938). The Bombay Industrial Relations. Act. 1946 (Bom. Act. II of 1947). The Contral Forwinces and Berar Industrial Disputes. Settlement. Act. 1947 (C. P. Act. 23 of 1947, The Trade Disputes Act. 1929 (Punpab Act of 1929). The United Provinces Industrial Disputes. Act. 1947 (U. P. Act. 28 of 1947, The Travancore & Cochin Industrial Disputes. Act. 1950 (C. P. Act. 1956).

2. Subs by Act 36 of 1956 s 2

- 2 Definition -In this Act, unless there is anything repugnant in the subject or context .-
 - † (a) "appropriate Government" means-
 - (i) in relation to any industrial dispute concerning any industry carried on by or under the authority of the Central Government " " or by a railway company 4 or concerning any such controlled industry as may be specifed in this behalf by the Central Government!" or in relating to an industral dispute concerning o fa banking or an insurance company, a mine, an oil field), or a major port, the Central Government, and,

Rajasthan Amenment

- † (a) "appropriate Government" means-
- (1) in relation to any Industrial dispute concerning any industry carried on by or under the authority of the Central Government, or by Railway Company, or concerning any such controlled industry as may be specified in this behalf by the Central Government, or in relation to an industrial dispute concerning [the Emplovers State Insurance Corporation established under sec 3 of the Employers' state Insurance Act 1948 (34 of 1948) or the "Indian Employers state insurance Act 1946 (1946) of the Indian Airlines' & "Air India" Corporations established under section 3 of the Air Corporation Act 1953 (27 of 1953) or the Agricultural Refinance Corporation established under sec 3 of the Agricultural Refinance Corporation Act 1963 (10 of 1963) or the Deposit Insurance Corpor established under sec 3 of the Deposit Insurance Corporation Act 1961 (47 of 1961) or the Unit Trust of India Act 1963 (52 of 1963) or a banking or an Insurance Company, a mine, an oil field, [a contonment Board] or a major port the Central Government, and 1
 - (ii) to relation to any other industrial dispute, the? [State] Government *(as) 'average pay' means the average of the wages payable to a workman-
 - (i) in the case of monthly paid workman in the three complete calendar months
 - (11) in the case of weekly paid workman, in the four complete weeks,

(iii) in the case of daily paid workman, in the twelve full working days, preceding the date on which the average pay becomes payable if the workman had worked for three complete calendar months or four complete weeks or twelve full rworking days as the case may be and where such calculation cannot be made, the average pay shall be calculated as the average of the wages payable to a workman during the period he actually worked.]

Certain words omitted by the A O 1948

- lns by Act 65 of 1951 s 32
- Certain words omitted by the A. O 1950 6. Subs. by Act 54 of 1949 s 3

6. Subs. by the A. O. 1950

8. The Industrial Disputes (Amendment) Act, 1554 (48 of 1951) deemed to have come into force on lit Davof April, 1954

Rajasthan Amendment

- (aaa) (i) any proceeding under Chapter III A of this Act before an arbitrator, or
 - (ii) any proceedings before an Industrial Tribunal in
- (aaaa) 'Arbitrator' means an arbitrator to whom a dispute is referred for arbitration under the provisions of Ch. III-A of of this Act & includes an umpire
 - 1(b) faward means an interim of a fainal determination of any industrial dispute or of any question relating thereto by any Labour Court, Industrial Tribunal or National Industrial Tribunal and includes an arbitration award made under section [OA] [Under Chapter III-A Raj]
 - *[0bb) "banking company" means a anking company as defined in section 5 of the Banking Companies At 1949 (X of 1949) having branches or other establishments in more than one a [state], and includes the State Bank of India and the Reserve Bank of India)
 - (c) 'Board" means a Board of Conciliation constituted under this Act
 - (d) "conciliation officer" means a conciliation officer appointed under this
 - (e) "coucialiation proceeding means any proceeding held by a conciliation officer or Roard under this Act.
 - *[(ee) 'controlled industy" means any industry the control of which by the Union has been declared by any Central Act to be expedient in the public interest 1

Rajasthan Amendment

- (eece) 'member' means a person who is an ordinary member of a union & who has paid a subscription of not less than-/41-Annas per month Provided that no person shall at any time be deemed to be a member if his subscription is in arreares for a period of 3 months or more next preceding such time
 - (f) 'Court' means of Court of Inquiry constituted under this Act :
 - (g) "employer" means-
 - (i) in relation to an industry carried on by or under the authority of any departness of * the Coord Government or a * [State] Government the authority prescribed in this behalf, or where no authority is prescribed the head of the department.

¹ Subs bs Act 36 of 1956, s 3 (a) 2 Ins by Act 43 of 1953 s 2

³ Ins by Act 54 of 1949, s 3

⁴ Subs by Act 36 of 1956, s 3 (b)

⁵ Ins by Act 65 of 1951, s 32 6 Suhs by the A O 1950 for ' Provincial'.

^{7.} Subs by the A O 1950 for Province

(ii) in relation to an industry carried on by or on behalf of a local authority the executive officer of that authority

Raissthan Amendment

(iii) Where the owner of any industry in the course of or for the purpose of conducting the industry contracts with any person for the execution by or under the contractor of this whole or any part of any work which is ordinarily a part of the indus try, the owner of the industry

(i) a person shall be deemed to be independent" for the purpose of his appointent as the chairman or other member of a Board Court or Tribunal if he in unconnected with the industrial dispute referred to such Board Court or Tribunal or with any industry directly affected by such disputes

Provided that no person shall cease to be independent by reason only of the fact that he is a share hilder o an it corporated company which is connected with or likely to be affected by such industrial dispute but in such a case he shall disclose to the appropriate Government the nature and extent of the shares held by him in such company ?

(i) 'Indu try means any business trade undertaking mnaufacture or calling of employers and includes any calling service employment handicraft or industrial occupation of avocation of workmen

(k) 'andustrial dispute means any dispute or difference between employers and employers or between employers and workmen or between workmen and workmen which is a niected with the employment or non-employment or the terms of employment or with the conditions of labour of any person

- 3 [(kk) 'insurance company" means an insurance company as defined in se tion 2 of the Insurance Act 1938 (IV of 1938) having branches or other establishments in more than one 4 (State) 7
 - * ((kkk) Labour Court' means a Labour Court constituted under section
- (kkkk) lay off (with its grammatical variations and cognate expressions) means the failure refusal or inability of an employer on account of shortage of coal power or raw materials or the accumulation of stocks or the break down of machinery or for any other reason to give employment to a workman whose name is borne on the muster rolls of his industrial establishment and who has not been retrenched
- (1) lock-out means the closing of a place of employment, or the surpension of work or the refusal by an employer to continue to employ any number of persons employed by him
 - (La) Major Port means a major port as defined in cl (8) of sec.3 of the Indian Ports Act 1952
 - CL. (h) rep by the A O 1950
 - Ins by Act 18 of 1952 s 2.
 - Ins by Act 54 of 1949 s 3 Subs by the A. O 1950
 - 5 Ins by Act 36 of 1956 s 3 (c) 6. Ins by Act 43 of 1953, s 2.

- (Lb) "mine" means a mine as defined in cl. (1) of sub sec. (1) of sec 2 of the Mines Act 1952
 - 1[(LL) 'National tribunal' in ans a National Industrial Tribunal constituted under section 78,"
 - (m) 'prescribed'" means prescribed by the rules made under this Act
 - (n) "public utility service" means-
 - (1) any railway service,
 - (ii) any section of an industrial establishment, on the working of which the safety of the establishment or the workman emplosed therein depends .
 - (ut) any postal, telegraph or telephone service,
 - (is) any industry which supplies power light or water to the public .
 - (v) any system of public conservancy or sanitation;
- (vi) any industry specified in the Schedule which the appropriate Government may, if satisfied that public emergency or public inverest so requires by notification in the official Gazette declare to be a public utility service for the purposes of this Ace for such period as may be specified in the notification

Provided that the period so specified shall not, in the first instance, exceed ax months but may, by a like notification, be extended from time to time. by any period not exceeding six months, at any one time if in the opinion of the appropriate Government public emergency or public interest requires such Extension

(o) "railway company" mears a railway company as defined in section 3 of the Indian Railways Act. 1890 (IX of 1890) .

2[(00) 'retrenchment' means the termination by the employer of the service of a workmen for any reason whatsoever, otherwise than as a punishment inflicted by way of disciplinary action, but does not include-

- (i) voluntary rettrement of the workman : or
- (ii) settrement of the workman on reaching the age of superannuation if the contract of employment between the employer and the workman concerned contains a stipulation in that behalf : or
- (iii) termination of the service of a workman on the ground of continued ill health .

Rajasthan Amendment

- (000) "Registrar" means the person for the time being appointed to be the Registrar of Unions under this Act and includes in respect of such power and duties of the Registrar as may be conferred and imposed on him, an Assit Registrar of Unions:
- (0000) "Represer tative Union" means a Union for the time being registered as a Representative union under this Act:

^{1.} Ins. by Act 36 of 1956, s 3 (d) 2. Ins. by Act 43 of 1953, s 2.

- *(p) *strtlement means a settlement arrived at in the course of conculation proceeding and includes a written afterment between the structure of the concultation of the course of the concultation proceeding where a concultation proceeding where a many the reservoid by the parties thereof in such man or as may be preservoid at da copy thereof has been sent to the appropriate Government and the concultation officer.)
- (a) "trike" means a cessation of work by a body of retracts employed in any industry actine in combination or a concerted refusal, or a refusal under a common understanding, of any number of retracts who are or have been so employed to continue to work or to accept employment.
- (r) "Tribunal" means an industrial Tribunal constituted "funder section And includes an Andustrial Tribunal constituted before the 10th day of March 1957 under this Act 1
- a [(rr) "wages" means all remuneration capable of being expressed in terms on comply, which would it the terms of employment, express or simpled were fulfilled, be payable to a workman in respect of his employment or of work done in such employment, and includes—
 - (i) such allowances lincluding dearness allowance) as the workman is for the time being entitled to
 - (ii) the value of any house accommodation, or of supply of light, water, medical attendance or other amenty or of any service or of any concessional supply of feodgrains or other arricles

(m) any travelling concession , but does not include-

- (a) any bonus,
 - (b) any contribution paid or payable by the employer to any pension fund or provident fund or for the benefit of the workman under any law for the time bend; in force
 - (c) any gratuity payable on the termination of his service,]
- *[(s) workmen' means any person (including an apprentice) employed in any industry to do any skilled or unskilled manual, supertwory rechnical or clerical work for hive or reward whether the terms of employment be express or implied, and for the purposes of any proceding under this Act in relation to an industrial dispute, includes any such person who has been dismissed, discharged or retrenched in connection with or as a consequence of that dispute, or whose dismissal, discharge or retrenchment has led to that dispute, but does not include any such person.
 - (i) who is subject to the Atmy Act, 1950 or the Air Force Act 1950 or the Navy (Discipline) Act, 1930, or
 - (ii) who is employed in the police service or as an officer or other employee of a prison, or
- 3 Subs by Act 36 of 1956 s 3 (e) 4 Subs by Act 36 of 1956, s. 3 (f) for "under this Act".
- 5 Ins. by Act 43 of 1953 s 2 6. Subs. by Act 36 of 1956, s 3 (g)

- (iii) who is employed mainly in a managerial or administrative capacity, or
- (iv) who, being employed in a supervisory capacity, draws waster exceing five hundred tupees per mensem or exercises, either by the nature of the duties attached to the office or by reason of the powers vested in him, functions mainly of a managerial nature.

[Madras Amendment—The words 'specified in the Schedule' occurring in sub-il (n) of cl (n) have been omitted by the Industrial Disputes (Madras Amendment) Act, 1949 (Mad. Act of 12 of 1949)

Ratasthan Amendment

- 2 Definitions ' In this Act, unless the sub ect or context otherwise requires .
 - (i) "Abu area" means the territory comprised in the Abu Road Taluka of Banskantha district in the State of Bombay, as it existed immediately before the first day of Nov. 1956;
 - (ii) "Ajmer Area" means the territory of the state of Ajmer as existed immediately before the 1st of Nov. 1956,
 - (iii) "Principal Act" means the Industrial Disputes Act 1947 (Central Act XIV of 1947) in so far as it applies to the State of Rajasthan
 - (iv) "Sunel area" means the territory Comprised in the Sunef Tappa of Bhanpura Tehsil of Mandsaur District in the State of Madhya Bharat as existed, immediately before the 1st day of Nov. 1956.

2-A. Dismissal etc. of an individual workman to be an Industrial Dispute:

Where any employer discharges, dismisses, retrenches or otherwise terminests the services of an individual workman any dispute or difference between that workman and his employer conected with, or ansing out of, such discharge, dismissal, retrenchment or termination shall be deemed to be an industrial depute not withstanding that no other workman nor any timon of workman is Patry to the disning.

NOTES

Clause (a)—Appropriate Government for refrence of dispute, arising in mines and quarries—A reading of Sz 2a) and 100 of the Act clearly shows that Central Government is the appropriate Government to refer any industrial dupute anising in mines which include quarters 1935—1 L L 1364)—

Clause (a) — Appropriate Government for reference of dispute in an undertaking manufacturing tar and industrial color from coal — The appropriate Covernment for the purpose of clause (a) of the this section for reference of an industrial sizepute in an undertaking manufacturing far and in clause color from coal must be held to be the Central Government and not the State in which its statusted (1956–11.L.J. 195).

Claure (a) (i)—Controlled industry. Appropriate Government for reference: Provision not discriminatory—11e Central Government cannot be considered the appropriate Government for the purpose of refetring any industrial dispute unless the controlled industry is specified under this section. The provision of 3 2 (a) authorising to reserve some industries for the purpose of making reference cannot be considered discriminatory (1956-LL L, J. 71).

Clause (J)—Hair Cutting Saloon is industry—The definition of industry in this clause is sufficiently elastic to include a hair-cutting saloon (1956) L L I 596)

CHAPTER II AUTHORITIES UNDER THIS ACT

3 Works Committee —(1) In the case of any industrial establishment in which one bundred or more workmen are employed or have been employed on any day in the preceding twelve months, the appropriate Government may be general or special order require the employer to constitute in the prescribed manner a Works Committee consisting of representative of employers and workmen engaged in the establishment so however that th, number of representatives of workmen on the Committee shall not be less than the number of the committee of the constitution of the committee of the constitution of the committee of the constitution of the carabilishment and is consultation with their trade union if any, registered under the Indian Trade Unions Act. 1296 (XVI of 1926).

(2) It shall be the duty of the Works Committee to promote measures for securing and preserving amity and good relations between the employers and workmen and, to that end to comment upon matters of their common interest or concern and endeavour to compose any material difference of opinion in restrict of such matters,

Rajasthan Amendment

- 3-A Registrar & Assistant Registrar. (1) The State Government shall, by notification in the Official Gazette, appoint a person to be the Registrar of Unions for the purpose of this Act for the whole of the state.
- (2) The State Govt may, by similar notification, appoint a person to be the Assistant Registrar of Union for any local area and may, by general or special order, confer on such person all or any of the powers of the Registrar of unions under this Act
- 4 Conciliation officers -(I) The appropriate Government may, by notification in the official Gazette appoint such number of persons as it thinks of to be conciliation officers, charged with the duty of mediating in and promoing the attilement of industrial disputtes
- (2) A conciliation officer may be appointed for a specified area or for specified industries in a specified area or for one or more specified industries and either permanently or for a limited period.
- 5 Boards of Conciliation—(1) The appropriate Government may as occasion arises by notification in the official Gazette constitute a Board of Conciliation for promoting the settlement of an industrial dispute.

- 7.A. Tribunals —(1) The appropriate Government may, by notification in the Official Gazette, constitute one or more Industrial Tribunals for the adjudication of Iredustrial disputes relating to any matter, whether specified in Second Schedule or the third Schedule.
- (2) A Tribunal shall consist of one person only to be appointed by the appropriate Government.
- (3) A person shall not be qualified for appointment as the $\;$ presiding officer of a Tribuhal unless—
 - (a) he is, or has been, a Judge of a High Court, or
 - (b) he has held the office of the Chairman or any other member of the Labour Appellate Tribunal constituted under the Industrial Disputes (Appellate Tribunal) Act 1950, or of any Tribunal, for a period of not less than two years
- (4) The appropriate Government may if it so thinks fit, appoint two persons as assessors to advise the Tribunat in the proceeding before it
- T.B. National Tribunals—(1) The Central Government may, by notification in the Official Gazette, contiture on or more National Industrial Inthunals for the adjudication of industrial disputes which, in the opinion of the Central Government, involved questions of national importance or are of such a nature that industrial establishments situated in more than one State are likely to be interested in, or affected by, such dispute.
- (2) A National Tribunal shall consist of one person only to be appointed by the Central Government
- (3) A person shall not be qualified for app intment as the presiding officer of a National Tribunal unless—
 - (a) he is, or has been, a judge of a High Courr or
 - (b) he has held the office of the Chaitman or any other member of the Labour Appellate Tribunat constituted under the industrial Disputes (Appellate Tribunal) Act, 1950, for a period of not less than two years
- (4) The Central Government may, if its so thinks fit, appoint two persons as assessors to advise the National Tribunal in the proceeding before it
- 7 C Disqualification for the presiding officer of Labour Courts, Tribunals and National Tribunals — No person shall be appointed to or comtinue in the office of the presiding officer of a Labour Court, Tribunals or National Tribunal, if—
 - (a) he is not an independent person or
 - (b) he has attained the age of sixty five years
- 18. Filling of wacancies—It, for any reavon a vacancy (other than a temporary absence) occurs in the office of the presiding officer or a Labour Court, Tribunal or National Tribunal or in the office of the Chairman or any other member of a Board or Court, then, in the case of a National Tribunal, the Central Government and in any other case the appropriate Government, ball appoint another person in accordance with the provisions of this Act to full

the vacancy, and the proceeding may be continued before the Labour Court Tribunal National Tribunal Beara or Court as the case may be from the state at which the vacancy is filled

- 9 Finality of orders constituting Boards, etc —(1) No order of the programs Government or of the Central Government appointing any person as the Chairenan or any other immers and for Court or as the presiding efficier of a Labour Court Thomas and the Capture of the Chairenan or any manner and one of National Thibunal shall be called Court boards and one or proceeding before any Board of Court boards of the Capture of the C
- (2) No settlement arrived at in the rourse or conciliation proceeding shall be invalid by reason only of the fact that such settlment was arrived at after the expiry of the periol referred to in sub-section (6) of section 12 or sub-section (5) of section 13 as the case may be
- (3) Where the report of any settlement arrived at in the course of concilianton proceeding before a Board is signed by the chairman and all the other members of the Board no such settlement shall be invalid by reason only of the casual or unforescen absence of any the members (including the Chairman) of the Board during any stace of the proceeding]

1 CHAPTER II A NOTICE OF CHANGE

- 9 A Notice of change —No employer, who propose to effect any change in the condition of sevice applicable to any workman in respect of any matter specified in the Fourth Schedule shall effect such change
 - (a) without giving to the workmen likely to be affected by such change a notice in the prescribed manner of the nature of the change proposed to be effected or

(b) within tewenty one days of giving such notice

Provided that no notice shall be required for effecting any such change-

- (a) where the change is effected in pursuance of any settlement, award or decision of the Appellate Tribunal constited under the Industrial Disputes (Appellate Tribunal) Act 1950 or
- (b) where the workmen likely to be affected by the change are persons to whom the Fundamental and Supplementary Rules, Civil Services (Classification Control and Appeal) Rules Civil Services (Temporary Service) Rules Revised Leave Rules Civil Services Regulations : (vilians in Deferce Services (Classification Control and Appeal) Rules or the Indian Railway Establishment Code or any other rules or regulations that may be notitted in this behalf by the appropriate Gavernment in the Official Gazette apply.

¹ Ins by Act 36 of 1956 s. 6

9 B Power of Government to exempt -Where the appropriate Government is of opinion that the application of the provisions of section 9 A to any class of industrial establishments or to any class of workmen employed in any industrial establishment affect the employers in relation thereto so prejudicially that such application may cause serious repercus ion on the industry concerned and that public interest so requires the appropriate Government may, by notification in the Official Gazette, direct that the provisions of the said section shall not apply or shall apply, subject to such condition as may be specified in the notification, to that class of industrial establishments or to that class of workmen employed in any industrial establisment 1

CHAPTER III

REFERNCE OF DISUTES TO BOARDS, COURTS OF TRIBUNALS

10 Reference of disputes to Boards Courts or Tribunals - (1) *[Where the approportate Government is of opinion that any industrial dispute exisits or is apprehended it may at any time I by order in writing -

- (a) refer the dispute to a Board for promoting a settlement thereof, OF
- (b) refer any matrer appearing to be connected with or relevant to the dispute to a Court for inquiry, or
- 1(c) refer the dispute or any matter appearing to be connected with or relevant to the dispute, if it relates to any matter specified in the Second Schedule, to a Labour Court for advidication, or
 - (d) refer the dispute or any matter appearing to be connected with or relevant to, the dispute, whether it relates to any matter specified in the second Schedule or the Third Schedule, to a Tribunal for adjudication

Provided that where the dispute relates to any matter specified in the Third Schedule and is not likely to affect more than one hundred workmen the appropriate Government may, if it so thinks ifit, make the reference to a Labour Court under clause (c)]

2[Provided further that] where the dispute relates to a public utility servic and a notice under section 22has been fiven the appropriate Government shall unless it consider that the notice has been frivolously or veratiously given or that it would be inexpedient so to do make a reference under this sub section nothwithstanding that any other proceedings under this Act in respect of the dispute may have comminced.

"[flA] Where the Central Government is of opinion that any industrial dispute exists or is apprehended and the dispute involves any question of national importance or is of such a nature that industrial establishments situated in more than one State are likely to be interested in, or affected by, such dispute and that the dispute should be adjudicated by a National Tribunal then, the Central Government may, whether or not is the appropriate Government in relation to that dispute, at any time, by order in writing, refer the dispute or any matter appearing to be connected with or relevant to, the dispute, whether

Subs. by Act 18 of 1952, s. 3 3 Ins by by Act 36 of 1956 s 7 (1

¹ Clause (c) and (d) subs. for clause (c) by Act 36 of 1956 a 7 (a) (i) 2. Subs by Act 36 of 1956, \$ 7 (a) (u) for 'Provided that"

it relates to any matter specified in the Second Schedule or the Third Schedule to a National Tribunal for adjudication

(2) Where the parties to an industrial dispute apply in the prescribed moner, whether journly or separately, for a reference of the dispute to a Board out 'd Labour Court Thubon' or National Tribunal') the appropriate Government, if satisfied that the persons applying represent the majority or each pirty, whill make the refrence accordingly

(3) Where an industrial dispute has been referred to a Board *[Labout Tribunalor, Nanonal Tribunalor this ection the appropriate Government may by order prohibit the communance of any strike or lock out in connection with such dispute which may le in existence on the date of the reference

*[(4) Where in an order referring an industrial dispute to *[a Labour Court Tribunal or National Tribunal 1 under this section or in a subsequent order, the appropriate Government has specified the point of dispute for adjudication *[] the Labou Lourt, or the Tribunal or the National Tribunal is the case may be] inhal confine its adjudication to those points and matters incidental threeto

(3) Where a dispute concerning any establishment or establishments has been or to be, referred to a "I Labout Gustr Tribunal on National Trabunal under this section and the appropriate Government is of opinion, whether on an application made to it in this behalf or otherwise, has the dispute is of such ansure that any other establishment group or class of establishments of a similar nature is likely to be interested in or affected by. Such dispute the appropriate Government may at the time of making the reference or at any time thereof or but before the submission of the award include in that reference such establishment group or class of establishments where or not at the time of such inclusion any dispute exists or is apprehended in that establishment, group or class of establishments.

⁹([6] Where any reference has been made under subsection (I A) to a National Tribunal, then notwithination anything contained in this Act no Libour Court of Tribunal shall have jurisdiction to adjudicate upon any matter which is under adjudiction before the National Tribunal, and accordingly—

- (a) if the matter under adjudication before the National Tribunal is pending in a proceeding before a Labour Court or Tribunal, the proceeding before the Labour Court or the Tribunal, case may be. in so far as it relates to such matter, shall be deemed to have been quashed on such reference to the National Tribunal, and
- (b) it shall not be leaful for the appropriate Government to refer the matter under adjudication before the National Tribunal to any Labour Court or Tribunal for adjudication during the pendency of the proceeding in relation to such matters before the National Tribunal

⁴ Subs ibid s 7 (c)

^{5.} Subs by Act 36 of 1956, s 7 (d) (1)

⁶ Ins by Act 18 of 195', s 3 7 Subs ibid s 7 (d) (n)

⁸ Subs ibid s 7 (c)
9 Ins ibid s 7 (f)

Explanation In this Sub-Sec Labour Court'or Tribunal includes any Court or Tribunal or other authority constituted under any law relating to investigation and settlement of industrial disputes in force in any State

(7) Where any industrial dispute in relation to which the Central Green ment is not the appropriate Gevennment is referred to a National Tribunal then notwithstandarding anything contained in this Act any reference in section 15 section 17 section 334 and section 36 (A) to the appropriate Government in relation to such dispute shall be construed as a reference to the Central Government but save as a forestead and as otherwise expressly provided in this Act any reference in any other provision of this Act to the Central relation 15 section 15 se

NOTES

- Sub sec (1) (c) Prior refusal to make a reference no bar to make asubsequent reference of same dispute A prior order of the Government under s 12 (3) whereby the Government refused to refer for adjudctation a given dispute cannot affect the particulation of the Government to exercise the statutory power centered upon st by s 10 (1) (c) of this Act on any subsequent occasion (19% of L. L. 1 3%).
- Sub sec. (1)—Provide and 12 (5)-Power of Government to make reference no qualified or limited—when it it is not bound to make reference—The discretion conferred upon Government in sub s (1) is in no way qualified or limited. The provision that sub section however qualifies that mandatory direction in case of a dispute relating to a public unity service by providing that a reference need not be made if the Government considers that the notice unders 22 has been firstlowed by exactionly given or that it would be interpolent to make a reference. But the language of s 10 (1) and that Government is acting under that section it cannot rely upon the ground of a producty (A) IR 190-8 box. 733)
- 1[10 A Volumary reference of disputes to arbitration—(1) Where any industrial dispute exists or is apprehended and the employer and the workmen agree to refer the dispute to abtriction they may as any time before the dispute has been referred under section for a sub-course of a sub-course of the section o
- (2) An arbitration agreement referred to in sub-section (1) shall be in such form and shall be signed by the patties thereto in such manner as may be prescribed.
- (3) A copy of the arbitration agreement shall be forwarded to the appropriate Government and the conculsation officer and the appropriate Government shall within fourteen data from the date of the receipt of such copy publish the some in the Official Gazerte.
- (4) The arbitrator or arbitrators shall investigate the dispute and submit to the appropriate Government the arbitration award signed by the arbitrator or all the arbitrators as the case may be
- (5) Nothing in the Arbitration Act 1940 shall apply to arbitrations under this section)

1 Ins abid a. 8

Rajasthan Amendment 1958

CHAPTER-II-B

Registration of Unions

- 9-C-Maintena: ce of Register—It shall be the duty of the Registrar to maintain in such form as may be prescribed a register of Unions registered by him under the provisions of this Act,
- 9-D-Application for Registration—Any Union which has for the whole of the period of three months not preceding the date of its so applying under this section a membership of not less than 15 percent of the total number of workmen employed in unit of an industry may apply in the preseribed from to the Registrar for registration as a Representative Union
- 9-E—Registration of Union—On recept of an application from a Union for registration under Sec 9-D and on payment of the prescribed fee the Registrar shall, if after holding such inquiry as he deems fit, he comes to the conclusion that the conditions requisite for registration speeched in the said section are satisfied and the Union is not otherwise disqualified, for registration enter the name of the Union in the appropriate register maintained under Sec 9-C and issue a certificate of registration in such from as may be prescribed:

1 Provided that

- (1) Where two or more Unions fulfilling the conditions necessary for registration under this Act apply for registration in respect of the same unit of an industry the Union having the Largest membership of employees employed in the unit of the industry shall be registered, and
- (n) the Registrar shall not register any Union of he is satisfied that the application for its registration is not made bonahde in the interest of the employers to the prejudice of the interest of the workmen.
- ¹ 9-F-Concellation of registration—The Registrar shall cancel the registration of a Union(a) if, after holding such inquiry, if any, as he deems fit, he is satisfied—"
 - (t) that it was registered under mistake, misrepresentation or fraud, or

(ii) that the membership of the Union has for a continuous period of three months fallen below the minimum required under Sec 9-D for its registration

Provided that where a strike or a cosure not being an illegal strike or closer under this Act in a unit of the indu try has exten ded to a period exceeding fourteen days in any calender month, such month shall be excluded in computing the said period of three months.

Provided further that the registration of a Union shall not be concelled or closer under this Act in a under the provisions of this sub-clause unless its membership at the time of the cancellation is less than such minimum, or

- (111) that the registered Union is being conducted not bonofide in the interest of workman but in the interests of employers to the prejudice of the interests of workmen, or
- (iv) that it has instigated, aided or assisted the commencement of or continuance of an illegal strike,
- (b) if its registration under the Indian Trade Union Act 1926 (Central Act XVI of 1926) is concelled
- 9—G-Registration of another Union in place of existing funon—(1) If at anytime any Union therein/Iter in this section referred to as "applicant union" makes an application to the Registrar for being registered in place of the Union (hereinafter in this section referred to as" representative union for a unit of an industry) on the ground that it has a larger membership of the industry, the Registrar shall call upon the representative Union by a notice in writing to show cause within one month of the receipt of such notice why the applicant Union should not be registred in its place. An application made under this sub Sec shall be accompanied by such fee as may be prescribed.
- (2) TI ~ Registrar shall forward to the Labour Commissioner of the State Government a copy of the said application and notice,
- (1) If on the expany of the period of noisee under sub-Sec (1) and siter holding such inquiry as he deems fit, the Registrar comes to the conclusion that the applicant Urion complex with the conditions necessary for registration specified in sub-sec 9-D and that its membership was during the whole of the period of three months immediately preceding the date of the application under this section

larger than the membership of the representative Union, he shall subject to the projectors of Sec 9-D, register the applicant Union in place of the repre entative Union

- (4) Every application made under this section shall be published in the prescribed manner not less than fourteen days before the expiry of the period of notice under sub sec (1)
- 9 H-Application for re-registration (1) Any Union the registration of which has been cancelled on the ground that it was registered under a mistake or on the ground specified in sub-clause (ii) of clause (a) of Sec 9-F may at any time after three months from the date of such cancellation and on payment of such fees as may be prescribed apply for re registration. The provisions of Sec 9-D and 9-E shall apply in respect of such application.
- (2) A Union the registration of which has beer cancelled on any other ground shall, not save with the permission of the State Government be entitled to apply for re registration
- 9 I-Appeal to Industrial Tribunal from order of Registrar (1) Any party to a proaced ig before the Revisitar may, within thirty days from the date of an order passed by the Registrar under this Chapter, appeal against such order to the Industrial Tribunal.

Provided that the Industri I Tribunal may, for sufficient reasons any appeal made after the expiry of such period

- (2) The Indus rial Tribunal may admit an appeal under sub-sec (1) if on a perusal of the memoradum of appeal and the decision appealed against it finds that the decision is contrary to law or otherwise erroneous
- (3) The Industrial Tripunal in appeal, may confirm, modify or rescind any order passed by the Registrar and may pass such consequential orders as it may deem fit A copy of the order passed by the Industrial Tribunal shall be sent to the Registrar
- 9-J-Publication of orders-Every order passed under Sec 9 E or Sec 9-F or Sec 9 G and every order passed in appeal under Sec 9-I shall be published in the prescribed manner

Rajasthan Amendment

CHAPTER-III-A

Arbitration

- 10-B-Submission—(1) Any employer and a Representative Union or in the abse ce of any registered Representative Union any other Union which is representative of employees may by a written agreement agree to submit only present or future industrial dispute or class of such disputes to the arbitration of any person whether such arbitrator is named in such agreement or not Such agreement shall be called a submission.
- (2) A copy of every such submission shall be sent to the Registrar who shall register it in the register to be maintained for the purpose and shall publish it in such manner as may be prescrib d
- 10-C Submission when revocable—Every Submission shall in the absence of any provision to the contrary contained therein be irrevocable,

Provided that a submission to refer future dispute to arbitration may at any time be revoked by any of the parties to such submission by giving the party three month notice in writing

Provided further that before the expiry of the said period of three months the parties may acree to continue the submission for such further period as may be agreed upon between them

- 10 D-Proceeding in arbitration—The proceedings in arbitration under this Chapter shall be in accordance with the provision of the Arbitration Act 1940 (Central Act X of 1940) in so far 15 they are applicable and the powers which are exercisable by the Industrial Tribunal
- 10-E Special cases may be stated to Industrial Tribunal— The arbitrator may refer any question of law arising before him in any proceeding under this Act to the Industrial Tribunal for its decision Any award by the arbitrarior shall be in accordance with such decision.
- 10 F-Award by arbitrator -The arbitrator shall, after hearing the parties concerned, make an award which shall be signed by him

10-G-Dispute to be referred to Industrial Tribunalif no arbitrator appointed - Notwithstanding anything contained in this Chapter, it no provision has been made in any submission for the appointment of arbitrator or where by reason of any circumstances an arbitrator is appointed, such dispute may be referred, by the State Government for adjudication by the 'industrial Tribunal,'

10-H-State Government may refer industrial disputes to Industrial Tribunal for adjudication—Notwithstanding anything contained in this Chapter the State Government may, at any time, refer an industrial for adjudication by the Industrial Tribunal, if on a report made by Conciliation officer or otherwise it is satisfied that—

- (A) by reason of the continuace of the dispute-
 - (a) a serious outbreak or disorder or a breech of the public peace is likely to occur; or
 - (b) serious or prolonged hardship to a large section of the community is likely to be caused; or
 - (c) the industry concerned is likely to be seriously affected or the prospects and scope for employment therein curtailed or
- (B) the dispute is not likely to be settled by other means, or
- (C) it is necessary in the public interest to do so
- (2) When the State Government makes a reference to the Indstrial Tribunal for adjudication of any industrial dispute, any submission or any award of an arbitrator with regard to that industrial dispute shall stand as cancelled

10-I-Notice of award to parties—(1) The arbitrator or the Industrial Tribunal as an arbitrator, as the case may be, shall forward copies of the awarded made by him or it to the parties, the commissioner of Labour, the Registrar and the State Government

(2) On receipt of such award, the Registrar shall enter it in the Register kept for the purpose

10-J-Completion of proceedings—The arbitration proceeding shall be deemed to have completed when the award is published under Sec. 17.

CHAPTER IV

PROCEDURE, POWERS AND DUTIES OF AUTHORITIES

- 11 Procedure and powers of conciliation officers, Boards, Courts and Tribunals - 2[(1) Subject to any rules that may be made in this behalf an arbitator, a Board Court Labour Court Tribunal or National Tribunal shall follow such procedure as the arbitator or authority concerned may think for I
- (2) A conciliation officer or a member of a Borad, ²[or Court or the presiding officer of a Labour Court, Tribunal or National Tribunal 1 may for the purpose of inquiry into any existing or apprehended industrial dispute after giving reasonable notice enter the premises occupied by any establishment to which the dispute relates
- (3) Every Board, Court 4 [Labour Court Tribunal and National Tribunal] shill have the same powers as are vested in a Civil Court under the Code of Civil Procedure 1908 (V of 1908) when trying a suit, in respect of the following matters namely-
 - (a) enforcing the attendece of any person and examining him on oath .
 - (b) compelling the production and material objects.
 - (c) issuing commissions for the examination of witnesses.
 - (d) in respect of such other matters as may be prescribed and every inquiry or investigation by a Board Court '[Labour Court. Tribunal or National Tribunal | shall be deemed to be a judicial proceeding within the meaning of sections 193 and 228 of the Indian Penal Code (XLV of 1860)
- (4) A conciliation officer may call for and inspect any document which he has ground for considering to be relevant to the industrial dispute

2[or to be necessary for the purpose of verifying the implemention of any award or carrying out any other duty imposed on him under this Act and for the aforesaid purposes the conciliation officer shall have the same powers as are vested in a civil court under the Code of Civil Porcedute, 1908 in respect of compelling the production of documents 1.

- [(5) A Court, Labour Court, Tribunal or National Tribunal may. if it so thinks fit, appoint one or more persons having special knowledge of the matter under consideration as assessor or assessors to advise it in the proceeding before it.1
- 4[(6) All conciliation officers, members of a Board or Court and the presiding officers of a Labour Court, Tribunal or National Tribunal shall be deem-

² Subs by Act 36 of 1936, s 9. 3 Subs ibin

⁴ Subs ibid 1 Subs by Act 36 of 1956 s 9

^{2.} Ibid 3. Ibid 4. Ibid

ed to be public servants within the meaning of section 21 of the Indian Penal Code (XI.V of 1908)

(7) Subject to any rules made under this Act the costs of and incidents to any proceeding before a Labour Court Tribunal or National Thibunal shall be in the d'scretion of that Labour Court Tribunal or National Tribunal and the Labour Court Tribunal or National Tribunal and the Labour Court Tribunal or National Tribunal? as the case may be shall have full power to d termine by and to whom and to what extent and subject to what conditions if any such costs are to be paid and to give all necessary detections for the purposes aftersaid and such costs may on application made to the appropriate Government by the petron entitled be recovered by that Government in the same manner as an artera of fland revenue!

(8) Every ¹[Labour Court Tribunal or National Tribunal] shall be d emed to be a civil court for the purposes of sections 480 and 482 of the Code of Criminal Procedure 1898 (Act V of 1898)

NOTES

Sub sec (3:-Power to set aside ex parte order -An Industrial Tribunal has no power to apply order 1X of Civil Procedure Code and set aside ex parte order unless such power are vested in it by rules framed under s 11 (3) (4) (19.6 I. L. I. 69)

- 12 Duties of conciliation efficers—(1) Where an industrial dispute exists or is an rehended the conciliation officer may, or where the dispute relates to a public utility service and a notice under section 22 has been given shall hold conciliation proceedings in the prescribed manner
- (2) The conciliation officer shall for the purpose of bringing about a settle of the dispute without delay investigate the dispute and all matters affecting the merits and the right settlement thereof and may do all such thing as he thinks fit for the purpose of inducing the parties to come to a fair and amicable settlement of the dispute
- (3) If a settlement of the dispute or of any of the matters in dispute is arrived at in the course of the conclusion proceedings the conclusion officershall send a report thereof to the appropriate Gove nment together with a memoran dum of the settlement signed by the partners to the dispute
- (4) If no such settlement is arrived at the conciliation officer shall as soon as practicable after the close of the investigation send to the appropriate Government a full report setting forth the steps taken by him for ascertaining the facts and circumstances relating to the dispute and for bringing about a settlement thereof together with a full statement of such facts and circumstances and the reasons on account of which in his opinion, a settlement could not be arrived at
- (5) If on a consideration of the sport referred to in sub-section (4) the appropriate Government is sawisfied that there is a case for reference to a Board or *[Labour Gourt Tribunal or National Tribunal] it may make such reference where the appropriate Government does not make such a reference it shall record and communicate to the parties on eithed its reasons therefor.
- (6) A report under this section shall be submitted within fourteen days of the commencement of the conclination proceedings or within such shorter period as may be fixed by the appropriate Government.

¹ Ibid

² Subs by Act 36 of 1955 s 10

¹[Provided that the time for the submission of the report may be extented by such period as may be agreed upon in writing by all the parties to the dispute]

NOTES

- Sub Sec 12 (1)—Duty of Government to make reference on perusal of report—If on a perusal of report Government is satisfied that there is a case for reference the duty mosed upon it clearly arises and the Government cannor refuse to discharge that dury. It is only when Government is not satisfied that there is a case for reference that the duty to refet does not arise but in that case Government must five reasons why it was not satisfied that there was a case for reference which must be germane to and connected with the industrial dispute. In case the Government is satisfied that there was case for reference but still refuses to make reference the High Court would compel the Government by a mandamus to discharge its statutory duty (A. 1 R. 1956 Bom. 273)
- 13 Duties of Boards —(1) Where a dispute has been referred to a board under this Act it shall be the duty of the Board to endeovout to bring about a settlement of the same and for this purpos the Board shall in such manner as it thinks fit and without delay, investigate the dispute and all matters affecting the merits and the right settlement thereof and may do all such things as it thinks int for the purpose of inducing the parties to come to a fair and amachale extellment of the dispute
- (2) If a settlement of the dispute or of any matters in dispute is arrived in the courts of the concidation proceedings the Board shall send a report thererof to the appropriate Government to tether with a memorandum of the settlement signed by the parties to the dispute
- (3) If no such settlement is arrived at the Board shall as soon as practicable after the close of the investigation send to the appropriate Government a full report setting forth the proceedings and steps taken by the Board for ascertaining the facts and curounstances relating to the dispute and for bing about a settement thereof together with a full statement of such facts and curounstances is indinds thereon the reasons on sec unt of which, in its opinion a settlemet could not be attived at and its recommendations for determination of the dipute
- (4) If on the receipt of a report under sub-section (3) in respect of a dispute relating to a public utility service the appropriate Government does not make a reference to a "I Labour Court Tribunal or National Tribunal J under section 10 it shall record and communicate to the parties concerned its reason therefor.
- (5) The board shall submit its report under this section within two months of the da e on which the dispute was referred to it or within such shorter period as may be fixed by the appropriate Government

Provided that the appropriate Government may from time to time extend the time for the submission of the report by such further periods not exceeding two months in the aggregate

I Ins abid

² Sub by Act 36 of 1956 s 11,

³ Subs by Act 40 of 1951 s 6.

Provided further that the time for the submission of the report may be extended by such period as may be agreed on in writing by all parties to the dispute

- 14 Duties of Courts A Court shall inquire into the matters referred to it and report thereon to the appropriate Government ordinarily within a remod of its months from the commencement of its inquiry
- "II5 Duties of Labour Courts Tribunals and National Tribunals or National Tribunals or National Tribunal to National Tribunal to Thomas or National Tribunal for adjudication it shall had the proceedings expeditionally and shall as soon as ut is practicable on the conclusion thereof, submit its award to the appropriate Government
- 16 Form of report or award—(1) The report of a Board or Court she he members of the Board or Court as the case may be

Provided that nothing in this section shall be deemed to prevent any member of the Board or Court from recording any minute of dissent from a report from any recommendation made therein.

(2) The award of a Labour Court or Tribunal or National Tribunal shall be in writing and shall be signed by its presiding officer

- 17 Publication of report and awards—(1) Erry report of a Board or Court rogether with any manue of dissent recorded therewith every arbitration award and every award of a Labour Court Tribunal or National Tribunal shall within a period of thirty days from the date of its receipt by the appropriate Government, be published in such manner as the appropriate Government, thirds fit
- (2) Subject to the provisions of Section 17 A the award published under sub-section (1) shall be final and shall not be called in question by any court in any manner whatsoever.
- arb tanon award) shall become enforceable on the expiry of thirty days from the date of its publication under section 17

Provided that—

- (a) if the appropriate Government is of opinion in any case where the award has been by a Labour Court or Tribunal in relation to an industrial dispute to which it is a party, or
- (b) if the Central Government is of opinion in any case where the award has been given by a National Tribunal.

that it will be in exped ent on public grounds affecting national economy or social justice to give effect to the whole or any part of the award, the appropriate Government or as the case may be the Central Government may by nonficiation in the Officia Gazette, declare that the award shall not become enforceable on the expry of the said thirty days.

(2) Where any declaration has been made in relation to an award under the proviso to sub-section (1) the appropriate Government or the Central Government may, within ninety days from the date of publication of the award under section i? make an order rejecting or modifying the Award, and shall on the first available opportunity lay the award together with a copy of the offere before the Legislature of the State, if the order has been made by a Construction of the order has been made by the Central Government, or before Parliament if the order has been made by the Central Government.

(3) Where any award as rejected or modified by an order made under subsection (2) is laid before the Legislature of a State or before Parliament, such award shall become enforceable on the exprity of fifteen days from the date on which it so laid ann where no order under sub-section (2) is made in pursu ance of a declaration under the provist or sub-section (1), the award shall become enforcable on the expiry of the period or ninety days referred to in sub-section (2).

(4) Subject to the provisions of sub-section (1) and sub-section (3) refsricing the enforceability of an award, the award shall come into operation with effect from such date as may be specified therein but where no date is so specified, it shall come into operation on the date when the award becomes enforcable under sub-section (1) or sub-section (3) as the case may be 1

- 18 Persons on whom settlement and awards are binding 'I (1) A settlement arrived at by agreement between the employer and workmen otherwise than in the course of conciliation proceeding shall be binding on the parties to the agreement
- (2) An arbitration award which has become enforceable shall be binding on the parties to the agreement who referred the dispute to arbitration
- (3) A settlement arrived at in course of conciliation proceeings under this Act or an award 2 for a Labour Court Tribunal or National Tribunal which has become enforceable shall be binding on—
 - (a) all parties to the industrial dispute,
 - (b) all other patties summoned to appear in the proceedings as patties to the dispute unless the Board of the Labour Court Tribunal or National Tribunal] as the case may be, records the opinion that they were so summoned without proper cause.
 - (c) where a party referred to in clause (a) or clause (b) is an employer, is heirs successors or assigns in respect of the establishment to which the dispute relates,
 - (d) where a party referred to in clause (a) or clause (b) is composed of workmen all persons who were employed in the establishment of part of the establishment as the case may be, to which the dispute relates on the date of the dispute and all persons who subsequently become employed in that evablishment of part.

NOTES

Section does not entitle new entrants to same benefits under award— This section declares the extent and the persons on whom settlement and awards are binding. It does not lay down that inspite of the fact that the particular number of the old workmen are to get a certain benefit, new

¹ Inserted by Act 36 of 1956, s 13

^{2.} Ibid 3 Ibid

entrants would be qually entitled to the same though they have been by necessary implication excluded from the operation of the award (1956-1, L L 1 199)

- 19 Period of operation of settlements and awards -(1) A settlement I [* * *] shall come into operation on such date as is agreed upon by the parties to the dispute and if no date is agreed upon on the date on which the memorandum of the settlement is signed by the parties to the dispute
- (2) Such settlement shall be binding for such person as is agreed upon by the parties and if no such period is agreed upon for a period of six months 2 from the date on which the memorandum of settlement is signed by the parties to the dispute and shall continue to be binding on the parties after the expiry of the period aforesaid until the expiry of two months from the date on which a notice in writing of an intention to terminate the settlement is given by one of the parties to the other party or parties to the settlement
- ³[(3) An award shall, subject to the provisions of this section remain in operation for a period of one year. ⁴[from the date on which the award becomes enforceable under secreta 17 Al

Provided that the appropriate Government may reduce the said period and fix such period as it thinks fit

Provided further that the appropriate Government may before the expiry of the said period, extend the period of operation by any period not exceeding one year at a time as it thinks fit so, however that the total period of operation of any award does not exceed three years from the date on which it came into operation

- (4) Where the appropriate Government, whether of its own motion or on the application of any party bound by the award, considers that since the award was made there has been a material change in the circumstances on which it was based the appropriate Government may refer the award or a part of it [to a Labour Court, it the award was that of a Labour Court or to a Tribunal if the award was that of a Tribunal or of a National Tribunal 1 for decision whether the period of operation should not, by reason of such change be shortened and the decision of "[Libour Court or the Tribunal, as the case may be, I in such reference shall "[* * * I be final
- (5) Nothing contained in sub-section (3) shall apply to any award which by its nature, terms or other circumstances does not impose, after it has been given effect to, any continuing obligation on the parties bound by the award
- (6) Notwithstanding the expiry of the period of operation under subsection (3), the award shall continue to be binding on the parties until a period of two months has elapsed from the date on which notice is given by

7. The words' subject to the provision for appeal" omitted thid 14 (d) (m)

¹ The words 'arrived at in the course of a conciliation proceeding under this Act" omitted by Act 36 of 1956, s 4 (a) Ins ibid s 14(b)

³ Subs by Act 48 of 1950, s 34 and Sch 4 Ins by Act 36 of 1956 s 14 (c)

⁵ Subs ibid, s 14 (d) (i) for "to a tribunal"

⁶ Subs by Act 36 of 1955, s 14 (d) (n) for "the tribunal"

any party bound by the award to the other party or parties intimating its intention to terminate the award

- 1 (7) No notice given under sub-sec (2) or sub-sec (6) shall have effect. unless it is given by a party representing the majority of persons bound by the settlement or award, as the case may be]
- 20 Commencement and conclusion of proceedings -(i) A conciliation proceeding shall be deemed to have commenced on the date on which a notice of trike or lock-out under section 22 is received by the conciliation officer or on the date of the order referring the dispute to a Board as the case may be
 - (2) A conciliation proceeding shall be deemed to have concluded-
 - (a) where a settlement is arrived at, when a memorandum of the settlement is signed by the parties to the dispute .
 - (b) where no settlement is arrived at when the report of the conciliation officer is received by the appropriate Government or when the report of the Board is published under section 17, as the case may be, or
 - (c) when a reference is made to a Court 21 Labour Court Tribunal or National Tribunal I under section 10 during the pendency of conciliation proceedings
- (3) Proceedings as selection an arbitrator under section 10 A or before a Labour Court, Tribunal or National Tribunal shall be deemed to have commenced on the date of the "I refence of the dispute for arbitation or adjudication, as the case may be I and such proceedings shall be deemed to have concluded son the date on which the award becomes enforceable under section 17 A. I
- 21 Certain matters to be kept confidential -There shall not be included in any report or award under this Act any information obtained by a conciliation officer. Board. Court. *[Labour Court. Tribunal National Tribunal or an arbitrator] in the course of any intestigation or inquiry as to a trade union or to any individual business (whether carried on by a Person. firm or company) which is not available otherwise than through the evidence given before such officer, Board, Court, "I Labour Court Tribunal or arbitrator!, if the trade union, person firm or company in question has made a requiset in writing to the conciliation officer Board, Court, ILabout Court, Tribuni, National Tribunal or arbitratori as the case may be, that such information shall be treated as confidential nor shall such conciliation officer or any individual member of the Board. For Court or the presiding officer of the Labour Court, Tribunal or National Tribunal or the arbitrator I or any person present it or concerned in the proceeding disclose any such information without the consent in writing of the secretary of the trade union or the person, firm or company in question, as the case may be .

Sub-sec (7) inserted by sec 18 Act 35 of 1964
 Subs by Act. 36 of 1-56 s. 15 (a) for "or Tribunal".

³ Subs ibid s 15 (b) (i) for "before a Tribunal".
4 Subs ibid s 15 (b) (ii) for reference of dispute"
5 Subs by Acr 18 of 1932, s 4

⁶ Subs by Act 36 of 1956, s 16 (a) for "or Tribunal".
7. Subs ivid, s 16 (b) for "or Tribunal".
8 Subs ivid, s 16 (c) for "Court or Tribunal".

Provided that nothing contained in this section shall apply to a disclosure of such information for the purposes of a prosecution under section 193 of the Indian Penal Code (XLV) of 1860)

CHAPTER V

STRIKES AND LOCK-OUTS

- 22 Prohibition of strikes and lock outs -(1) No person employed in a public utility service shall go on strick in breach of contract-
 - (a) without giving to the employer notice of strike as hereinafter provided within six weeks before striking or
 - (b) within fourteen days of giving such notice or
 - (c) before the expiry of the date of strike specified in any such notice as aforesaid or
 - (d) during the pendency of any conciliation proceeding before a conciliation officer and seven days after the conclusion of such procedures
- (2) No employer carrying on any public utility service shall lock-out any of his Workmen -
 - (a) without giving them notice of lock out as hereinafter provided, within six weeks before locking out or
 - (b) within fourteen days of giving such notice
 - *(bb) During the pendency of arbitration proceeding before an arbitrator and two months after the conclusion of such proceedings where a notification has been ssued under sub sec (3 A) of Sec 10 A or
 - (c) before the expiry of the date of lock out specefied in any such a notice as aforesaid or
 - (d) during the pendency of any conciliation proceeding before a conclision officer and seven days after the conclusion of such proceedings
- (3) The notice of lock out of strike under this section shall not be necessary where there is already in ensistence a stitle on, as the case may be lock out in the public utility service but the employer shall send intimation of such lockout or strike on the day on which its declared to souch authority may be specified by the apprit priate Government either generally or for a particular class of bublic utility services.
- (4) The notice of strike referred to in sub-section (1) shall be given by such number of persons to such persons and in such manner as may be prescribed
- (5) The notice of lock out referred to in sub section (2) shall be given in such manner as may be prescribed
- (a) If on any day an employer receives from any persons employed by him any such notices as are referred to in sub-section (1) or gives to any persons employed by him any such notices as are referred to in sub-section (2), he shall whithin

^{*} Inserted by Sec 11 of Act No 36 of 1964

five days thereof report to the appropriate Government or to such authority as that Government may prescribe the number of such not ces received or given on that day

- 23 General prohibition of strikes and lock outs -- No workman who is employed in industrial establishment shall go on strike in breach of contract and no employer of any such workman shall declare a lock out-
 - (a) during the pendency of conciliation proceedings before a Board and seven days after the conclusion of such proceedings;
 - (b) during the pendency of proceedings before 1 a labour Court, Tubunal or Nati nal Tribunal and two months after the conclusion of the contract of the contra
 - of such proceeding, or

 (c) during any period in which a settlement or award is in operation
 in respect of any of the matters covered by the settlement or
- award

 24 lilegal strikes and lock-outs—(I) A strike or a lock-out shill be
 - (i) it is commenced or declared in contravention of section 22 or
 - section 23, or
- (2 Where a strike or lock-out in pursuance of an industrial depute has already commenced and is in existence at the time of the reference of the dispute to a Board 2 [Labour Court, Tribunal or]National Tribunal 1, the continuance of such strike of lock out shall not be deeped to be illegal, provided that such that the court was not at its commence in continuance in the continuance of the continuance thereof was not prohibited under sub-section (8) of the continuance thereof was not prohibited under sub-section (8) of section 10 in the continuance thereof was not prohibited under sub-section (8) of section 10 in the continuance thereof was not prohibited under sub-section (8).
- (3) A lock-out declared in consequence of an illegal strike or a strike declared in consequence of an illegal lock out shall not be deemed to be fillegal
- 25 Prohibition of financial aid to illegal strikes and lock-outs No person shall knowingly expend or apply any money in direct furtherence or support of any illegal strike or lock out.

* CHAPTER VA

- 25A Application of section 23C to 25E -- (1) Sections 25C to 25E inclusive shall not apply-
 - (a) to industrial establishment in which less than fifty workmen on an average per working day have been employed in the preceding calendar month or
 - calendar month, or (b) to industrial establishments which are of a seasonal character or in which work is performed only intermittently.
 - 1 Subs by Act 36 of 1955, s 17 for 'a Tribunal'. 2 Subs ibid, s 18 for "or Tribunal".
 - 3. Ins, by Act 43 of 1953, s, 3

(3) of section 10.

- (2) If a question arises whether an industrial establishment is of a seasonal character or whether work is performed therein only intermittently, the decision of the appropriate Government thereon shall be final
- "(Explanation In this section and in section 2SC, 25D, and 25E, "industrial estable shim in mean a (i) factory as defined in clause (in) of section 2 of the Factories Act 1948 (LXIII of 1948), or "(ii) a mine as defined in clause (i) of ection 2 of the Mines Act, 1952 of 1952, (XXXX) or (iii) a plantation as defit of in clause (f) of section 2 of the Plantation." Labour Act 1951 (LXIX of 1991).
- ²[25.B Definition of Continuous service -- For the purpose of this Chapter-
 - (1) A workman shall be said to be in continuous service for a period if he is for that period in uninterrupted service, including service which may be interrupted on account of sichness or a strike which is not illefal or a lock-out or a cessation of work which is not due to any fault on the part of the workman.
 - (2) Where a workman is not in continuous service with in the meaning of ci (1) for a period of one year or sir months, he shall be deemed to be in continuous service under an employer—
 - (a) for a period of one year, if a workman, during the period of 12 calender months preceding the date with reference to which calculation is to be made has actually worked under the employer for not less than—
 - (i) 190 days in the case of a workman employed below ground in a mine, and
 - (ii) 240 days in any other case
 - (b) for a period of six months, if the workman, during a period of six calender months preceding the date with refernce to which calculation is to be made, has actually worked under the employer, for not less than—
 - (t) 95 days, in case of a workman employed below ground in a mine and
 - (11) one hundred and twenty days, in any other case.

Explanation For the purpose of cl (2) the number of days on which a workman has actually worked under an employer shall include the days on which—

- (i) he has been laud-off under an agreement or as permitted by standing orders made under the Industrial Employment (Standing Orders) Act 1946 (XX of 1946) or under this Act or under other law applicable to the industrial establishment.
- (ii) he has been on leave with full wages, carned in the previous years,
- (iii) he has been absent due to temporary disablement caused by accident arising our of and in the course of his employment, and

¹ Subs by Act 48 of 1954 2 Subs by sec 12 of Act No 36 of 1964

(iv) in the case of a female, she has been on maternity leave, so however that the total period of such maternity leave shall not exceed twelve weeks]

NOTES

Year of continuous service —In order to qualify for one year's continuous service, the actual work aggregating to attest 240 days should be done within a span of twelve callendar montas (1956—1 LL J 634)

28 C Right of workmen laid-off for compensation — Whenever a workman (other than a badh workman or a caval workman) whose name is borne on the muster rolls of an industrial establishment and who has completed not less than one year of continuous service under an employer is add-off, the stall be paid by the employer for all days during which he is so lad-off, except for such weekly holdays as may intervene, compensation which shall be equal to fifty per cent of the total of the banc wages and daraness allowance that would have been payable to him had he nor been so laid-off.

Provided that if during any period of twelve months, a workman is so laid off for more than 45 days, no such compensation shall be payable in respect of any period of lay off after expiry of the first 45 days if there is an agreement or that effect between the workman and the employer

Provided further that it shall be lawful for the employer in any case falling within the foregoing provision to retrench the workman in accordance with the provisions contained in section 25F, at any time after the expiry of the first 3d asy of the lay off and where he does so, any compensation paid to the workman for having been laid-off during the preceding twelve months being set off against the compensation payable for retrenchment.

Explanation—Badli workman means a workman who is employed in aborne on the muster oil so of the establishment. In the blace of another workman whose name is borne on the muster rolls of the establishment, but shall ceare to be regarded as such for the purpose of this section, if he has completed one year of continuous service in the establishme t

NOTES

Continuous lay off for period, varying 57 to 121 days under single notice-compensation payable-covered by provise (a) and not provise (b)—Where the workmen had been laid for a continuous period varying from 57 to 121 days under a single notice the compensation payable to them must be held to be covered by proviss (a) and not by provise (b) Provises (b) would apply only if the workmen had been paid compensation for 35 days and were again laid for further periods of more than one week at a time (1936—11.1.1) 739)

Lay off compensation paid to employee is not wages so as make employer halds to pay special contribution—The layoff compensation and to an employee under this section is not wages as defined in the Employees State Insurance Act and hence no question of employer's paying special contribution on such compensation can arise under the provisions of \$73A (3) of the said Act A I R 1936 Bom 336)

25 D Duty of employer to maintain muster rolls of workmen— Notwithstanding that workmen in any industrial establishment have been laid-off it shall be the dury of every employer to maintain for the purposes of this Chapter a muster roll, and to provide for the making of entires therein by workmen who may present themselves for work at the establishment at the appointed time during normal working hours

25E Workmen not entitled to compensation in certain cases -No compensation shall be paid to a workman who has been laid-off-

- (i) the retures to accept any alternative employment in the same exchlishment form which he has laid-off, or in any other establishment belonging to the same employer situate in the same town or village or situate within a radius of five miles from the establishment to which he belong, if in the opinion of the employer, such alternative employment does not call for any special skill or previous experience and can be done by the working provided that the wages which would normally hive been paid to the workmen are offered for the alternative employment also.
- (ii) it he dose not present himself for work at the establishment at the appointed time during normal working hours at least once a day.
- (iii) if such laying-off is due to a strike or slowing-down of production on the part of workmen in another part of the establishment
- 25F. Conditions precedent to retrenchment of workmen. No workman employed in any industry who has been in continuous service for not less than one year under an employer shall be retrenched by that employer until.
 - (a) the workman has been given one month's notice in writing indicating the reasons for retenchment and the period of notice has expired, or the workman has been paid in heu of such notice, wages for the period of the notice.

Provided that no such notice shall be necessary if the retrench ment is under an agreement which specifies a date for the termination of service

- (b) the workmen has been paid, at the time of retrenchment, compensation which shall be equivalent to diffeen days average pay for every completed year of service or any part thereof in excess of six months, and
- (c) notice in the prescribed manner is served on the appropriate Government. I or such authority as may be specified.
- 25 FF. Compensation to workmen in cases of trausfer of undertaking—Where the ownership or manaßement of an undertaking is transferred, whether by agreement or by operation of law, from the employer in related to that undertaking to a new employer, every workmin who has been in continuous service for not less than one year in that undertaking immediately before such transfer shall be entitled to nonce and compensation in accordance with the provision of sec 25-Pr, as the workman has been retreeted.

Provided that nothing in this section shill apply to a workman in any case where there has been a change of employers by a reason of the transfer; it-

(a) the service of the workmen has not been interrupted by such transfer,

- (b) the terms & conditions of service applicable the workman a offer transfer are not in any way favourable to the workman than those applicable to him immediately before the transfer and
- (c) the new employer is under the terms of such transfer or otherwise legally hable to pay to the workman in the event of h s retrench ment compensation on the basis that his service has been contrnous and has not been interrupted by the transfer
- 25-FFF-Compensation of workmen in case of closing down of undertaking (I) Where on undertaking is closed down for any peason what so ever every workman who has been in continous service for not less than one year in that undertaking immediately before such closine shall subject to the previous of sub-sec (2) be entitled to notice and compensation in accordance with the provincion of sec. 25-F as if the workman has been retrenched.

Provided that where the undertaking is closed down on account of unavoidable circumstances beyond the control of the employer the compensation to be paid to the workman under clause (b) of sub 20-F and shall not exceed his average pay for three months

- Explanation: An undertaking which is closed down by reason merely of timancial difficulties (including financial losses) or accumulation of undisposed of stocks "for the expiry of the period of the lease or the licence grained to it where the period of the lease or the licence express on or after the first day of April 1907) shall not be deemed to have been closed down on account of unavoidable circumstances beyond control of the employer within the meaning of the proviso to this section.
- (a) Where any undertaking set up forfice construction of buildings bridge canals dams or other construction work is closed down on account of the completion of work within two pass from the date on which the understaining heaters on wider clause (b) of sec 25-F but if the construction work is not a completed within two years he shift be entired to any compensed within two years he shift be entired to notice and compensation condet that section for every 1 completed year of continuous service 1 or any part un exercis of six month.
- 25 G Procedure for retrenchment—Where any workmen in an industrial establishment, who is a criter of I findia is to be retrenched and he belongs to a particular category of workmen in that establishment in the abvence of any agreement between the employer and the workman in this behalf the employer shall crit dartly retrench the workman who was the last person to be employed in that category unless for reasons to be recorded the employer retrenches any other workman.
- c5 H Re-employment of retr nehed workmen—When any workmen are trenched and the employer purposes to take into his employ any persons he shall in such manner as may be prescribed give an opportunity to the retten ched workmen who offer themselves for re-employment shall have preference over othe persons
 - 25 1 1 2 2 2 3
 - 25 J Effect of laws inconsistent with this Charter =(1) The provisions
 - Inserted by S 15 of Act No 36 of 1904
 - t Subs by sec. 15 & 16 of Act \o 36 of 1964

 1 Inserted by s 14 of Act No 35 of 1964
 - 2. Omit by Act 36 of 1956 s 19

of this Chapter shall have effect notwirbstanding anything inconsistent there with contained in any other law "lincluding standing orders made under the Industrial Employment (Stanoing Orders) Act 1946 (XX of 1946)]

4 [Provided that where under the provisions of any other Act or rules, orders or notifications assued there under or under any standing orders or under an award, contract of service or otherwise, a workman as entitled to besefus, in sespect of any mitter which are more favourable to him than those to which he would be entitled under thir Act, the workman shall continue to be entitled to the more favourable benefuls in respect of the matters, notwith standing that he receives benefits in respect of the matters, notwith standing that he receives benefits in respect of other matters under this Act; 1

(2) For the removal of doubts, at is herely declared that nothing contained in the Chapter shall be deemed to affect the provisions of any other law for the time being in force in any State in so far as that law provides for the settlement of industrial dispures, but the rights and lishlittes of employers and workmen in so for as they relate to lay-off and tetrenchment shall be determined in accordance with the provisions of this Chapter.

NOTES

Proviso—Right under Contract cannot be derogated—The proviso to bus section makes it clear that if employee has any rights under the contract those right cannot be derogated by reason of any provision in the Act-Therefore, although the rights of the employer may be cut down or fresh obligations may be imposed upon employer, as far as the employee is concerned no provision of the Act can be relied upon in order to limit or abridgs his rights (A IR 1956 Bom 336).

CHAPTER VI

PENALTIES

26 Penalty for illegal strikes and lock-outs -(1) Any workman who commences, continues or otherwise acts in furtherance of, a strike which is illegal under this Act; shall be punshable with improsument for a r m which may extend to use month, or with fine which may extend to fifty rupes, or with both

(2) Any employer who commence, continues, or otherwise acts in further ance of a lock-out which is illegal under this Act shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to one month, or with fine which may extend to one thousand rupees, or with both

27 Penalty for instigation, ect — Any person who instigates or incites on the contract to take part in or otherwise acts in furtherance of, a strike or lock out which is illegal under this Act, shall be punishable with imprisonment for a term which any extend to six months, or with fine which may extend to cate thousand rupees, or with both

28 Penalty for giving financial sid to illegal strikes and lock-outs.— Any person who knowingly expends or applies any money in direct furtherance or support of any illegal strike or look-out shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to six months or with line which may extend to one thousand rupes; or with both

³ Ins by Act 48 of 1954

⁴ Subs. by Act No 36 of 1964, sec 16.

- 1 29 Penalty for breach of settlement or award -Any person who commits a breach of any term of any settlement or award, which is binding on him under this Act, shall be punishable with imprisonment for a ferm which may extend to six months, or with fine, or with both, aland where the breach is a continuing one, with a further fine which may extend two hundred rupees for every conviction for the first] and the Court trying the offence, it it fines the offender, may direct that the whole or any part of the fine realised from bim shall be paid, by way of compensation, to any person who, in its opinion, has been mured by such breach 1
- 30 Penalty for disclosing confidential information Any person who wilfully discloses any such information as is referred to in section 21 in contravention of the provision of that section shall on complaint made by or on behalf of the trade union or individual business affacted, be punishable with imprisonment for a term which may extend to six months, or with fine which may extend to one thousand rupees or with both
- 31 Penalty for other offences -(1) Any employer who contravenes provisions of section 33 shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to six months, or with may extend to one thousand rupees, or with both
- (2) Whoever contravenes any of the provisions of this Act or any rule made thereunder shall, if no other penlty is elsewhere provided by or under this Act for such contravention, be punishable with fine which may extend to one hundred rupees

CHAPTER VII MISCELLANEOUS

- 32 Offences by companies, etc Where a person committing an offence under this Act is a company, or other body corporate, or an association of person (whether incorporated or not) every director, manager, secretary, agent or other officer or person concerned with the management thereof shall, unless he proves that the offence was committed without his knowledge or consent, be deemed to be guilty of such offence
- ¹[33 Conditions of service, etc., to remain unchanged under certain circumstance during pendency of proceedings -(1) During the pendency of any conciliation proceeding before a conciliation officer or a floard or of any proceeding before a Labour Court or Tribunal or National Tribunal in respect of an industrial dispute, no employet shall-
 - (a) in regard to any matter conneerned in such dispute, after, to the prejudice of the workmen concerned in such dispute, the conditions of service applicable to them immediately before the commencement of such proceeding, or
 - (b) for any misconduct connected with the dispute, discharge or punish, whether by dismmissal of otherwise, any workmen con-cerned in such dispute.

save with the express permission in writing of the authority before which the proceeding is pending

¹ Subs by Act 36 of 1955, s. 21.

Subs. by Act 36 of 1956, s 20.
 Inserted by Act No 36 of 1965, s 29.

- (2 During the pendency of any such proceeding in respect of an industrial dispute the employer may, in accordance with the standing orders applicable to a workman concerned in such dispute,-
 - (a) alter, in regard to any matter not connected with the dispute the corditions of service applicable to that workman immediately before the commencement of such proceeding or
 - (b) for any misconduct not connected with the dispute discharge or numish whether by dismissal or otherwise that workman

Provided that no such workman shall be discharged or dismissed unless he has been paid wages for one month and an application has been made by the employer to the authority before which the proceeding is pending for approval of the action taken by the employer

- (3) Notwithstanding anything contained in sub-section (2) no employer shall during the pendency of any such proceeding in respect of an industrial dispute take any action against any protected workman concerned in such dispute-
 - (a) by altering to the prejudice of such protected workman the conditions of service applicable to him immediately before the commencement of such proceedings or
 - (b) by discharging or punishing whether by dismissal or otherwise such protected workman

save with the express permission in writing of the authority before which the proceeding is pending

Examination -For the purpose of this sub-section, a protected workman, in relation to an establishment means a workman who, being an officer of a registered trade union connected with the establishment, is recognised as such in accordance with rules made in this hehalf

- (4) In every establishment, the number of workmen to be rocognised as protected workmen for the purpose of sub section(3) shall be one percent of the total number of workmen employed therin subject to a minimum number of five protected workmen and a maximum number of one hundred protected workmen and for the aforesaid purpose, the appropriate Government may make rules providing for the distribution of such prefected workmen among various trade unions if any connected with the establishment and the manner in which the workmen may be chosen and recognised as protected workmen
- (5) Where an employer makes an application to a conciliation officer Board "Ian arbitrator! Labour Court Tribunal or National Tribunal under the proviso to sub-section (2) for approval of the action taken by him the authors y concerned shall without delay hear such application and pass, as expenditionusly as possible such order to relation thereto as it deems fit.
- 133A Special provision for adjuaccation as to whether conditions of service. etc. changed during pendency of proceedings - Where an employer contravenes the provisions of section 33 during the pendency of proceeding before a allabour Court Tribunal any employee aggrieved by such contravention, may make a complaint in writing in the prescribed manner to such 2[Labour Court Tribunal or National Tribunal) and on receipt of such complaint that 2[Labour Court.

Inverted by Act No 36 of 1964, S 18

¹ lns by Act 48 of 1950 s 34 and Sch

² Subs by Act 35 of 1955 s 21

Tribunal or National Tribunal] shall adjudicate upon the complaint as if it were a dispute referred to or pending before it, in accordance with the provisions of the Act, and shall submit its award to the appropriate Government and the provisions of this Act shall apply accordingly 1

*133B Power to transfer certain proceeding—(1) The appropriate Government may, by order in writing and for reasons to be stated therein withdraw any process to the state of t

Provided that where a proceeding under section 33 or section 33 A is pending before a Tribunal or National Tribunal, the proceeding may also be transferred to a Labour Court-

(2) Without prejudice to the provisions of sub-section (1) any Tribunal or National Tribunal, it so authorised by the appropriate Government, may transfer any proceeding under section 33 or section 334 pending before it to any one of the Labout Courts specified for the disposal of such proceedings by the appropriate Government by notinication in the Official Scartte and the Labout Court to which the proceeding is so transferred shall dispose of the same

33 C. Recovery of money due from an employer—(1) Where any money is due to a worknan from an employer under a settlement or an award or under the provisions of Chapter VA. the worknan may, without prejudice to any other mode of recovery, make an application to the appropriate Government for the recovery of the money due to him and if the appropriate Government is satisfied that any money is so due, it shall suce a certificate for that amount to the Collector who shall procred to recover the same in the same manner as an arrear of land revenue

Provided that every such application shall be made within one year from the date on which the money become due to the workman from the employer:

Provided further that any such application may be entertained after the expiry of the said period of one year if the appropriate Government is satisfied that the application has sufficient cause for not making the application within the said period

(2) Where any workman is entitled to receive from the employer any money or any benefit which is capable of benefit computed in terms of money and it any question arises \$4 to the amount of money due or as to the amount at which such benefit should be computed, then the question may, subject to any rules that may be made under this Act, be decided by such Labour Court as may be specified in this behalf by the appropriate Government

(3) For the purposes of computing the mony value of a benefit, the theory Court may, if to a think it, appoint a commissioner who shall after taking such evidence as may be necessary, submit a report to the Labour Court and the Labour Court shall determine the amount after considering the report of the commissioner and other crumstagness of the case;

- (4) The decision of the Labour Court shall be forwarded by it to the appropriate Government and any amount found due by the Labour Court may be recovered in the manner provided for it in sub sec (1)
- (5) Where workmen employed under the same employer are entitled to to more them subject to such rules as may be made of being computed in terms of money then subject to such rules as may be made in this behalf a single application for recovery of the amount due may be made on behalf of or in respect of any number of such workmen.

Explanation.—In this section Labour Court' includes any Court constitute du under any law relating to investigation and settlement of industrial disputes in force in any State

- 34 Cogn zance of oftenses —(1) No Court shall take cognizance of any offence punishable under this Act or of the abetiment of any such offence, save on complaint made by or under the authority of the appropriate Government
- (2) No court inferior to that of a Presidency Magistrate or a Magistrate of the first class shall try any offence punishable under this Act

NOTES

Authority must refer to particular offence—The authority that may be given under this section must refer to the particular offence. To sprak of an authority given in general terms without any reference to any particular offence is to ignore the whole intention of the Leg slature in this matter. An authority in which there is on indication whether one or more offences have been committed where the off nee was committed and when it is said to have been committed, cannot be said to be an authority to make the complaint (A. R. 1956 Cal Fa.).

- 35 Protect on of Persons—(1) No person refusing to take part or to sont-inue to take part in any strike or lock-out which is illegal under this. Act shall be reason of such refusal or by reason of any action taken by him under this section be subject to expulsion from any fraid enion or a serily or to any fine or penalty or to deprivation of any right or benefit to which he or his legal representatives would otherwise be entitled or or liable to be placed in any respect, either directly or indirectly under any disability or at any disadvantage as compared with other members of the union or society anything to the contrary in the rules of a trade union or society notwithstanding.
- (2) Nothing in the rules of a trade union or society requiring the settlement of dispates in any manner shall apply to any proceeding for enforcing any right or exemption secured by this section and in any such proceeding the Cavil Court may also a secure of the control of trade union or society to be restored to membership of a trade union or society to be restored to membership order that the be paid out of the funds of the trade union or society such sum by way of compensation or damages as that Court thinks just.
- 1 [36 Representation of Parties—(1) A workmrn who is a party to a dispute shall be entitled to be represented in any proceeding under this Act by—
 - (a) an officer of registered trade union of which he is a member
 - (b) an officer of a federation of trade unions to which the trade union referred to in clause (a) is affiliated
 - (c) where the woker is not a member of any trade union by an officer of any

¹ Subs by Act 48 of 1950, s 34 and Sch

trade union connected with or by any other workman employed in the industry in which the worker is employed and authorised in such manner as may be prescribed.

- (2) An employer who is a paty to dispute shall be entitled to be represented in any proceeding under this Act by—
 - (a) an officer of an association of employers of which he is a member
 - (b) an officer of a federation of associations of employers to which the association referred to in clause (a) is affiliated
 - (e) where the employer is not a member of any association of employers by an officer of any association of employers connected with or by any other employer engaged in the industry in whice the employer is engaged and authorised in such manner as may be prescribed
- (3) No party to a d spute shall be entitled to be represented by a legal practitioner in any concil ation proceedings under this Act or in any proceedings before a Court
- (4) In any proceeding a [before a Labour Court Tribunal or National Tribunal a party to dispute may be represented by a lagal practitioner with the consent of other parties to the proceeding and a [with the leave of the Labour Court Tribunal or National Tribunal as the case may be]
- 4 36 A Power to remove difficulties —(1) If in the opinion of the appropriate Government any difficulty or doubt arises as to the interpretation of an award or settlement it may refer the question to such Labour Court Tribunal or National Tribuna as it may think fit
- (2) The Labour Court Tribunal or National Tribunal to which such question is referred shall after giving the parties an opportunity of being heard decide such question and its decision shall be final and binding on all such parties 1
- 37 Protection of action taken under the Act -No suit prosecution of other legal proceeding shall lie against any person for anything which is in good faith done or intended to be done in pursuance of this Act or any rules made therequider
- 38 Power to make rules (1) The approprite Government may subject to the condition of prev vs publication make rules for the purpose of giving effect to the provisions of this Act
- (2) In particular and without prejudice to the generality of the foregoing power such rules may provide for all or any of the following matters namely—
 - (a) the powers and procedure of conciliation off-cers Boards. Courts "ILabour Courts Tribunals and National Tribunals Including tules as to the summoning of witness the prodution of documents relevant to the subject matter of an inquiry or investigation the number of members necessary to from a quorum and the manner of submission of reports, and awards.

² Subs by Act 36 of 1956 s. 24 for before a tribunal 3 Subs abid for with the Leave of the Tribunal

⁴ Ins 1bid 2 22 1 Subs by Act 36 of 1926 26(2) fr for and Tribunals'

- (aa) the form of arbitration agreement, the manner in which it may by signed by the patties the power of the arbitrator named in the arbitration agreement and the procedure to be followed by him.
 - (asa) the appointment of assessors in proceedings under this Act.)
 - (b) the constitution and functions of and the filling of vacancies in Works Committees and the procedure to be followed by such Committees in the discharge of their duties
 - (c) the allowance admissible to members of Courts, ³ [and Boards and previding officers of Labour Courts, Tribunals and National Tribunals] and to assessors and writesses.
 - (d) the muss, rial establishment which may be allotted to a Court Board or "[Labour Courts, Tribunal or National Tribunal] and the valures and allowances payable to members of such establishments.
 - (e) the manner in which and the persons by and to whom notice of strike or lock-out may be given and the manner in which such notice; shall be communicated.
 - (f) the contions subject to which parties may be represented by legal practitioners in proceedings under this Act before a Court "[Labout Court, Tribunal or National Tribunal]
- (g) any other matter which is to be or may be prescribed.

 (3) Rules made under this section may provided that a cantravention thereof shall be runshable with fine not exceeding fifty tunees.
- 5[(4) All rules made under this section shall as soon possible after they are made, be laid before the State Legislature or where the appropriate Government is the Central Government belone both Houses of Parliament]

"(i) Every rule made by the Central Government under this section shall be laid at soon as may be after it is made before each House of Parliamership is the second of the second in which it is so laid or section amountainess following both by the first second in which it is so laid or section mandainess following both are the second in which it is so laid or section in making any modification in the cules or both Houses after that the tail not be made the rule shall thereafter have effect only in such modified formor be of one effect, as the case may be, so lowever any such modification or annulment shall without prepudce to the validity of anything previously dene under that rule!

*[39 Delegation of powers—The appropriate Government may, by moder this for or tries made therefore the tany power exercisable by it under this for or tries made thereander shall, in relation to such marters and subject to such conditions, if any as may be specified in the direction be exercisable also—

(a) where the appropriate Government is the Central Government

^{2.} Ins. abid s. 20 (a) (u)

^{3.} Subs. und s 26 (a) (m) for "Boards and Tribunal"
4. Subs. und s 20 (a) (v) for "or Taibunal"

⁵ Ins. ib d s. 26 (b)

^{*} Inserted by Act No. 30 of 1904 Sec 20 1 Ins. 18-18 27

by such officer or authority subordinate to the Central Government, or by the State Government or by such officer or authority suborbinate to the State Government, as may be specified in the notification, and

(b) where the appopriate Government is a State Government, by such officer or authority subordinate to the State Government as may be specified in the notification

*i 40 Power to amend Schedules—

(1) The appropriate Government may, if it is of opinion that it is expedient or necessary in the public interest so to do, by notification in the Official Gazette, and to the First Schedule any industry, and on any such notification being issued, the First Schedule shall be deemed to be amended accordingly

(2) The Central Government may, by notification in the Official Gazette, add to or alter or amend the Second Schedule or the Third Schedule and on any such notification being issued, the Second Schedule or the Third Schedule, as the case may be, shall be deemed to be amended accordingly

(3) Every such not fication shall as soon as possible after it is issued, be laid before the Legislatine of the State if the notification has been isssued by a State Government, or before Panliament, if the notification has been assued by the central Government

Rajasthan Amendment

41 Repeal: On and from the date this Act comes into force the Industrial Disputes and the Industrial Disputes (Appellate Tribunal) Ajmer Amendmend Act 1956 (Ajmer Act V of 1956) in force in the Ajmer area and corresponding laws, if any, in the Abu & Sunel areas shall star d repealed

TTHE FIRST SCHEDULE

[See Sections 2 (n) (vi)]

Industries which may be declared to be public utility services under sub-clause (vi) of clause (n) of section 2

Tranport (other than railways) for the carriage of passengers of goods, by land, water or air.

Banking. Cemet

Coal Cotton textiles.

Foodstuffs

Iron and steel Defence establishments

2345678.9011 Service in hospitals and dispensaties. Fire Brigade service

India Govt Mints

12 13 India Security Press-Zinc Smelts

14 Manufacture, Marketing & Distribution of Petroleum Products.

^{*} Inserted by Act No 36 of 1964, Sec. 21 & 22 t Ins shed s. 29

THE SECOND SCHEDULE

(See Section 7)

Matters within the jurisdiction of Labour Courts

- I The propriety or legality of an order passed by an employer under the standing orders .
 - The application and interpretation of standing orders
- 3 Discharge or dismissal of workman including reinstatement of or grant of relief to workmen wrontfully dismissed,

4 Withdrawal of any customary concession or privilege

5 illed dity or otherwise of a strike or lock out and 6 All matters other than those specified in the Third Schedule.

THE THIRD SCHEDULE

(See section 7A)

Matters within the jurisdiction of Industrial Tribunals 1 Wages including the period and mode of payment .

2. Compensatory and other allowances .
3. Hours of work and rest intervals.

4 Leave with wages and holidays .
5. Bonus, profit sharing, provident fund and gratuity .

6. Shift working otherwise than in accordance with standing orders;

7 Classification by grades . 8 Rules of discipline.

9 Rationalisation,

10. Retrenchment of workmen and closure of establishment, and 11. Any other matter that may be presented

THE FOURTH SCHEDULE

(See section 9A)

Conditions of service for chance of which notice is to be & i en

1 Wases including the period and mode of payment;

- 2 Contribution raid, or parable by the employer to any provident fund or pension fund or for the benefit of the workmen under any law for the time being in force;
 - 3 Compensatory and other allowances ,

4 Hours of work and rest intervals; 5. Leave with wices and holidays ;

6 Starting alteration or discontinuance of shift working otherwise than in accordance with standing orders ;

7 Classification by grades.

8 Withdrawal of any customary concession or privilege or change is usage, O Introduction of new rules or discipline, or alteration of existing rule, except in so far as they are provid d in standing orders .

10 Rationalisation, standardisation or improvement of plant or technique

which is likely to lead to retrenchment of workmen; 11 Any increases or reduction (other than casual) in the number of persons employed or to be employed in any occupation or process or department or shift of not occasioned by circumstances over which the employer has no control 1

[.] Inserted by Act. No-S6 of 1964, Sec. 23-

वर्णानुक्रमणिका एवं शब्दावली

[Alphabetical Subject-Index & Glossary]

```
मजदुरी मगतान-२१,
                 A
                                          मारतीय साहय श्रविनियम-३७, ४१-४३
Act. ग्रधिनियम
                                         नियोजन केन्द्र (इम्लायमेट एक्सचेरज)-५०-५१
घौरोतिक परिवाद—
        घारा २ (जे)—३
                                          श्राधिक सध⊸४४
                                          Admission स्बोकारोक्ति
             ₹ (s)-¥
                                                   का प्रमाव-३६
            २ (k)—t३
                                          Advocate वकील
             २-क−१३
                                                   घरेल जांच मे बहीस ३७
             ₹, ६, ७,—११
                                          Agreement (or Contract)
बन्सुची २, ३, ४-१३-१४
                                              सविदा या प्रमुबन्ध
         वारा ३३--१४, ४८. ४७.
                                                   मालिक धौर मजदर-१
         धारा २ (a) -१८
                                                   सेवा या काभ की शर्ते -७. ह
           .. 77. 74. 74.-74-18
                                          Arrears of Pay बेतन का बकाया
         भारा २ (kkk)-६३
                                                   - के लिये ज्यापालय में दावा ७१
           , ? (ooo)-{¥
                                                    --श्रम स्थायालय ये ७१, १३
 न्युनतम मजदुरी
                                                    —धन्यायपूर्णं निष्कासन मे ७०
          षारा २ (कः) ४
               प्रपन्न (१०)-२१
                                                             R
 भौद्योगिक नियोजन (स्था॰ भा॰)
                                           Bias पश्चपात
                                                    —का सिद्धान्त २८, २९
               काम की गतें. ७
                                                    जांच में-२९
                नियम—राजस्यान ७७
                                                    पक्षपातपुर्ण हानि २६
                मोदल स्था॰ घा॰ ८०
                                                    जोच ग्रधिकारी-३१
 फैस्टरी (कारखाना) कानून-
                काम की शर्ते ह
  दकान व बालिज्य सस्यान
                                           Charge Sheet पारोप पत्र
                काम की शतें १०
                                                    —का परिचय व स्वरूप ३३
  मांडल स्यायी बादेश-७, ११, २०, २३, २४, ३०,
                                                    —काफार्म (१) … ३३
                  YU. X ?
                                                    -का विवरण पत्र (कार्य २) ३४
```

3 6 3	
यरोलवि रोक्रना २४	—का श्रीवद्यार देवे
पश्चनति २४	—क्ब सागू ३२
स्वास्युति २४	—ही स्थिति—१२
—की मात्रा २५	द्याद्राकाप्यस−३३
दण्ड महीं—२५	T
_ R	Termination क्यावतन या नौकरी स बादर
Remdies प्रिकार	दच्छ नहीं २१
भर् <u></u> ७•	l u
मानिक संप्रार्थना ७०	Unfair Labour Practices भाषाया
व्यवहार न्यायालय में ७१	
यम न्यायालय मैं-७१, १३	तराइ
रुव्य न्यायालय में ७१	दुमविना १३
Retrenchment धून्ती	रिकार बनाना ४४
—कास्त्रका व हर्ते ६४	—नुरोडे ४ १
— ग्रन्यापपूर्ण—१७	—-বিজ্ঞানৰ ২৬
—में निकार बनाना—६६	v
—यौर काम बदी में घल्टर ६४	Victimisation निकार बनाना या वर्ग करन
—पर मुदावजा—६६	ε Ϋ~₹Υ
Recruitment निवृत्ति या नौकरा दना	छनी में—६१
—का मिवकार ३०	w
नियोजन कच समितियम ६०−६१	
न्द्रिक पत्र का प्रारूप १२	Workman हामगार (महरूर)
निर्देखिका प्रति ७, १	मानिक स सम्बंच १
नियुक्ति पत्र का नमूना १०६	ūσ−Υ, ₹,
S	द्यालमें व दुरालमें ७ Writs तत्त-यानिकार्य
Standing Orders स्वायी पादम	Wits तव-यावश्व ाचावय में ७१
-	सह—चरे
दशना⊏ परिवनत्वस्रोचन्⊏	
पारवज्य व सुनायन द साहन स्यायी प्राहर—द०	व रीयायणीकरे ल ७२
	वरमान्त्र ७२
Strake हरणान	प्रतियेष ७२
गैर कानूनी हडनान १७ ६० हरतान नहीं १०	द्यविकार पृष्ट्य ७२
हृष्यान नहा दुल इंदरान हैं १८	ಕರ್ಷ-ಾ1
हरा मा हु हुट सद—1€	दुवरा द्वराव होने पर>१
द्वविद्यार—१८	ग्याबिक या प्रशासनिक कायगढी भी
हुट्टान भीर ताना बदा का निवेष १६	matter at a could a south of an
द्यवेष हरान ११.	1 -
Suits बाद या दावा	नेस स्वीकार किए गएअर्थ
	—दस्य'कार किए नर् —७ ६
र वहार न्यायानय में ७१ श्रम स्वायालय में ७१	Wrongful Dismissal स वावपूर्ण निष्का
Suspension नियम्बर (मौर्यातनी)	[रिसप्-निष्डामन (Dismissal)]
	—हासका १७
दग्र क कर में १३	बाय ३३—१७
वांच के शहरात-३२	4101 44-243
